Seventeenth Series, Vol. XXII No. 10

Monday, February 13, 2023
Magha 24, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXII contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)

No. 10, Monday, February 13, 2023/ Magha 24, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 to 150	8-39
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 151 to160	40-104
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	105-732

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 733-766

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes 767

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Study Visit Report 767

MATTERS UNDER RULE 377 768-769, 806-829

(i) Regarding revision of pay and pension of serving and retired employees of NABARD

Shri Ganesh Singh 768-769

(ii) Regarding increase in honorarium of Aanganwadi workers

Shri Jagdambika Pal 806-807

(iii) Regarding electrification of Nainpur-Chhindwara railway line and investigation into construction work of railway infrastructure in Seoni

Dr. Dhal Singh Bisen 808

(iv) Regarding land erosion caused by Sone River in Palamu district, Jharkhand

Shri Vishnu Dayal Ram 809

(v) Regarding textbook revision and rewriting of history.

Shri E. T. Mohammed Basheer 810

(vi) Need to introduce flight services from Latur airport under the Regional Connectivity Scheme –UDAN

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 811

(vii) Regarding demand for 3-tier panchayat elections in Darjeeling and Kalimpong districts

Shri Raju Bista 812

(viii) Need to link Lalitpur-Chanderi-Ashoknagar-Guna-Chaabra-Kota with national highways

Shri Krishnapalsingh Yadav 813

(ix) Need to increase the frequency of flights from Jalgaon airport to various cities

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 814

(x) Need to provide houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) to eligible villagers in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

Shri Arun Kumar Sagar 815

(xi) Regarding establishment of Sainik School at Silchar Parliamentary Constituency

Dr. Rajdeep Roy 816

(xii) Regarding establishment of a medical college in Jhabua district, Madhya Pradesh

Er. Guman Singh Damor 817

(xiii) Need to make National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi, an institute of national importance

Shri Sanjay Seth 818

(xiv) Need to provide medical facilities for treatment of cancer, kidney and gynaecological diseases in Mahoba, Uttar Pradesh

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 819

(xv) Regarding environment protection and development of tourism in the Munroe Thuruth Island located in Kollam district

Shri Kodikunnil Suresh 820

(xvi) Regarding State Net Borrowing ceiling fixed for Andhra Pradesh

Shri Kuruva Gorantla Madhav 821

(xvii) Regarding recent hike in repo rate by RBI

Prof. Sougata Ray 822

(xviii) Regarding establishment of Kendriya Vidyalaya in Birpur, Supaul district, Bihar

Shri Dileshwar Kamait 823

(xix) Regarding effect of construction of dams by Chhattisgarh across Mahanadi river and its impact on Hirakud dam in Odisha

Shri Bhartruhari Mahtab 824-825

(xx) Regarding inclusion of certain castes in the list of scheduled castes and also take measures to ensure their recruitment in Army

Shrimati Sangeeta Azad 826

(xxi) Need to declare Kusheswar Sthan in Darbhanga district, Bihar as a tourist place

Shri Prince Raj 827

(xxii) Regarding high prices of gravel (Bajri) in Rajasthan

Shri Hanuman Beniwal 828

(xxiii) Regarding establishment of ESIC Branch office and Atal Residential School in Sandila in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 829

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION 910-961

Beautification and modernization of Railway Stations under the Adarsh Station Scheme etc.

Shri Nihal Chand Chouhan 910-915

Dr. Nishikant Dubey 916-921

Prof. Sougata Ray 922-931

Shri Malook Nagar 932-934

Shri Uttam Kumar Reddy 935-937

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 938-940

Shri Bhartruhari Mahtab 941-946

Shri Raju Bista 947-951

Shri Hanuman Beniwal 952-956

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 956-961

***ANNEXURE – I** 856-863

Member-wise Index to Starred Questions 856

Member-wise Index to Unstarred Questions 857-863

***ANNEXURE – II** 864-865

Ministry-wise Index to Starred Questions 864

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 865

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

February 13, 2023/ Magha 24, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. 141)

माननीय अध्यक्ष : श्री दिनेश लाल यादव – उपस्थित नहीं।

श्री सी.आर. पाटिल – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय अध्यक्ष जी, विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान त्रेता काल में भगवान श्रीराम जी ने चित्रकूट में अपने वनवास के साढ़े ग्यारह वर्ष बिताए थे, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। उस समय के स्मारक कामदगिरी परिक्रमा, जिसमें 4 द्वार हैं, वहीं भरतमिलाप, लक्ष्मण पहाड़िया, रामघाट, प्रमोदवन, सती अनुसुइया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, सुतीक्षण आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम, सिद्धा पहाड़, सीता रसोई जैसे अनेकों प्राचीन मंदिर स्मारक और दर्शनीय स्थल हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आज तक इनके लिए कोई भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। मैं सबसे पहले तो इनको पुरातात्विक सर्वेक्षण में शामिल कराने की मांग करता हूँ तथा वित्तीय सहायता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं लिस्ट चेक कर रही थी और ये सभी स्मारक आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आते हैं, लेकिन इस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं तो आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिन स्थानों को अपने अंतर्गत लिया हुआ है, वहां पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है और वहां पर मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है, लेकिन इनमें से कई क्षेत्र उस लिस्ट में नहीं आते हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनेक पुरातात्विक महत्व की चीजों पर हमारी सरकार ने काम किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला मुख्यालय नरसिंहपुर है। यह कई सैकड़ों वर्ष पहले गडरिया खेड़ा के नाम से

जाना जाता था, उस समय के जागीरदार तथा जमींदारों ने वहां पर एक बड़ा नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया और उसका नाम बदलकर नरसहपुर किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन महत्व के पुरातात्विक स्मारक की सुरक्षा के लिए और वर्षों तक यह प्राचीन मंदिर खड़ा रहे, उसके लिए क्या माननीय मंत्री जी का इस तरह का कोई प्लान है, जिससे इन धरोहरों को हम सुरक्षित रख सकें?

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय अध्यक्ष जी, सभी धरोहरों को सुरक्षित रखने का प्रावधान भी है और काम भी चल रहा है, लेकिन नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर है, वह आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में है या नहीं, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को पता करके सूचना दे दूंगी।

श्री गुरजीत सिंह औजला : सर, धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर महाराजा रणजीत सिंह जी का बाग है, जिसका नाम समर पैलेस है, जो कि एएसआई से प्रोटेक्टेड है। वहां पर काम बहुत धीमा चल रहा है। वहां पर बहुत बुरी हालत है। क्या आपका कोई प्रावधान है कि आप जो फंड देते हैं तो उसे कितने समय में पूरा करना होता है और आपको उसकी रिपोर्ट कैसे लेनी होती है? मैडम, वहां पर बहुत बुरी हालत है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : मैं माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि मैंने वह जगह खुद विजिट की है और उसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत भी पैसा दिया गया है और उससे पहले पंजाब की कोई हैरिटेज प्रोटेक्शन की सोसायटी है, उनको भी पैसा दिया गया है। हम आपको पूरी डिटेल उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि अभी उसकी पंजाब सरकार देख-रेख कर रही है।

जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो बाग है, वह उनके पास है, स्मार्ट सिटी के तहत है। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं। लोग वहां पर खेलते हैं। उसकी पूरी जो व्यवस्था है, पंजाब सरकार की क्या भूमिका है, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको भेजूंगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 142,

श्री सु. थिरुनवुक्करासर – उपस्थित नहीं ।

(Q. 142)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Thank you very much, Sir.

There have been several instances of domestic workers being abused. We have heard this from several parts of the country. In Tamil Nadu, we have a Domestic Workers Welfare Board. There has been a request by most people, in fact, there was a PIL which was filed in Delhi, asking whether the Domestic Workers Welfare Board can be started by the Ministry. It is because, particularly, the maids and the home nurses – we are talking about physical abuses – go through all these abuses. Will the Ministry consider that request and initiate it immediately?

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, जहां तक डोमेस्टिक वर्कर्स का सवाल है, वे देश में बड़ी संख्या में हैं। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के अंतर्गत डोमेस्टिक और माइग्रेंट वर्कर्स - दोनों प्रकार के वर्कर्स की समस्याओं और सुविधाओं के विषय में इसका एक व्यापक सर्वे करवाया जा रहा है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से लेकर अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे निश्चित तौर से डोमेस्टिक वर्कर्स की श्रेणी में आने वाले वर्कर्स के लिए भी समान रूप से लागू होती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, in this country, every day, hundreds of daily-wage workers commit suicide due to their low income. The hon. Minister has not given any reply on this point. He has mentioned that there are so many schemes for the welfare of unorganised workers. I would like to know whether the Government of India is planning to take any initiative to protect the family of those workers who have committed suicide due to their low income by giving them compensation.

SHRI BHUPENDER YADAV: Hon. Speaker, Sir, as far as the suicide of the unorganised workers is concerned, I have already annexed a list of data with my answer. Factually, it is incorrect that every day hundreds of workers are committing suicide. I request the hon. Member to go through the data provided with my answer. The details put up by the hon. Member are not correct.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, the question relates to the daily wagers committing suicide. Now, it has been suggested by several world-famous economists that the only way to help the daily wagers, including the migrant labourers, is to give them some cash doles so that they have some money in their pockets and that money rolls in the economy. I would like to know from the hon. Minister for Labour and Employment whether the Government has any plan to give cash relief to daily wagers and migrant labourers to save them from committing suicide due to penury and destitution.

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, जो डेटा इसमें दिया गया है, वह माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात से मेल नहीं खाता है । डेटा ऐसा नहीं बताता है कि सबसे ज्यादा सुसाइड का कारण, जो पर्टीकुलर वर्कर्स की श्रेणी बता रहे हैं, उसके अंतर्गत है । इसके अंतर्गत बहुत सारी श्रेणियां बताई गई हैं, जिनमें प्रोफेशनल्स से लेकर अन्य वर्कर्स भी आते हैं और सुसाइड के अन्य बहुत से कारण भी होते हैं । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स और डेली वर्कर्स के लिए सरकार द्वारा क्या उनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जहां तक उनकी लाइफ और डिसएबिल्टी का प्रश्न है, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दी जाती है । उनके एक्सीडेंट और मृत्यु के बारे में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दी जाती है और जो छोटे कामगार हैं, उनके लिए देश में स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई जाती है ।

उसके साथ ही साथ उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का जो विषय है, उसके लिए सरकार के द्वारा 'प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना' चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' और ग्रामीण क्षेत्र में जिन वर्करों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, उनके लिए 'महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम' तथा सरकार की अन्य चलने वाली योजनाएं जैसे 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना', 'प्रधान मंत्री आवास योजना', 'गरीब कल्याण रोजगार योजना', 'दीन दयाल अंत्योदय योजना' ये सब योजनाएं उन सब श्रमिक वर्गों के लिए ही सरकार के द्वारा चलाईं जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 143, श्री ए. गणेशमूर्ति – उपस्थित नहीं।

(Q. 143)

SHRI A. RAJA: Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. Of course, I am having one or two questions with regard to the Government of Tamil Nadu. But before that, I want to make a suggestion and also a humble request to the hon. Minister. Some States, including Tamil Nadu, have demanded the Central Government to extend the GST compensation period. I do not know whether the decision has been taken on the part of the Central Government or not. But most of the States, including the BJP-ruled States desire that the GST compensation period be extended for some time. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप उनको ज्ञान मत दीजिए।

SHRI A. RAJA: Some of the States, including Tamil Nadu, feel this. You are releasing the funds; we are having no problem. But you are expecting the AG's Audit Report for the funds to be released. There are some disputes between the AG office and the States or the Centre. Because of the delay, the financial stress of the State Government is not adequately addressed. So, if it is possible, let it be released in anticipation of the AG Report, and thereafter, we can reconsider the AG Report with the figures. These are my suggestions.

Now, I will come to the answer given by the hon. Finance Minister so far as Tamil Nadu is concerned.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपका यही प्रश्न आ गया है। आपका प्रश्न क्या है?

SHRI A. RAJA: Sir, those were my suggestions. Now, I am coming to the question. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको प्रश्न काल में सुझाव देने के लिए किसने कहा था? अगर प्रश्न काल है तो आप प्रश्न पूछिए।

SHRI A. RAJA: Sir, now, I will come to the specific question. … (*Interruptions*) I have gone through the answers submitted before the House by the hon. Finance Minister. It says that there is no pendency as far as the GST compensation is concerned, till February 2022-23. But I have got the figures from the State Government which state otherwise. As regards 2020-21, the compensation due is Rs. 22,322 crore and the compensation received is Rs. 18,000 crore. The balance of Rs. 4,222 crore is pending even after the Audit is completed. If it is so, this type of confusion will put financial stress on the State Governments. According to the 15th Finance Commission and also as per the Civil Supplies department, more than Rs. 15,000 crore is still due. So, what steps are you going to take not only for Tamil Nadu but also for other States? Such a complexity must be resolved. What mechanism are we having for that? This is my specific question.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, if the suggestion is for expediting the payments, it is well taken; I take it on board. But the question itself is so-worded that it is not relating to the compensation cess under the GST. It talks about the capital expenditure funds that we are releasing for the States. So, it seems to cover two different matters, all relating to finance. There is no doubt about that.

Therefore, my answer will have to be one for the GST compensation and the other for the tax devolution. So, this one question has so many different aspects. In conclusion, the hon. Member says that no delays should be

accommodated in any case whether it is compensation, capital expenditure, or devolution as per the Finance Commission's recommendation. This suggestion is very well taken. But if I am expected to give answers under each category, I will take one minute to say this. As regards GST compensation, it is not the Central Government which decides up to when the compensation has to be given. It is by the very GST law that the Council decides, and the law says that you are not going to be able to give it after five years. It was decided in the Council where the Finance Ministers from all the States sit together to take a call. It was decided that for the back-to-back loan that was taken during the COVID period, which we need to service and also repay, the cess be extended till 2026-27. So, till 2026, if we have got to be collecting the cess, it is purely for the sake of paying and servicing the loans taken for that five-year period, for the compensation purpose. So, the extension of it beyond June 2022 is simply restricted to the payment of loan which has been taken for servicing the compensation and also for the interest itself. So, there is nothing contemplated beyond it, and that is the decision of the Council and not of the Central Government.

Secondly, AG certification, is an agreed process between the Centre and the State. If there is any delay in that process between the State and the AG, of course, it goes without saying that it is between the State and the AG that the matter has to be sorted out. If between them, there is a problem, and therefore, the AG certificate gets delayed in reaching the Central Government, I will put a matter of fact that the delay is not at my end. Therefore, I would like to clearly state on the GST compensation as regards Tamil Nadu that the AG certification

has been received for 2017-18 and the amounts have been released. There is only some disputed amount, as the hon. Member himself is saying. But the AG certified figures were received for 2020-21 for an amount of Rs. 4,223 crore which has to be now processed and sent. So, it is in the process, and it will be getting cleared. But otherwise, for all the States, up to May 2022, for which the payment goes in early June, every amount has been cleared which was available in the public funds. The total amount that was given was Rs. 86,912 crore that was released on 31st May, 2022. So, through you, I will humbly submit to the House and also the hon. Member that in the process of getting the AG certificate, State Governments will have to be a lot more efficient. Pardon me for using the word 'efficient'. You will have to get that thing sorted out at the earliest so that we can release the funds at the earliest. But without the AG certificate, beyond a point, it is very difficult for me to go and pay.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, it is a very important question as far as the States are concerned.

Madam, I would like to clear this picture. Almost all the States, especially my State of Kerala, are blaming the Union Government that it is not properly disbursing the GST compensation, the revenue deficit grant, and that is the reason by which the Government of Kerala is forced to impose a cess of Rs. 2 per litre on diesel and petrol. Such a big controversy is also going on. I think, it is the right forum by which the cloud of suspicion could be cleared.

The integrated GST is settled from the IGST pool, as per the request from the State Government. As per the media reports, it is being divulged that the

Expenditure Committee in Kerala has in its Report found that Kerala has IGST shortfall amounting to Rs. 5,000 crore per year. I would like to know from the hon. Finance Minister, through you, how much has Kerala claimed as IGST in the past five years, and how much has been disbursed by the Centre. Also, I would like to know about the revenue deficit grants for the last five years granted to the State of Kerala. … (*Interruptions*) These are my specific questions. Thank you very much.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, it is very difficult to communicate this because it is difficult also to understand, in the sense, how exactly can this happen, and after which the State goes about, saying, 'we are not getting money in time'. So, post the GST introduction, I am looking at my records and saying, Kerala has not sent the AG's certified statements for the GST compensation for the years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, and 2021-22. I am sorry to be so precisely going by year after year and thereby taking the valuable time of the House.

So, you have sent it not even for one year. Have you sent me the AG's certified account even for one year for getting your compensation dues? Then, it is accused that the Centre is not releasing the funds in time. The certified authorised statement has reached not even for one year. I would honestly and very humbly request N.K. Premachandran Ji, who is a very senior Member of the House, to please go, sit with the State Government, and request them to send all the statements together even at one go.

Sir, before you, I would suggest that within a reasonable time, on the receipt of that, we will clear it.

You have not sent it for one year, and you keep blaming us that we are not giving you the money in time. On the contrary, in the tax devolution matter as per the Finance Commission's recommendation, even this month two instalments in the place of one have gone to every State. So, Kerala benefits from that as well. So, through you, Sir, I request Premachandran Ji that he should expedite the accounts of five years.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 144,

श्री के. सुब्बारायण – उपस्थित नहीं।

(Q. 144)

श्री मनीश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार में या इनके मंत्रालय में और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में विरोधाभास है। मंत्री यह कह रहे हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च सार्वजनिक तौर पर निरंतर यह कह रही है कि हम इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। हम कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। उसकी बारह-तेरह वॉल्यूम्स छपेंगी। पहली वॉल्यूम मार्च, 2023 में आएगी। उस प्रोजेक्ट में सौ से ज्यादा इतिहासकार शामिल हैं।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि here are two distinct concepts. One is updation of history, which is a respectable closure concept recognised the world over. The other is rewriting history by a very pernicious and a pretentious concept because this is a process of rediscovery of the current narrative by pinning it on certain historical moorings. In this method, anybody, who has tried to rewrite history from Bismarck onwards till Zia-ul-Haq has failed. So, my question to the hon. Minister is, if the Indian Council of Historical Research is not rewriting history, then what precisely are they doing? Would the Minister enlighten this House exactly why there is a contradiction between what you are telling this House and what the Indian Council of Historical Research is publicly saying?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता श्री के. सुब्बारायण जी ने अपने मूल प्रश्न में पूछा है कि क्या आईसीएचआर इतिहास का पुनर्लेखन कर रहा है?

माननीय अध्यक्ष : क्या लिखने की परियोजना शुरू की है, ऐसा उन्होंने पूछा है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : जी हाँ । हमने बहुत ही विनम्रता से इसका उत्तर दिया है कि इतिहास को री-राइट करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके बारे में, आदरणीय मनीष तिवारी जी ने अच्छे-अच्छे अंग्रेजी

के शब्दों में उसे थोड़ा और लचीला बनाया है। किसी भी इतिहास को पुनर्लेखन करने का, सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।

आपने सही कहा है, चूंकि आपके आदेश से प्रश्नकर्ता के प्रश्न का ही उत्तर दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि क्या आईसीएचआर ने इतिहास के बारे में कोई प्रकल्प लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बड़ी विनम्रता से अवगत कराना चाहूंगा – जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं भारत के इतिहास के दो-तीन उदाहरण बताऊंगा। हाल ही में आदरणीय प्रधान मंत्री जी आपके गृह राज्य और गुजरात की सीमा में स्थित मानगढ़ धाम गए थे। वहां बहुत पुराने समय में नहीं, बल्कि वर्ष 1913 में एक ऐतिहासिक चीज हुई थी। देश की आजादी के लिए गुरू गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में डेढ़ हजार लोगों की शहादत हुई थी। पिछले दिनों हमारी सरकार ने दो बहुत बड़े क्रांतिकारियों के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया। … (व्यवधान) साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की सात साल और नौ साल की आयु में शहादत हुई थी। … (व्यवधान)

संस्कृति मंत्री दक्षिण से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, तेलुगु भाषा-भाषी हैं। क्या इस देश को अल्लूरि सीताराम राजु जैसे आदिवासी समाज के एक जन-नेता के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आवश्यकता है।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, श्री बख्शी जगबंधु और श्री विद्याशर महापात्र ने वर्ष 1817 में ओडिशा में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। आज महामहिम आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी नहीं हैं, उन्होंने उसके द्विशतवार्षिक उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यही देश की आजादी की पहली सही लड़ाई है। यह सारा विषय आज के इतिहास का हिस्सा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, देश की गुलामी आखिर कब से हुई? पिछले 1,100-1,200 सालों से यह देश विभिन्न कालखंडों में पराधीनता से गुजरा है। उस समय के आधार पर अगर हम देश की समीक्षा करते हैं, तो दक्षिण हो या उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, ऐसे अनेक साम्राज्य हैं, जिन्होंने देश की संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता को उजागर करने के लिए अनेक काम किए। ... (व्यवधान) यह आज इतिहास के पन्नों में आना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, आना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अत: आईसीएचआर 'फिलिंग दि गैप' करता है। हम कोई पुनर्लेखन नहीं कर रहे हैं। हम इतिहास को व्यापक कर रहे हैं, बड़ी सरल रेखाएं खींच रहे हैं। ... (व्यवधान) हम इतना ही काम कर रहे हैं, आईसीएचआर इतना ही काम कर रहा है। ... (व्यवधान) चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च इस बारे में कह रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सत्यपाल सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए। बाकी कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान) ...*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठे-बैठे मत बोलिए।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया, जिसका मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, फिर आप बैठे-बैठे क्यों टिप्पणी करते हैं? आप सीनियर सदस्य हैं।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : स्पीकर सर, इनका जवाब गलत है। … (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछने से पहले, इस सम्माननीय सदन के सामने दो बातें रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए, दो बातें मत रखिए।

… (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। यह निर्विवाद सत्य है कि अंग्रेजों ने इस देश पर राज करने के लिए 'डिवाइड एंड रूल' की नीति का भरण किया। उसी के तहत उन्होंने आर्य, दर्वेण आदिवासियों को बांटा।

इसी के साथ-साथ हमारे देश में, जिन्हें मॉलिक्युलर बायोलॉजी का फादर माना जाता है, डॉ. रामजी सिंह जी ने यह कहा कि डीएनए की रिसर्च के आधार पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक सबका डीएनए एक है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

… (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से हमारा इतिहास बताया जाता है कि आर्य बाहर से आए, हम लोग विदेशी हैं, इसलिए पुनर्लेखन की बहुत जरूरत है। … (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश को सही इतिहास बताने के लिए और 15 अगस्त, 2022 को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि दासता के सारे चिह्न खत्म करने हैं। … (व्यवधान) क्या दासता के सारे चिह्न खत्म करने के लिए पुनर्लेखन की जरूरत नहीं है? … (व्यवधान) ऐसा करना चाहिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, सभ्यता के बारे में कई प्रकार के मत और विचार हैं और यह इतिहास से ज्यादा संपर्कित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत बहु संस्कृति का देश है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम देश को कैसे मानते हैं। पिछले दो महीने पहले भारत सरकार की ओर से काशी में काशी-तमिल संगम आयोजित करके प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। यह हमारे विचार हैं और भारत सभी भाषाओं तथा संस्कृतियों की उपासना पद्धति के विचार को सम्मान देने वाला देश है। भारत इस बात को मानता है तथा इसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 145, श्रीमती संगीता आजाद।

यह बड़ी डिबेट का विषय है।

(Q. 145)

श्रीमती संगीता आजाद : अध्यक्ष जी, मैं एक ही प्रश्न में दो-तीन छोटे प्रश्न पूछ लूंगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके सदस्य आपको ही जानबूझ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप समझ लीजिए कि इनकी क्या योजना है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप अपने दल की माननीय सदस्या को डिस्टर्ब करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं अगला प्रश्न लूं? आप अपने दल के माननीय सदस्य को समझाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या यह कोई रिवाज है? आप क्यों अपने दल की महिला सदस्य को बोलने से रोकना चाहते हैं? यह आपका गलत तरीका है।

... (व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद : अध्यक्ष जी, क्या कारपोरेट मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पीपीई को नियमित करने तथा सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कार्य करने हेतु अलग-अलग जिलों को निर्धारित किया गया है?... (व्यवधान) यदि हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में कार्य करने हेतु किन कम्पनियों को जिम्मेदारी दी गई है? मेरे क्षेत्र में सामाजिक दायित्व के दौरान कराए गए सभी कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें तथा साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से एक छोटा-सा आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी पीएसयू किसी भी संसदीय क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, तो वहां के सांसदों के प्रस्ताव को भी वे सम्मिलित करने का काम करें।

राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष जी, कम्पनीज एक्ट के सैक्शन 135 के दायरे में जो भी कम्पनीज आती हैं, चाहे वे प्राइवेट हों या पब्लिक हों, उनको अपने मुनाफे में से दो फीसदी पैसा कोरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत खर्च करना होता है। उसमें यह भी प्रावधान है कि जिस जगह पर वह

कम्पनी है, उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए लेकिन यह मैनडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। अमूमन जिस क्षेत्र की कम्पनी होती है, उसी जगह पर, उसी प्रांत में अपना ज्यादातर पैसा इस्तेमाल करती हैं। कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी एक ऐसी चीज है, जिससे न केवल एक क्षेत्र को ही आगे प्रोत्साहित किया जा सकता है, बल्कि सारे देश के अंदर इसका फैलाव यदि हो, तो सारा देश ही उन्नति कर सकता है। मैं माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि यह प्रावधान ऑलरेडी है और वहां के बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनसे यदि आप सम्पर्क करेंगी और कहेंगी कि हम एमपी के तौर पर सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि बोर्ड को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं होगी कि आपके सुझाव को न माने।

श्रीमती संगीता आजाद : अध्यक्ष जी, हम जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देते हैं, तो वे कहते हैं कि आप मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कराकर लाइए। क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट के लिए हम सीएसआर द्वारा देते हैं, उसके लिए आपकी तरफ से ही कुछ आश्वासन चला जाए।

राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्रालय कोई आदेश नहीं देता है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि यह सब कम्पनी के बोर्ड का अधिकार है और बोर्ड ही फैसला करता है और उसे मोनिटर करता है। पैसा खर्च करने के उपरांत हमारे एमसीए-21 की रजिस्ट्री में अपलोड कर देता है। यदि कोई खर्च के बारे में जानना चाहता है तो www.csr.gov.in के द्वारा देख सकता है।

DR. SHASHI THAROOR: Thank you very much, Mr. Speaker.

I am afraid, the Minister's answer submitted to the House is somewhat incomplete because pursuant to the companies' Corporate Social Responsibility Policy, they amended the rules in 2021. A company that fails to spend their required two per cent of average net profits over the previous three fiscal years must transfer the unspent amount on ongoing projects, as defined in the rules, to a special unspent CSR account for their use within the next three years. In fact,

what is interesting about this is – I have raised this once before a few Sessions ago in this House – the Government has never submitted to Parliament any indication, not even in this answer, of whether there have been unspent balances. This is about PSUs but the same question applies to other companies. Have there been unspent balances? Have they been given? What is the rationale for the change that you have just amended the rules to create a new mandate of CSR Committees for all companies that have unspent CSR balances. So, it is extremely unclear. They keep amending the rules.

If I may also ask, does this not imply a sort of reactive approach to these policies? You see some problem, you amend the rules. Could we not have a coherent long-term… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनके कहते ही क्यों बैठ जाते हैं? आप सदस्य के डायरेक्शन से क्यों चलते हैं, यह मुझे समझ नहीं आता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप स्पीकर के डायरेक्शन से चला करें।

… (व्यवधान)

RAO INDERJIT SINGH: The framework of CSR has been provided in Schedule VII of Section 135 of the Act and the rules thereunder. It is very clear as to where funds are to be devolved into any other fund after a specific procedure. So, if it is an ongoing project and it is not completed within the first year, it has to go to another account called the unspent CSR account of that particular company. Then, the company gets three years to spend that fund on that ongoing project. Once the project is completed and some funds are still left over, then they will go

to one of the four funds that have been designated by the Government of India. On the other hand, the other route is, if a CSR project is completed within the next year and all the money has been spent, then there is no problem. But if some money is left over, then that money will again have to go to any fund which is mentioned in Schedule VII of the Act within six months from end of financial year. The rules are pretty clear themselves.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 146, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन।

(Q. 146)

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Thank you, Madam Finance Minister, for giving an elaborate answer in the answer sheet.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister regarding crypto mining. The hon. Minister has also made a statement that she will be chairing meetings under G20 presidency to explore crypto regulations. Crypto mining is a booming thing now in India and a lot of Indians are taking keen interest in that with ecosystem favourable for them. And since China is tracking down crypto miners, India can be an alternate destination if regulatory certainty and infrastructure are provided.

Sir, through you, I would like to ask the Minister how does the Government plan to regulate crypto mining in India to cater to environmental and energy conception concerns. Thank you.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: As I explained in the answer given, at the moment, they are largely unregulated in India whether it is mining or whether it is asset or whether it is transaction. We recognise that this is almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. There is now an evolving consensus. That is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20 so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together, kind of an approach in bringing some regulation into this whether it is mining or whether it is transacting.

Therefore, all this is being looked at comprehensively because technology do not brook any borders. They can get activated in one area where you are not controlling, I suppose, to the area where you are controlling. So, we are working together to get a collective SOP on it.

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, the Central Bank Digital Currencies (CBDCs) introduced the concept of programmable money. The concept of programmable money brought forth by this could potentially impinge on individual's autonomy which could lead to an all-controlling state. So, I would like to ask hon. Finance Minister, through you, whether the Union Government plans to safeguard an individual's autonomy from excessive control that could be leveraged by the State?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, as the hon. Member said, the digital currency is something which the Central bank issues. As you are aware and as the august House is aware, India's Reserve Bank has come up with a pilot project in terms of retail and wholesale use of digital currencies for which there are several sandboxes created, so that user cases can be tested. It is only during this process and immediately after that can there be any kind of understanding on how the retail or the wholesale use of digital currencies will have any spill overs for which any action has to be planned. So, it has been introduced since last December. We will wait for the outcomes from there.

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, धन्यवाद।

आरबीआई ने इस क्रिप्टो को इल्लीगल टेंडर माना है और आरबीआई के गवर्नर का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने अभी दो-तीन दिन पहले भी कहा कि ट्युलिप मैनिया और इल्लीगल टेंडर

के तौर पर यह एक क्रिप्टो है। जी-20 में वे लगातार इसकी बात कर रहे हैं और जो आपने अपने उत्तर में कहा कि यह मैक्सिमम डार्क नेट पर है। मेरे स्पेसिफिक दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया। उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया?

दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इल्लीगल टेंडर के कान्सेप्ट को स्ट्रक डाउन किया। क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी?

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में दो-तीन विषय जोड़े हैं, जिन्हें हमें अलग-अलग नजरिये से देखना है और उनका जवाब देना है। The issue is somewhere connected.

महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। हमने जब टैक्स लगाया, ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाया, जो क्रिप्टो ऐसेट्स क्रिएट करते हैं, उसे सेल करते हैं और अन्य उसे खरीदते हैं। हमने उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाया। वह टीडीएस है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें यह पता चले कि किसने यह ऐसेट क्रिएट किया, कौन से प्लेटफार्म में इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है और कौन इसे खरीदना चाहता है। टीडीएस के द्वारा हम यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पैसे का रूट कहाँ से कहाँ जा रहा है ताकि आतंकवाद के लिए फंडिंग न हो और ड्रग आदि से यह पैसा न निकला हो। टीडीएस लगाने का ऑब्जेक्टिव यह था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें। हमने नया टैक्स नहीं लगाया। वे व्यक्ति अपनी टैक्स रिटर्न में इसको रीकंसाइल भी कर सकते हैं। यह टीडीएस के ऊपर एक विषय है।

दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट का मामला उठाया। हमने इसके ऊपर जो टैक्स लगाया, आपने वह मामला उठाया। तीसरा, यह सब जो बाहर चल रही है, वह करेंसी नहीं है। यह ऐसेट, ऐसेट क्रिएशन और ट्रांसफर है। जो रिजर्व बैंक नहीं इश्यू कर रहे हैं, वह 'सॉवरेन बैक्ड करेंसी' है और उसमें होलसेल और रिटेल दोनों हैं, जैसा मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया था । वह होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलेट हो रही है। उसमें पायलेट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से कर सकते हैं,

इसके ऊपर ध्यान देकर कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में जी-20 में भी यह चर्चा हो रही है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा है और इस बीच में ब्लॉक चेन की टेक्नोलॉजी, जो फिनटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत काम आएगी। उसको हम बेन न करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। वह सिर्फ क्रिप्टो के लिए उपयोग में नहीं आता है बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बेन करने के रास्ते पर हम ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को बेन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। मैं यह एसेट के विषय में बात कर रही हूं, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 147 - श्री रतन लाल कटारिया ।

… (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सर, एक मिनट रुकिये।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, बोलिये ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं, आप वहीं से बोल दीजिए ।

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं एक सैकेंड का समय लूंगा ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक सैकेंड बाद थोड़े ही होता है ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जयंत सिन्हा जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको जयंत सिन्हा जी के बाद बुलवाते हैं।

(Q. 147)

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ई-श्रम पोर्टल में आज के समय जो उत्तर में दिया गया है, 29 करोड़ लोगों को ई-श्रम पोर्टल के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है और यह बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन असंगठित क्षेत्र झारखंड में यह संख्या काफी बड़ी है। जब हम झारखंड की संख्या देखते हैं तो झारखंड की संख्या में हमें नजर आता है कि 91 लाख लोग ई-श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड है। कुल मिलाकर झारखंड की आबादी सवा तीन करोड़ है तो सवा तीन करोड़ में एक तिहाई लोग क्या इस पोर्टल में रजिस्टर्ड है? यह संख्या मुझे थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इसका सत्यापन किस प्रकार से किया गया है और डी-डुप्लीकेशन किया गया है या नहीं किया गया है? अगर हम झारखंड का देखें तो सवा तीन करोड़ में 91 लाख की संख्या बहुत बड़ी संख्या नजर आती है। धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ई-श्रम का जो रजिस्ट्रेशन है, वह आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जाता है और साथ में उनका जो बैंक एकाउंट है, वह भी लिंक किया जाता है। ये दो वेरिफिकेशन होने के बाद किया जाता है इसलिए जिनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनका आधार कार्ड और बैंक एकाउंट दोनों को सत्यापित करके ही किया गया है।

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत विश्वास हो रहा है कि अगर आधार कार्ड के द्वारा किया गया है तो डी-डुप्लीकेशन जरूर किया गया होगा। अब उत्तर में यह भी बताया गया है कि इसमें अटल पेंशन योजना और इस प्रकार की जो पेंशन की स्कीम्स हैं, उनमें भी इसका प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि अगर 91 लाख लोग झारखंड के रजिस्टर्ड हैं और 29 लोग करोड़ पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं तो कितने लोगों ने अटल पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाओं में क्रॉस रजिस्टर्ड किया है?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है, हमने पहली बार आधार सीडेड इस रजिस्ट्रेशन को किया है, क्योंकि देश

में लम्बे समय तक यह विषय चलता था। विशेष रूप से कोविड के समय हमने देखा था कि माइग्रेंट लेबर जिस प्रकार से अपने-अपने स्थानों पर वापस गई थी और डेटा उपलब्ध नहीं था, देश में असंगठित क्षेत्रों का एक स्थायी डेटा तैयार हो, इसके लिए किया है। ई-श्रम का जो उद्देश्य है, वह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्लेटफार्म वर्कर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, डोमेस्टिक वर्कर्स को, एग्रीकल्चर वर्कर्स को, भट्ठों में काम करने वाले, फिशरमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, आशा, आंगनवाड़ी आदि इन सारे वर्कर्स का रजिस्ट्रशन करना है। जहां तक उनकी योजनाओ का सवाल है, तो हमने ई-श्रम डेटा को स्टेट, यूटी के साथ जोड़ा है। जो सरकार योजना उनको देना चाहती है, उसके लिए हम डेटा उपलब्ध कराते हैं इसलिए वह संबंधित राज्यों के पास डेटा है। हमारा शेयरिंग का काम चल रहा है।

लेकिन इसके साथ ही साथ ई-श्रम पोर्टल का, एनसीएस पोर्टल से, स्किल के पोर्टल से हम लोग एक इंटिग्रेशन भी कर रहे हैं। यह अनऑर्गनाइज़्ड सैक्टर का एक डाटा है, जो विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के लिए उपलब्ध है, ताकि योजनाएं, इसके माध्यम से एक निश्चित और स्थायी असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के पास जा सकें।

श्री रतन लाल कटारिया : सर, सबसे पहले तो मैं एक क्षमा याचना मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आप प्रश्न बोलिए।

श्री रतन लाल कटारिया : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ई-श्रम पोर्टल तैयार किया गया है, क्या इसी तर्ज पर, स्वावलंबी भारत के लिए, जो रोज़गार के अवसर प्रदान कराने के जो विभिन्न एवन्यू देश के अंदर प्राप्त हैं, क्या ऐसे क्षेत्रों में भी काम कर के उनको ई-श्रम पोर्टल के ऊपर लाया जाएगा?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने पूर्व जवाब में पहले ही कहा है नैशल करियर सर्विस – एनसीएस पोर्टल को, स्किल इंडस्ट्री के पोर्टल को और एमएसएमई के पोर्टल को इसके साथ इंटिग्रेटिड किया गया है। ताकि रोज़गार और स्क्रिल के जो भी अवसर हों, वे ई-श्रम के साथ जोड़े जा सकें। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है और कार्य पूरा भी किया है।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से कहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी 8 करोड़, 29 लाख, 88 हज़ार और 73 मज़दूरों का, जो असंगठित मज़दूर हैं, उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रधान मंत्री जी ने श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत भी इंटिग्रेट किया जा रहा है और एनसीएस के साथ भी इंटिग्रेट किया जा रहा है।

इन्होंने जो एनसीएस की जो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है कि जिसमें असंगठित कामगारों को उनकी नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा, उनके कौशल, शिक्षा और अनुभव के आधार पर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों में उत्तर प्रदेश के या सिद्धार्थनगर के उन श्रमिकों को जिन्होंने एनसीएस के साथ इंटिग्रेट किया है, कितने लोगों को रोज़गार प्रदान करने का काम किया है?

माननीय अध्यक्ष : यह तो एक अच्छा प्रयास है कि सभी श्रमिकों का ई-श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर हो जाए, ताकि जिसको आश्यकता हो, उसमें से ले ले। इसमें सबको रोज़गार थोड़ी मिल जाएगा?

माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिला कर जो उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन है, हमने जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, उसका प्रदेश के अनुसार भी डाटा है, डिस्ट्रिक्ट के अनुसार भी डाटा है और तहसील के अनुसार भी डाटा है । उसके अतिरिक्त भी अन्य जो क्षेत्र हैं, 400 से ज्यादा ऑक्युपेशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करने वाले का एक ऑक्युपेशन है, डोमेस्टिक सैक्टर है, कंस्ट्रक्शन सैक्टर है, ये जो एपेरल इंडस्ट्री में काम करते हैं, मिस्लेनियस वर्क है, ऑटोमोबाइल, लैदर, एजुकेशन, हैल्थकेयर, रीटेल, टबैको और फूड इंडस्ट्री आदि है। तो इनको ऑक्युपेशन वाइज़ भी कर रखा है। अगर माननीय सदस्य अपने पर्टिक्युलर क्षेत्र का, या जिले का जो डाटा जानना चाहेंगे, वह भी हमारी व्यवस्था में उपलब्ध है। हम उनके साथ शेयर कर देंगे।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, the Government has revolutionised collecting data relating to organised and unorganised sectors. During the rule of

this Government, two major steps have been taken to identify the occupational safety of workers and the social security of workers. Keeping the e-*Shram* portal in view, this is a great stride, I think, the Government has taken. After collecting the data from different spheres, it is easy for the Government to have different programmes, both at the Union Government and at the State Governments. I would like to understand -- when we are talking about social security measures for the unroganised sector, leaving aside domestic workers, which we have not brought in yet -- after bringing in this data, how are you going to reduce the provident fund/ESI, especially for this section of the unorganised sector that has registered itself in the e-*Shram* portal?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि अनऑर्गनाइज़्ड सैक्टर के जो वर्कर्स हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी की विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, एक्सिडेंट के क्षेत्र में, उनको जरूरत है **।** इससे पहले जो प्रश्न था, मैंने सरकार की योजनाओं को बताया था कि सरकार के द्वारा भी माइग्रेंट और अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स का एक बड़ा सर्वे भी लेबर ब्यूरो के माध्यम से करवाया जा रहा है। इनकी सोशल सिक्योरिटी को जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जैसे स्कीम चलती है, बीड़ी वर्कर्स के लिए अलग से स्कीम चलती है। बीओसी वर्कर्स के लिए, जो बिल्डिंग वर्क कंस्ट्रक्शन है, उनके लिए अलग से स्कीम चलती है। उनको भी इंटिग्रेटिड कर के इसी के साथ जोड़ने पर कार्यवाही की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सौमित्र खान जी, पहले मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्य, इतना सा अग्रह है कि जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहा है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने हाथ खड़ा किया तो मैंने देख लिया। अगर मैं उचित समझूंगा तो बुला लूंगा।

अब प्रश्न पूछिए।

श्री सौमित्र खान : ठीक है सर। आज पश्चिम बंगाल के जितने भी कर्मचारी हैं, वे रास्तों पर बैठ कर धरना कर रहे हैं, उनका हंगर स्ट्राइक चल रही है। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने सारे वर्कर्स अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर में से कितने वर्कर्स ने पोर्टल पर पश्चिम बंगाल से रजिस्टर किया है? पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, सेंट्रल गवर्मेंट डायरेक्ट, उन लोगों को डीए नहीं मिल रहा है। क्या इसका कोई प्रावधान है?

SHRI KALYAN BANERJEE: Sorry, Sir, this question cannot be raised.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

मै आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ई-श्रम पोर्टल पर पश्चिम बंगाल से रजिस्ट्रेशन का विषय है, मैंने अपने उत्तर के जवाब में भी कहा है कि 2 करोड़, 57 लाख, 42 हज़ार, 622 श्रमिक अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर में रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो विषय है, उनका संज्ञान ले कर मैं जवाब दूंगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आपका कोई प्रश्न है?

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, we are sitting. It does not mean that whatever they want, they would ask. Relevance is required. That is about the State Government employees. That does not have any correlation. This matter is pending with the Supreme Court. ...*(Interruption).*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 148 – श्री संजय भाटिया जी – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखें।

… (व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सर, उत्तर सभा पटल पर के ऊपर रखा गया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ ऐसे न बोलें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 149, श्री एस. वेंकटेशन – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखें।

... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर सभा पटल पर रखती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ आप आपस में चर्चा न करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, यह नगरपालिका मत बनाओ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सब कोई रेकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान) ...*

माननीय अध्यक्ष : आपस में क्यों चर्चा करते हो, क्यों डिबेट करते हो?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कमलेश पासवान – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 150

श्री विजय कुमार दुबे।

(Q.150)

श्री विजय कुमार दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जिस तरह से कोविड महामारी के समय सभी विभागों पर प्रभाव पड़ा, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, कलाकार भी बेरोज़गार हुए, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने कोविड-19 को अवसर में बदलते हुए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया था। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घड़ी देख लिया कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री विजय कुमार दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कुशीनगर के ऐसे कलाकार जो बेरोज़गार हो गए और अन्य बेरोज़गारों को रोज़गार हेतु क्या कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के विकास को आगे बढ़ा कर और स्वदेश दर्शन की नई स्कीम में सम्मिलित करा कर ऐसे बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे?

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 के दौरान भी सरकार ने बहुत काम इस विषय पर किया है। जिन भी लोगों ने आवेदन दिया है, उन लोगों को या आर्टिस्ट्स को सेलेक्ट कर के एक्सपर्ट कमिटी द्वारा ग्रांट्स दिए गए, डिस्बर्समेंट किए गए और उनको रोज़गार का प्रावधान किया गया।

12.00 hrs

महोदय, संस्कृति मंत्रालय, कला संस्कृति विकास योजना चलाता है, जिसके तहत वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोग कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे बेरोज़गारी के शिकार थे, तो अगर उन्होंने इन्टरनेट आदि का उपयोग करके वर्चुअल माध्यम से उस पर काम किया तो उनको भी हम लोगों ने इसके बेनिफिट्स दिए। रेपर्टरी ग्रांट्स स्कीम के तहत भी इंस्पेक्शन करके उन्हें ग्रांट्स दिए गए। एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफर के तहत भी इस पर काम किया गया और

कल्चरल फंक्शन एण्ड प्रोडक्शन ग्रांट (सी.एफ.पी.जी.) स्कीम के तहत भी यह सब दिया गया ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राजा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गलत बात मत कीजिए। वे बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय प्रधान मंत्री जी का खास आग्रह था कि इस पर काम किया जाए।... (व्यवधान) ऐसे जितने भी हमारे ज़ोनल कल्चरल सेन्टर्स हैं, उनके माध्यम से इन स्कीम्स को लागू किया गया।

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 151 to 160
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840)
(Page No. 40 to 732)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

… (व्यवधान)

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। चेयर से व्यवस्था दे दी गयी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, केवल मेरी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

… (व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री कैलाश चौधरी जी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 8987/17/23]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 3, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

(2) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 8988/17/23]

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Law and Justice for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 8989/17/23]

12.03 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2023-2024.

(2) Output-Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 8990/17/23]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8991/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8992/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8993/17/23]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 और 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.4410(अ) जो 21 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना सं. का.आ.83(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.4411(अ) जो 21 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना सं. का.आ.84(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8994/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8995/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) भारी उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8996/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8997/17/23]

(ख) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8998/17/23]

(ग) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8999/17/23]

(घ) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9000/17/23]

(ङ) (एक) भारत पंम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पंम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिकप्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9001/17/23]

(च) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9002/17/23]

(3) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9003/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9004/17/23]

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 6010(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न/ नकदी अंतरण के हितलाभ प्राप्त करने के लिए आधार सं./आधार प्रमाणन की आवश्यकता को शामिल किए जाने की तारीख को 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया जाना है, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9005/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022, जो 25 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.847(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिंदी अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 6 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.865(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सेकंड-इन-कमांड (इंजीनियर), समूह 'क'

पद, भर्ती नियम, 2022, जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, प्रकाशन और मुद्रण काडर, समूह 'ख' पद और 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो 19 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अतिरिक्त न्यायाधीश महान्यायवादी (कमांडेन्ट), वरिष्ट उप न्यायाधीश महान्यायवादी (सेकंड-इन-कमांड), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2023, जो 19 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग काडर, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2022, जो 21 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.896(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9006/17/23]

(2) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेन्ट (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2023, जो 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.27(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9007/17/23]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.607(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9008/17/23]

(5) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (ड्रॉफ्ट्समैन) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9009/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, on behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of The Securities Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Procedure for Board Meetings) (Amendment) Regulations, 2022, published in Gazette of India Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/110 dated 9th December, 2022.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Registrar to an Issue and share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2023, published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/112 in dated 9th January, 2023.

(iii) The Securities Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023, published in Gazette of India in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113 dated 9th

January, 2023.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023, published in Gazette of India in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/114 dated 13th January, 2023.

(v) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023, published in Gazette of India Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117 dated 17th January, 2023.

(vi) The Securities and Exchange Board of India Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2023, published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/118 dated 17th January, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9010/17/23]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) S.O.6168(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2022, together with an explanatory memorandum notifying revision of Tariff Value on edible oils, Brass scrap, Gold, Silver and Areca Nuts, based on international prices.

[Placed in Library, See No. LT 9011/17/23]

(ii) Notification No. 02/2023-CUSTOM(N.T.) dated 5th January, 2023, together with an explanatory memorandum notifying revised

rates of exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or vice-versa for imported and exported goods.

[Placed in Library, See No. LT 9012/17/23]

(iii) S.O.259(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2023, together with an explanatory memorandum notifying revision of Tariff Value on edible oils, Brass scrap, Gold, Silver and Areca Nuts, based on international prices.

[Placed in Library, See No. LT 9013/17/23]

(iv) Notification No. 05/2023-CUSTOM(N.T.) dated 19th January, 2023, together with an explanatory memorandum notifying revised rates of exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or vice-versa for imported and exported goods.

[Placed in Library, See No. LT 9014/17/23]

(v) S.O.459(E) published in Gazette of India dated 31st January, 2023, together with an explanatory memorandum notifying revision of Tariff Value on edible oils, Brass scrap, Gold, Silver and Areca Nuts, based on international prices.

[Placed in Library, See No. LT 9015/17/23]

(vi) The Customs (Assistance in Value Declaration of Identified Imported Goods) Rules, 2023 published Notification No. G.S.R.19 (E) in Gazette of India dated 11th January, 2023

together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 9016/17/23]

(vii) G.S.R.67(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9017/17/23]

(viii) G.S.R.68(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No.11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021.

(ix) G.S.R.69(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No.11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018.

(x) G.S.R.70(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No.13/2021-Customs dated 1st February, 2021 and 34/2022-Customs dated 30th June, 2022 related to Social Welfare Surcharge.

(xi) G.S.R.71(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the three notifications, mentioned therein.

(xii) The Project Imports (Amendment) Regulation, 2023 published in G.S.R.72(E) in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum.

(xiii) G.S.R.73(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April, 2022.

(xiv) G.S.R.74(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 57/2000-Customs dated 8th May, 2000 which exempts gold, silver and platinum imported under specified schemes.

(xv) G.S.R.75(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 146/94-Customs dated the 13th July, 1994 to extend the exemption benefit to Warm blood horse for equestrian sports and extend the validity of said notification up to the 31st March, 2028.

(xvi) G.S.R.76(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification Nos. 90/2009-Customs dated the 7th September, 2009, 33/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, and 41/2017-Customs, dated the 30th June3, 2017 to extend the

validity of said notifications up to the 31st March, 2028.

(xvii) G.S.R.77(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the thirty-two notifications, mentioned therein.

[Placed in Library, See No. LT 9018/17/23]

(3) A copy of the Notification No. G.S.R.50(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th January, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 43/2023-Customs (ADD) dated 9th August, 2021 under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

[Placed in Library, See No. LT 9019/17/23]

(4) A copy of the Notification No. G.S.R.78(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st February, 2023, together with an explanatory memorandum seeking to exempt Compressed Natural Gas from so much of the duty of excise leviable on amount of GST paid on Biogas or Compressed Biogas which is blended with CNG under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944.

[Placed in Library, See No. LT 9020/17/23]

(5) A copy of the Notification No. G.S.R.08(E) (Hindi and English versions) in Gazette of India dated 4th January, 2023, together with an explanatory memorandum seeking to assign powers of Superintendent of central tax to Additional Assistant Directors in DGGI, GDGST and DG Audit under

Section 166 of the Central Goods and Service tax Act, 2017

[Placed in Library, See No. LT 9021/17/23]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873:-

(i) The Kisan Vikas Patra (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.52(E) in Gazette of India dated 27th January, 2023.

(ii) The National Savings Time Deposit (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.53(E) in Gazette of India dated 27th January, 2023.

(iii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.54(E) in Gazette of India dated 27th January, 2023.

(iv) The National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.55(E) in Gazette of India dated 27th January, 2023.

(v) The Senior Citizens' Savings (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.56(E) in Gazette of India dated 27th January, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9022/17/23]

(7) A copy of the Draft Notification No. F.No. 3/4/2022-EM (Hindi and English versions) directing that the certain provisions of the Special Economic

Zones Act, 2005 shall apply to a financial Institution with certain modifications, mentioned therein, under sub-section (2) of Section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 9023/17/23]

(8) A copy of the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.03(E) in Gazette of India dated 2nd January, 2023 under sub-section (3) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 9024/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2023-2024.

(ii) Output-Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9025/17/23]

(2) A copy of the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.868(E) (Hindi and English versions) in Gazette of India dated 8th December, 2022 under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005.

[Placed in Library, See No. LT 9026/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर की ओर, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल स्किल वोकेशनल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्किल वोकेशनल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9027/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): I beg to lay on the Table a a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9028/17/23]

(2) Output-Outcome Monitoring Framework of the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9029/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Textiles for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9030/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2020-2021, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9031/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the West Zone Cultural Centre, Udaipur, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the West Zone Cultural Centre,

Udaipur, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 9032/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 9033/17/23]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Library of Tibetan Works & Archives, Dharamshala, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Library of Tibetan Works & Archives, Dharamshala, for the year 2021-2022.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9034/17/23]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, West Kameng District, Arunachal Pradesh, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, West Kameng District, Arunachal Pradesh, for the year 2021-2022.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 9035/17/23]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Buddhist Cultural Studies, Tawang Monastry, Tawang, Arunachal Pradesh, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Buddhist Cultural Studies, Tawang Monastry, Tawang, Arunachal Pradesh, for the year 2021-2022.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 9036/17/23]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष

2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9037/17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9038/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, राजस्थान (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, राजस्थान (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9039/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9040/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, to lay on the Table:-

(1) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020, alongwith audited accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9041/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अजय भट्ट की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[Placed in Library, See No. LT 9042/17/23]

(2) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 9043/17/23]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): सभापति महोदय, मैं सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9044/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9045/17/23]

(2) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9046/17/23]

(4) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9047/17/23]

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ((केवल) ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-18/2017 (सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 जो 7 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-3/2021 (क्यूआईपी) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9048/17/23]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9049/17/23]

(9) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9050/17/23]

(11) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष

2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9051/17/23]

(13) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9052/17/23]

(15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9053/17/23]

(17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9054/17/23]

(19) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9055/17/23]

(21) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9056/17/23]

(23) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9057/17/23]

(25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9058/17/23]

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9059/17/23]

(29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9060/17/23]

(31) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9061/17/23]

(33) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9062/17/23]

(35) ईडीसीआईएल (इंडिया) तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9063/17/23]

(36) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता विनियम, 2022 जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआईएमसी-आरईजीडी(बीओ)/बीओजी-251/2022 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9064/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री बिश्वेश्वर टुडु की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) वापकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वापकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9065/17/23]

(ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9066/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9067/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2021-2022.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9068/17/23]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2021-2022.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9069/17/23]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2021-2022.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 9070/17/23]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2021-2022.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 9071/17/23]

———

12.07 hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दिनांक 08.02. 2023 को हुई नौंवी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———————

12.08 hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Study Visit Report

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to lay on the Table the Study Visit Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Panaji, Bhubaneswar and Raipur from 11th January, 2023 to 16th January, 2023.

———————

12.09 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन जिन माननीय सदस्यों को अपना विषय रखने की अनुमति प्रदान की गई है, वे कृपया अपना विषय लिखित रूप में सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

(i) Regarding revision of pay and pension of serving and retired employees of NABARD

*__श्री गणेश सिंह (सतना):__ मैं मंत्री जी का ध्यान नाबार्ड बैंक की ओर दिलाना चाहता हूं। देश का नाबार्ड बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर करके बनाया गया था उस समय जो सेवा शर्ते कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए बनाई गई थी वे रिजर्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुकूल थी। लगातार 40 वर्षों तक साथ विभिन्न समझौतों के तहत आरबीआई के अनुरूप किया जाता रहा है। वर्ष 2001 में संसद के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि आरबीआई के तर्ज पर ही कर्मचारियों का वेतन और भत्ता एक जैसा है उसका गजट भी प्रकाशित हुआ था वर्तमान में डी.एफ.एस. ने जो वर्ष 2017 से 2022 का वेतन संशोधन को स्वीकृत किया है वह आरबीआई से अत्यंत कम है ऐसा क्यों किया गया जबकि नाबार्ड सक्षम बैंक है तथा बीआर 1949 के तहत बैंकों का पर्यवेक्षण के साथ-साथ ग्रामीण ऋण का पुनर्वित्त का कार्य भी कर रहा है। आज देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के जन कल्याणकारी कई महत्वपूर्ण कार्य नाबार्ड ही कर रहा है।

पेंशन का रिवीजन वेतन के संशोधन के साथ नहीं हो रहा है उससे बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई है। पूर्व में रिटायर हुए सीजीएम की पेंशन उनके जूनियर से काफी कम हो गयी है क्या वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक की पूर्व शर्तों के आधार पर वेतन एवं पेंशन पर डी.एफ.एस. निर्धारण पर पुनर्विचार करेगा

* Treated as laid on the Table.

नाबार्ड बैंक के कर्मचारियों का मनोबल बहुत कमजोर हो चुका है। वे न्याय की बाट जोह रहे हैं। नाबार्ड एवं आरबीआई दोनों का स्तर एक है।

अतः सरकार उपरोक्त विषय पर सकारात्मक कार्रवाई हेतु आवश्यक कदम उठाए ।

———————

माननीय सभापति : शून्य प्रहर, श्री रामदास तडस जी।

श्री रामदास तडस (वर्धा): सभापति जी, धन्यवाद। मेरा सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना है कि महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा के अधीन काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का वेतन विगत 5 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। यह गम्भीर मामला है। पूरे महाराष्ट्र में कुल 6,251 संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनका वेतन पांचवें वेतन आयोग के हिसाब से तय किया गया है जबकि अभी सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है।

महोदय, आपसे निवेदन है कि सभी कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देने हेतु प्रस्ताव करने के लिए वर्ष 2020-21 के फ्रेम वर्क में, पेज नंबर 322 के बीआरसी / सीआरसी में लिखे गये क्लॉज को हटाना जरूरी है। इसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार वेतन बढ़ोत्तरी पर विचार कर पायेगी।

अत: आपसे निवेदन है कि इतनी बड़ी तादाद के संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन बढ़ोत्तरी करवाने की कृपा करें। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जो माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन अपने विषय का वाचन करना चाहते हैं, तो भोजनावकाश के पश्चात उनको अवसर प्रदान किया जाएगा, आप वैसा भी कर सकते हैं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी : उपस्थित नहीं।

श्री तीरथ सिंह रावत जी।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जोशीमठ में गत माह में जो भूधंसाव हुआ था, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जोशीमठ एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में बार्डर के निकट, बद्रीनाथ के पास, औली के पास है। बद्रीनाथ में जब 6 महीने के लिए पूजा-पाठ बंद हो जाता है तो वह जोशीमठ में होती है। औली इसके बगल में है। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र नीती, माणा, बार्डर के पास है। इसलिए, इस संस्थान का रख-रखाव, सुरक्षा, रक्षा अनिवार्यता हो जाती है।

मान्यवर, पिछले माह जब भूधंसाव हुआ तो 25-30 पर्सेंट वहां उसका प्रभाव हुआ। यह प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में हुआ। इससे वहां पानी का रिसाव हुआ। पानी के रिसाव के कारण मकानों में दरारें आना, कई मकानों का ध्वस्त होना, होटलों का बह जाना, यह देखा गया। जिस तरह से उसकी बातें मढ़ी गयीं, यह लगा कि जोशी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जोशीमठ में अपनी दैनिक दिनचर्या, मार्केट सब तरह से चल रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कल बद्रीनाथ के पट दो महीने के बाद खुलेंगे तो लोगों को डर न सताये। वह स्थान अभी भी सुरक्षित है। इस मामले में प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने संज्ञान लिया और तत्काल एक अध्ययन दल भेजा, केंद्रीय कमेटी बनाई, जिसने इसका अध्ययन किया। माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया। इसके लिए वहां क्या हो सकता है, वह सब करने का काम किया। उनका ठहराव, रख-रखाव, कैसे विस्थापित करना है, प्रदेश सरकार लगातार उस काम को कर रही है। शासन-प्रशासन पूरी तरह से इस काम में लगा है और लोगों को राहत देने का काम किया है।

सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए यह बात कही क्योंकि कल बद्रीनाथ और केदारनाथ के पट खुलेंगे और लोग वहां जाएंगे, कहीं भय न पैदा हो। मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि जितनी समस्या थी नहीं, उससे ज्यादा बनायी गयी।

मान्यवर, मैं पुन: माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और प्रभावित लोगों के लिए लगातार व्यवस्था हो रही है। उस क्षेत्र के लोगों की कैसे रक्षा हो सकती है, वह सब काम चल रहा है।

मेरा इतना कहना है कि इस संबंध में केन्द्रीय कमेटी द्वारा अध्ययन हुआ है और पुनर्वास बसाने की बात हुई है। वहां पहाड़ में जो स्थानीय नगर निकाय हैं, इसके दूरगामी परिणाम को देखते हुए वहां के लिए एक मास्टर प्लॉन बनाने का काम करें। जिससे आगे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। नमस्कार, थैंक्यू।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में एक सोई हुई राज्य सरकार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनता के हित में कुछ योजनाएं बनाकर निर्णय लिए गए थे। 148ए राजमार्ग से जौनापुर मांडी रोड के चौड़ीकरण एवं उसी मार्ग पर सिंगापुर विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र को राजनीतिक विद्वेष के कारण लटका दिया गया है। अब उन्हें निरस्त करने का भी प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है।

उस मार्ग पर लगभग 5 गांवों की आबादी 5 गुना बढ़ गई है और उसी रफ्तार से यातायात भी बढ़ रहा है। उस मार्ग का चौड़ीकरण करना था, वहां प्रतिदिन हजारों लोग भीषण जाम की समस्या से जूझते हैं। राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी द्वारा योजना के तहत उक्त मार्ग को चौड़ा करना था। वर्ष 2012 में यह प्रोजेक्ट 597 करोड़ रुपये में 9 किलोमीटर लम्बा बनाया जाना था। राज्य की जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन रसूखदार लोगों के दबाव में आकर इसे रोक दिया गया।

जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल विकास के लिए पूरे देश के अंदर अलग-अलग केन्द्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में नौजवानों के कौशल को निखार कर उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य को रोजगार देने का भी प्रयास हुआ है। देश में इसी प्रकार कि केन्द्र सरकार स्थापित कर रही है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार उक्त कौशल विकास केन्द्र को लटकाये हुए है, जबकि इस कौशल केन्द्र को 2 जुलाई, 2012 में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी। 18 सितम्बर, 2012 को राजस्व एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया था।

24 दिसम्बर, 2014 को शहरी विकास मंत्री ने भूमि के भू प्रयोग को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से परिवर्तित कर दिया था, जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। इसे शहरी विकास मंत्री जी ने कराया था। उसके बाद 30 करोड़ 28 लाख रुपये ग्राम सभा जौनापुर खाते में जमा भी कर दिए गए थे।

उसके बाद मार्च, 2015 में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सरकार पर दबाव बनाकर 2 करोड़ 74 लाख रुपये स्वीकृत भी किए। मार्च, 2017 में भवन निर्माण हेतु 254 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

सभापति महोदय, वर्ष 2012 से 2023 आ गया और 12 वर्ष बीत गए। लोगों के हित में और युवाओं के भविष्य से जुड़ी इन योजनाओं, चाहे कौशल विकास केन्द्र हो या जौनापुर मार्ग को 100 फुट चौड़ीकरण करके फरीदाबाद से जोड़ना हो, इन सभी कार्यों को लटकाया जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर दबाव बनाए वरना ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त करे जो जनता के हित में काम नहीं कर पाती है ताकि ये काम पूरे किए जा सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Chairperson, Sir, all the trains running between Bengaluru and some places in Kerala are always having excess passengers in all the classes, and in most of time, they do not get confirmed tickets. Due to this, passengers bound to travel to these destinations are forced to travel by road despite their dislikes.

Therefore, there is an urgent need to introduce a daily Vande Bharat Express Train between Bengaluru and Kozhikode, *via* Palakkad and Shoranur.

Palakkad and Shoranur are two important railway junctions of Southern Railway, and the number of passengers who are bound to travel between Bengaluru and Kozhikode from these places, is quite enormous.

Therefore, I urge upon the hon. Railway Minister to introduce a daily Vande Bharat Express Train between Bengaluru and Kozhikode, and vice versa urgently.

Thank you.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): धन्यवाद सभापति महोदय । मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों परियोजनाएं चलाई गई हैं। हमारे जितने भी आंकाक्षी क्षेत्र हैं, उनमें उस आकांक्षा के अनुरूप सिंचाई की सुविधा, हाइवे आदि सब कुछ हमें मिल रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड में केन-बेतवा रिवर लिकिंग के भारत सरकार ने 90-10 के अनुपात 46 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है।

मैंने एक बात पहले भी सदन में कई बार उठायी है कि बुंदेलखंड को हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिग एग्रो इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेवलप किया जाए । उसमें भारत सरकार द्वारा वहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात की व्यवस्था की जाए। मोदी जी के कारण इस वर्ष को 'मिलेट वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार की अनेकों परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ मिल रहा है,

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह है, चूंकि बुंदेलखंड एक विशेष प्रकार की संस्कृति और विशेष प्रकार का क्षेत्र है, इसको केवल जमीन के भू-भाग का एक टुकड़ा न समझा जाए। डिमांड तो अनेक प्रकार की रहती हैं, लेकिन पूरे देश और प्रदेश को साथ मिलाकर वे पूरी नहीं हो पाती हैं।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जो भारत सरकार की, श्रद्धेय मोदी जी और योगी जी की मंशा है, उस आधार पर पूरे बुदेलखंड में ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के लिए, वहां पर रोजगार, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में बिजली में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे अमरोहा लोक सभा क्षेत्र में बिजली को लेकर लोग इतने परेशान हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वहां पर जिस तरीके से रोज तार टूटते हैं और ट्रांसफार्मर्स फूंकते हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, बीजेपी वालों को क्या परेशानी है? ये जनहित के मुद्दे भी नहीं उठाने देते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए। आप उधर क्यों ध्यान देते हैं।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : महोदय, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात बोलिए !

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : महोदय, जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो इनको बिजली लगती है। पता नहीं इनको कौन-सा करेंट लग जाता है।

माननीय सभापति : आप चेयर की तरफ ध्यान दीजिए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पिछले हफ्ते अपने लोक सभा क्षेत्र नौगांवा सादात में गया था। वहां पूरे तार जर्जर हैं। वहां जो लीड्स हैं, वे फूंकी हुई हैं और ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं। वहां व्यवस्था बहुत ही खराब है।

सभापति महोदय, जब किसान नया ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने जाता है तो उससे कहा जात है कि आप पैसा जमा कीजिए। आप दो लाख-तीन लाख का एस्टीमेट जमा कीजिए। वह किसान कहां से देगा? आप किसानों के ट्यूबवेल्स पर बिजली के मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, वह तो अच्छा हुआ

कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले हफ्ते अडाणी का टेंडर होने वाला था, वह कैंसिल हो गया। जो मीटर बहुत तेजी से चलता है और दुगुना बिल लेता है, वैसे मीटर्स वहां लगाए जा रहे हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से अमरोहा लोक सभा क्षेत्र, जिसमें हापुड़ जिले का भी 40 परसेंट पार्ट आता है, उसमें जो पुराने जर्जर तार हैं, उनको तुरंत बदलवाया जाए और ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था की जाए। जनता बिजली का बिल देती है, लेकिन बिल देने के बाद भी उसको रात-रात भर और पूरा-पूरा दिन बिजली नहीं मिल पाती है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अमरोहा लोक सभा में बिजली के जो तार हैं, उनको बदलवाया जाए और जनता को राहत दिलाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت اہم مُدعہ اُٹھانے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی میں ریفارمس کی بات ہو رہی ہے، میں جس حلقہ سے آتا ہوں، میرے امروہہ پارلیمانہ حلقہ میں لوگ بجلی کو لیکر اتنے پریشان ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہاں پر جس طریقے سے روز تار ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹرانسفارمر پھُک جاتے ہیں۔ (مداخلت)۔۔

چیرمین صاحب، بی۔جے۔پی۔ والوں کو کیا پریشانی ہے؟ یہ مفاد عامہ کے مدعے بھی نہیں اُٹھانے دیتے ہیں۔ (مداخلت)۔۔ جناب، یہ ڈِسٹرب کر رہے ہیں۔

چیرمین صاحب، جب میں بولنے کے لئے کھڑّا ہوتا ہوں ان کو بجلی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں ان کو کونسا کرنٹ لگ جاتا ہے۔ جناب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے ہفتہ اپنے پارلیمانہ حلقہ نوگاواں سادات گیا تھا۔ وہاں پورو تار جرجر حالت میں ہیں۔ وہاں جو لیڈس ہیں وہ پھوکی ہوئی ہیں، اور ٹرانسفارمرس نہیں ہیں۔ وہاں ویوستھا بہت ہی خراب ہے۔

چیرمین صاحب، جب کسان نیا ٹیوب ویل کا کنیکشن لینے جاتا ہےتو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ پیسہ جمع کیجئے۔ آپ دو لاکھ تین لاکھ کا ایسٹیمیٹ جمع کیجئے۔ وہ کسان کہاں سے دےگا؟ آپ کسانوں کے ٹیوب ویلس پر بجلی کے میٹر لگانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اچھا ہوا کہ اتر پردیش میں جو پچھلے ہفتےاڈانی کا ٹینڈر ہونے والا تھا، وہ کینسل ہو گیا۔ جو میٹر بہت تیزی سے چلتا ہے اور دوگُنا بِل لیتا ہے، ویسے میٹر وہاں لگائے جا رہے ہیں۔

میری آپ کے ذریعہ سے سرکار سے یہ مانگ ہے کہ اتر پردیش کے اندر، خاص طور سے امروہہ پارلیمانی حلقہ، جس میں ہاپوڑ ضلع کا بھی 40 فیصد حصّہ آتا ہے، اس میں جو پُرانے جرجر تار ہیں، ان کو فوراً بدلوایا جائے اور ٹرانسفارمر کی ویوستھا کی جائے۔ عوام بجلی کا بِل دیتی ہے، لیکن بِل دینے کے بعد بھی اس کو رات۔رات بھر اور پورا پورا دن بجلی نہیں ملتی ہے۔

میری آپ کے ذریعہ سے سرکار سے یہی مانگ ہے کہ اتر پردیش کے اندر امروہہ لوک سبھا پارلیمانی حلقہ میں بجلی کے جو تار ہیں، ان کو بدلوایا جائے اور عوام کو راحت دلائی جائے۔ بہت بہت شکریہ ۔]

माननीय सभापति : एडवोकेट अदूर प्रकाश जी – उपस्थित नहीं ।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल जी।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। लद्दाख पार्लियामेंटरी कांस्टिट्यूएंसी, जिसमें पूरा लद्दाख है, वह एक बर्फीली जगह है। खासकर, इस सर्दी के मौसम में हमारे लेह-श्रीनगर और लेह-मनाली दोंनों हाइवेबर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं।

केवल एयर ट्रांसपोर्ट ही ऐसा साधन है, जो कि लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी और कंपल्शन हो जाता है। उसकी वजह से मेरे यहां के जितने भी पेशेंट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, वृद्ध लोग या स्टूडेंट्स हैं, उनको उसी जहाज से जाना पड़ता है। उसके अलावा वहां अन्य कोई सुविधा नहीं है। आजकल मौसम की खराबी के कारण या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या एयरपोर्ट छोटा होने के कारण या बेय पार्किंग नहीं मिलने के कारण, ऐसे अलग-अलग कारणों से डेली शेड्यूल फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। जो अलग-अलग एयरलाइन्स हैं, वे एडिशनल फ्लाइट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं।

लद्दाख के हजारों लोग दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और श्रीनगर में जाते हैं, ऐसे में गरीब लोग, खासकर बुजुर्ग और पेशेन्ट्स को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। अलग-अलग एयरलाइन्स के ग्राउंड स्टॉफ्स की मिसहैंडलिंग के कारण उनको और भी तकलीफ होती है। वे न ही उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और न ही एयरपोर्ट पर खाना-पानी आदि कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मौसम के कारण फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन पैसेंजर्स को ठीक तरह से डील किया जाए। वहां जल्दी से जल्डी एडिशनल फ्लाइट्स प्रोवाइड कराई जाएं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह भी मांग है कि जो इग्जिबिटिंग एयर फेयर है, कुछ एयरलाइन्स इसका दुरुपयोग करती हैं। वे इसका गलत फायदा उठाती हैं और टिकट्स के दाम तुरंत ऊंचे कर दिए जाते हैं। अभी आप ऑनलाइन चेक करेंगे, तो एयरलाइन्स वाले 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये और 80,000 रुपये तक की टिकट्स की बिक्री करते हैं, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, जिनको अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। 20 तारीख को स्टूडेंट्स का बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन वे अभी फंसे हुए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और कंसर्न अथॉरिटीज़ से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इग्जिबिटिंग एयर फेयर को कम किया जाए। नुब्रा और कारगिल के लिए जो आर्मी की एयर सर्विस चलती थी, उसको तुरंत रिवाइव करने की आवश्यकता है। वहां पर हमारे जितने भी पैसेंजर्स फंसे हुए हैं, उसमें टूरिस्ट्स हैं, उसमें आर्मी के वेटरेन्स हैं, पेशेंट्स, पिलग्रिम्स और वृद्ध लोग हैं, सरकार उनको तुरंत इवैक्यूट करने पर गौर फरमाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करना चाहता हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप स्लिप भिजवा दीजिए।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the plight of paddy growers of Kerala is worsened by the reluctance of the Central Government to allot its portion of Rs. 580 crore and State Government's non-payment of Rs. 460 crore towards the sum required to be disbursed through supplyco for paddy farmers in Kerala and the banks consortium deducting its previous loan liabilities of supplyco from the current tranche of allocation. The paddy farmers of Kuttanad, Kerala, who are from my constituency, are yet to be paid a sum of Rs. 53 crore towards payment of rice procured and a similar situation is threatening the very survival of paddy farmers of Kerala.

The Government must release the pending portion of allocation and ensure that the interests of paddy growers are protected and their dues paid immediately. But the Ministry of Civil Supplies and Consumer Affairs of the Central Government is deliberately delaying the portion of the Central Government to the State Government. The State Government is also waiting for the allocation of the Central Government. If the allocation of the Central Government is not reaching the State Government at the proper time, the State Government will not be able to allocate their share. So, the allocations of the Central Government and the State Government must come together so that the State Government can deliver its share. The problem is very serious. The income of the farmers is dependent only upon the price of paddy. If the Government of India is delaying the payment, then it will create more problems.

The wilful neglect and intended omission displayed by banks in enrolling farmers in the Crop Insurance Scheme is another matter of importance.

HON. CHAIRPERSON: Only one matter should be addressed.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, it is a related matter. This matter is also relating to farmers. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana of the Union Government has put lakhs of farmers in peril as they stand excluded and out of the ambit of insurance. The situation is particularly grave among Kerala's paddy farmers who have been struggling to sustain farming due to repeated floods, crop loss and water logging. The Government must engage in retrospective inclusion of farmers who have been unknowingly revoked of their right to insurance by banks that wilfully abstained from their duty of informing and enrolling the farmers to the Insurance Scheme.

माननीय सभापति : डॉ. सुकान्त मजूमदार जी– उपस्थित नहीं।

श्री रवनीत सिंह जी।

*SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Today, I am going to speak about an important part of Government-the Anganwadi workers. The entire House will agree that the Anganwadi workers have played a pivotal role during Corona times.

माननीय सभापति: इससे इस बात का क्या संबंध है? आप अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: रवनीत जी, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो उनकी बात कहिए।

… (व्यवधान)

SHRI RAVNEET SINGH: Whether it is providing ration to needy or providing vaccination to people, they did a wonderful job in each and every village of the country. Different Schemes of States and Central Government are implemented in all households by the Anganwadi workers. Small children are taken care of and educated by Anganwadi workers and helpers. A lot of them are widows and divorcees. Some very old women are still working as Anganwadi workers. However, they do not get any pension. Honorarium is not given to them. Facilities given to them are paltry and dismal. Earlier, they came to meet the MPs in thousands. It was bitter cold season. Sir, prices of essential commodities have sky-rocketed since 2011. We have not been able to raise their salaries which is a meager sum. Please do not feel bad about what I am going to say. For Adani, we are ready to provide huge bank loans (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप दोबारा मिथ्या बात जोड़ रहे हैं। नो, नो। यह बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप एक गलत बात जोड़ रहे हैं, अनावश्यक बात जोड़ रहे हैं।

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

… (व्यवधान) … **

माननीय सभापति: आप केवल आंगनवाड़ी वर्कर्स से संबंधित बात रखिए और अपनी बात को खत्म कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : I agree. When Hon. Finance Minister is providing so much money to the big industrialist Adani, what is the problem in providing more money to Anganwadis. In the end, let me say that salaries of all including I.A.S. officers is increased periodically. But, not the Anganwadi workers.

It is important that the Government announces an honorarium or allowance along with an increased salary for Anganwadi workers. Their salaries should be increased keeping in view the price-rise and inflation.

Thank you.

** Not recorded

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I thank you for the opportunity. I would like to draw the attention of the House to a very important matter relating to the State of Kerala. I believe that the entire House would agree with this particular matter.

This is relating to the approval of the Angamaly-Erumeli Sabari Rail Project. It is a long-pending demand of the people of Kerala. It is an alternate railway route which connects the midland of Kerala up to Thiruvananthapuram district.

The Government of India and the Ministry of Railways were kind enough to allot Rs.100 crore as an initial token amount for the development of this particular rail project. I am really thankful for that. The Sabari Rail Project connects Erumeil, the entry point of Sabarimala. Every day, a large number of people visit this particular spiritual place.

Even though the Government of India has given Rs.100 crore for this project, there is a revised estimate of Rs.3,727.56 crore submitted by K-Rail. In order to implement this project effectively, the Government of India and the Railway Ministry should sanction the revised estimate prepared by KRDCL, a joint venture company of the Ministry of Railway and the State Government of Kerala.

An urgent intervention of the Centre is required. A letter to the State Government regarding the implementing agency of the Angamaly-Sabari is also required.

Sir, KRDCL is a joint venture. It has communicated its interest to take over this project earlier. Since this project is of national importance, it should be completed without any further delay. It comes under the Prime Minister's Pragati Monitoring Scheme. But it is very important that this project of the Ministry of

Railways should be included under the Prime Minister's Gati Shakti Yojana, which would expedite the pace of the project.

As I mentioned, though Rs. 100 crore is allotted, the de-freezing should of the project happen. A lot of people are suffering because of it. Earlier, the State Government agreed to share the cost of the project, but when it was rejected at the early phase, the Government of Kerala freezed this project. Therefore, de-freezing of this project should happen so that Rs. 100 crore can be allotted for the land acquisition process in the first phase. Thank you.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री की ओर दिलाना चाहता हूं, जो भारत की 10 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से संबंधित है।

वर्षों पूर्व सरस्वती नदी की धार पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी, जिसे पूर्ण स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा श्री ओम बिरला जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र प्रवास के दौरान सरस्वती नदी के महत्व पर प्रकाश डाला है । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी कुरुक्षेत्र प्रवास के समय सरस्वती नदी की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

महोदय, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यमुना नगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान पर है, जहां इसकी एक धारा प्रवाहित हो रही है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड सरस्वती नदी के प्रवाह को दोबारा से स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय से भी एक डैम बनाने का प्रस्ताव भेजा है। मेरा सदन से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय संस्कृति की इस विरासत को पुन: स्थापित करने के लिए कदम उठाए और इसके लिए 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत मैं 100 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा किए जाने की मांग करता हूं, ताकि सरस्वती नदी की अविरल धारा को दोबारा से प्रवाहित किया जा सके। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): धन्यवाद सभापति महोदय ।

सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विगत वर्षों में न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र, बल्कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से पूरे बिहार के विकास में व्यापक परिवर्तन किया है, जो मील का पत्थर साबित हो रहा है।

मैं इसी सन्दर्भ में अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में पटना रिंग रोड के शेरपुर में गंगा नदी पर पुल की स्वीकृति प्रदान की है, बक्सर-पटना फोरलेन सड़क परियोजना में बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड रोड की स्वीकृति प्रदान की है और पटना में ही गंगा नदी के किनारे गंगा पथ का निर्माण कार्य राज्य सरकार के माध्यम से चल रहा है। उसके प्रथम फेज में जेपी सेतु से दीदारगंज तक निर्माण कार्य प्रारम्भ है और आगे बख्तियारपुर तक भी उसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। राज्य सरकार ने जेपी सेतु से पटना रिंग रोड में शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पुल तक गंगा पथ को जोड़ने की सहमति प्रदान की है।

दीदारजगंज से बख्तियारपुर तक गंगा पथ के निर्माण की घोषणा पहले ही राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में शेरपुर से मनेर होते हुए बिहटा तक के रूट की स्वीकृति नहीं मिली है।

मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिग गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि पटना रिंग रोड के शेरपुर में जो स्वीकृति गंगा नदी पर पुल से लेकर पटना बक्सर फोर लेन के बीहटा या कोईलवर तक गंगा पथ के तर्ज पर मेरे संसदीय क्षेत्र, जिसकी मैंने पहले चर्चा की शेरपुर से मनेर होते हुए बीहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मंजूरी की कृपा की जाए। पटना में बहुत आबादी बढ़ रही है, रोड पर बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, वहां हर दिन बड़े पैमाने पर पटना शहर के आस पास के इलाकों में रोड जाम हो जाता है, जिससे बहुत तरह की तकलीफ होती है। जो प्रस्तावित रोड है, जिसकी मैंने चर्चा की है, उसके निर्माण से आरा से बख्तियारपुर तक वैकल्पिक बाई पास मार्ग तैयार हो जाएगा। आरा की तरफ से आने वाले वाहनों को पटना में आने या पटना से नॉर्थ बिहार जाने के

लिए कई वैकल्पिक मार्गों के विकल्प मिलेंगे, जिससे राजधानी पटना में ट्रैफिक का लोड भी घटेगा और प्रदूषण की कमी भी होगी।

इसलिए मैं पुन: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी कई बार मिल भी चुका हूं। इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का काम करें, ताकि इसका निर्माण हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री श्याम सिंह यादव जी – उपस्थित नहीं।

श्री जसबीर सिंह गिल जी – उपस्थित नहीं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु – उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न को इस सदन में उठाने की अनुज्ञा दी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, चाहे यूक्रेन-रूस का हो, लेकिन हमने पूरी दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। आज वह बुद्ध दुनिया में शांति, अहिंसा, ममता, करुणा का संदेश बन चुके हैं। सौभाग्य से बुद्ध का जन्म स्थान सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में है और कुशीनगर निर्वाण स्थली है। उन्होंने बोधगया के बाद पहली बार सारनाथ में पांच बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा दी। अत्यंत महत्वपूर्ण सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, जहां पर सहेत-महेत रहे, की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बुद्धिस्ट सर्किट के कपिलवस्तु में, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए और बाल्यकाल में 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में वहां रहे, उसके दूसरी तरफ लुम्बिनी है, जो नेपाल के लिए गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ एक स्थान है। आज स्वाभाविक है कि लुम्बिनी के हजारों पर्यटक या सारनाथ के पर्यटक कुशीनगर से होते हुए कपिलवस्तु आ रहे हैं।

वहां उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा विपश्यना केन्द्र बना रही है। काफी जमीन अधिग्रहण करके कई देशों के लोगों को मेडिटेशन सेंटर या अपना मोनेस्ट्री बनाने के लिए दे रही है। अभी लुम्बिनी में प्रधान मंत्री जी ने एक बुद्ध कन्वेंशन सेंटर दिया है, जो निश्चित तौर से बौद्ध धर्म और भारत-नेपाल की मैत्री का प्रतीक भी है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जहां पूरी दुनिया के मानने वाले लाखों लोग आते हैं, जहां जापान, थाईलैण्ड, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, मलेशिया, चाइना इन सब देशों के लोग आते हैं, उनके लिए वहां पर एक बुद्ध कन्वेंशन सेंटर भारत सरकार के द्वारा हो, जिससे वहां पर आने वाले लोग विपश्यना और मेडिटेशन कर सकें, बौद्ध भिक्षु विहार बन सकें। उसका विकास हो रहा है। आज उसमें आवश्यकता है कि हमारे लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों में बुद्ध के आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बौद्ध सम्मेलन हो। हमारी बौद्ध सम्मेलन एसोसिएशन है या बुद्धिस्ट टूर है, इनके सारे महोत्सव व सारी चीजें आयोजित हो सकें। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध के संरक्षण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1902 में इस बांध का निर्माण हुआ और वर्ष 1933 से जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई शुरू हुई। रामगढ़ बांध वर्ष 2003 तक जयपुर जिले के लोगों की प्यास बुझाता रहा। वर्ष 1982 में एशियन खेलों में नौकायन प्रतियोगिता का भी साक्षी बना, लेकिन वर्ष 2004 से इस बांध का गला घोंटने का काम शुरू हुआ। अगले साल ही पानी आना बंद हो गया। फिर बांध सूखता चला गया। इसके कैचमेंट क्षेत्र का गला घोंटने के लिए रसूखदारों को बहाव क्षेत्र में ही जमीन आवंटन कर दी गई। इसके बाद अतिक्रमियों के भी हौंसले बुलंद होते गए।

सभापति महोदय, देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने "पहले मर गया रामगढ़ और फिर पुनर्जीवित करें रामगढ़", शीर्षक से अभियान चलाया। खबरों पर, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और कई रसूखदारों की जमीन के आवंटन निरस्त हुए। 29 मई, 2012 को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और भू- राजस्व अधिनियम को ध्यान में रखे बिना नदी, नाले, तालाब, बांध आदि से जुड़ी भूमि पर किए गए आवंटन को निरस्त करने के आदेश दिए। 3172 रेफरेंसेज को राजस्व मण्डल को भेजे गए। इसमें से अब तक 2052 रेफरेंसेज में निर्णय आए और 1650.61 हेक्टेयर जमीन को सिवायचक दर्ज किया गया। 35 प्रतिशत मामलों में फैसला आना बाकी है। रामगढ़ बांध और अन्य जल स्त्रोतों को बचाने और लगातार मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय हाईपावर कमेटी भी निष्क्रिय है। हालात यह है कि कमेटी की अंतिम बैठक ही करीब तीन साल पहले हुई थी। इसके बाद मामले की सुध ही नहीं ली गई। जबकि, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में 9 विभागों के सचिव, प्रमुख शासन सचिव शामिल हैं।

सभापति महोदय, रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में कई रसूखदार को भूमि आवंटन किया हुआ है। यहां रिसोर्ट, होटल, फार्महाउस बने हुए हैं। माननीय हाईकोर्ट की फटकार के बाद भले ही सरकार ने इनके रेफरेंस राजस्व मंडल में भेज दिए लेकिन रसूखदारों के भूमि आवंटन निरस्त करने के लिए

सक्रिय नहीं हैं। मैंने पूर्व में भी पत्र लिखकर जब इस बांध के संरक्षण की मांग प्रधानमंत्री जी से की तो जल शक्ति मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2021 को मुझे पत्र के माध्यम से बताया कि बाँध पुनर्वास और सुधार योजना में राजस्थान के 189 बांधो में से रामगढ़ बाँध भी पुनर्वास हेतु सम्मिलित है लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

माननीय सभापति, मेरी मांग की है मंत्रालय इसकी वर्तमान स्थिति तलब करे और यदि राज्य ने नहीं भेजा है तो आप वहां से मंगवाए।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक ही निवेदन कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

राजस्थान माननीय हाई कोर्ट द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्णय को पूर्ण रूप से रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में लागू किया जाये और इस मामले में जो भी रेफरेंस विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उनका माननीय उच्च न्यायालय तत्काल समयबध्द तरीके से निपटारा करे। इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले एनीकट का तुरन्त वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करवाकर हल निकाला जाए, क्योंकि रामगढ़ बांध को पुनजीर्वित करना अत्यंत आवश्यक है। इसको लेकर केंद्र हस्तक्षेप करे

माननीय सभापति : प्रो. रामशंकर कठेरिया जी।

हनुमान जी, यह जीरो आवर है।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मुझे आधा मिनट बोलने की अनुमति दें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : शून्य प्रहर में इतना लंबा भाषण नहीं दीजिए। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी अत्यंत महत्पूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) जिससे रामगढ़ बांध में भी पानी लाने की योजना सम्मिलित है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में झिझक रहे है।

मेरी मांग है कि रामगढ़ बांध के संरक्षण के साथ ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और गेंद राज्य के पाले में नहीं डालें एवं कर्नाटक में जिस तरह विशेष पैकेज दिया उसी तर्ज पर राजस्थान की ERCP के लिए विशेष पैकेज दिया जाये।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में ओरैया जनपद है । उस ओरैया जनपद से बिल्कुल लगा हुआ दिव्यापुर कस्बा है । वहां 80 के दशक में एनटीपीसी और गेल, बड़े संस्थानों द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित किए गए । जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं । उसी परिप्रेक्ष्य में दिव्यापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला गया और केन्द्रीय विद्यालय वहां तब से संचालित है । अभी दो साल से एनटीपीसी के द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों से मैं इस विद्यालय को संचालित नहीं कर सकता हूं । उन्होंने आर्थिक रूप से असमर्थता व्यक्त की है ।

महोदय, उसमें पूरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं । वहां एनटीपीसी के कर्मचारी पढ़ते हैं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार की जो मंशा है कि हर जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए, उसी के तहत ओरैया जनपद में जो केन्द्रीय विद्यालय लंबे समय से संचालित है, उसको बंद न करके, उस विद्यालय को विधिवत रूप से संचालित किया जाए । ओरैया प्रशासन ने वहां पर इस केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा रखी है ।

मेरा शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस केन्द्रीय विद्यालय को अपने अधीन लेकर उसको पुन: बनवा कर विधिवत रूप से केन्द्रीय विद्यालय संचालित हो । यह विशेष मांग है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बड़ी संख्या में माननीय सदस्य अपने सब्मिशंस देना चाहते हैं, इसलिए आप लोग एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने का कष्ट करें ।

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय सभापति जी, लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर में, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के चार प्रमुख पदाधिकारियों की निर्मम हत्याएं हुई हैं। बुधराम करटाम, जो बस्तर जिले में पार्टी के जिला मंत्री थे, नीलकंठ ककेम, जो हमारे मण्डल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू, जो हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी, जो पूर्व सरपंच थे, इन चार प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके, टारगेट किलिंग पिछले एक महीने में की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक षडयंत्र है।... (व्यवधान) राज्य की कांग्रेस सरकार, राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। छत्तीसगढ़ को रक्तरंजित करने का प्रयास हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ महतारी के इन चार सपूतों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे।... (व्यवधान)

मैं सदन के माध्यम से निष्पक्ष जाँच की माँग करता हूँ और भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि छत्तीसगढ़ की जनता की जान की रक्षा की जाए। लोकतंत्र की हत्या बंद हो। राज्य सरकार को इसके बारे में निर्देशित किया जाए और एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जाँच कराई जाए।... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to raise a very serious matter of urgent concern in which the Government of India's intervention, especially, the Labour Ministry's intervention, is required. The hon. Supreme Court has pronounced a judgement on 4th November, 2022 regarding higher pension for the members of the Employees' Provident Fund Organisation's Pension Scheme. But it is quite unfortunate to note that subsequent to the judgement pronounced by the hon. Supreme Court, the Government of India, especially, the Employees' Provident Fund Organisation is not acting in accordance with the terms and conditions of the judgement. Subsequently, the EPFO has issued two circulars. The latest circular is of 25th January, 2023, which is against the spirit of the judgement of the hon. Supreme Court. The EPFO is imposing additional burden on the pensioners, who retired prior to 2014, to provide evidence for proving their option to higher pension.

The sanction of pension on higher wages itself is evidence for option. The circular is saying that it will re-examine the cases of pension on higher wages of pensioners who retired up to 1.9.2014, and for this reason, the payment of higher pension would be stopped from January, 2023. The decision of EPFO is arbitrary and unjust. The EPFO withdraws from its legal liability to ensure pension and welfare of the pensioners. The present circular created hardship to the pensioners, and it leads to social issues.

One of the important points to be noted is that in respect of those who have obtained pension after retiring prior to 2014, on the basis of the judgements of the higher courts, their pension has been taken back or withdrawn by the EPFO in the

Labour Ministry. It is quite inhuman, arbitrary and unjust. Also, so far, the EPFO has not issued any circular regarding the option because the option expires on 4th March and the option has to be given within four months. But so far, the EPFO has not issued any circular on that issue. Hence, I urge upon the Government of India to withdraw the circular issued on 25th January, and ensure pension and welfare of the EPF pensioners. Thank you very much, Sir.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

सर, मैं इस सदन में अपने इलाके के बारे में हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। मेरा इलाका संथाल परगना संथालों का इलाका है, संथालों की आबादी वर्ष 1911 में लगभग 35-36 परसेंट थी। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, वर्ष 2011 का जो सेंसेस आया है, वह आबादी 25 परसेंट हो गई है। वर्ष 2022 का जो सेंसेस है, लोग कहते हैं कि वह आबादी 23 परसेंट हो गई है।

सभापति महोदय, पूरे देश भर में जो डीलिमेटेशन हुआ, लोक सभा और राज्य सभा की सीटों का जो डीलिमिटेशन हुआ, लेकिन वर्ष 2008 में हमारा डीलिमिटेशन नहीं हो पाया। उसमें लोक सभा की एक शेड्यूल ट्राइब की सीट और विधान सभा की तीन शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें घट रही हैं। आज महत्वपूर्ण मसला यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण तो कर ही रहे हैं, वे उनके साथ शादी कर रहे हैं, जिससे शेड्यूल ट्राइब्स का आचार-विचार, प्रकार और व्यवहार पूरी तरह खत्म हो रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे भारत सरकार से केवल तीन आग्रह हैं। एक आग्रह यह है कि संथाल परगना के सभी छ: जिलों में एनआरसी लागू की जाए, जिससे वास्तविकता, जो कि मैं कह रहा हूं, वह सही है या नहीं है।

सर, मेरी दूसरी मांग यह है कि वहां संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है, वह एक्ट कहता है कि भाई, भाई को जमीन नहीं दे सकता। आदिवासियों की जमीन सुरक्षित करने के लिए यह कानून है। इस कारण मेरा आग्रह है कि जो बच्चे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं, चूंकि वह आदिवासियों की लैंड है, इसलिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में उनको वह सुविधा न मिले।

सभापति महोदय, मेरी तीसरी डिमांड यह है कि जब वे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर में नियम लागू है कि महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिलता है, उसी तरह आदिवासी के नाम पर जो अधिकार मिला हुआ है, धर्मांतरण के बाद वह अधिकार और केंद्र और राज्य सरकार की कोई सुविधा उन्हें न मिले, यह मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है। धन्यवाद।

***SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA):** Thank you, Hon. Chairman Sir, that you have given me the opportunity to speak on an important matter. Sensi is a caste and they have 31 sub-castes in Punjab. I want to talk about them.

In 1950, they were included as Scheduled Caste in Punjab State. Along with them, 2 more sub-castes at Serial No. 32 were also included in this list. They were Baikunth and Manesh. But, other sub-castes of Sensi caste were not included in this list.

So, I urge upon the Central Government to include all 31 sub-castes of Sensi caste in the list of Scheduled Castes. This list is related to Punjab Government. One more important issue of Asha workers is there. The helpers and facilitators had done a great job during Covid times. They have not yet been provided Rs. 25,000/- and Rs. 10,000/- that is their due. This amount must be given to them. And a minimum wage of Rs. 21,000/- should be given to them on a regular basis.

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्य, प्लीज अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

… (व्यवधान)

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जीरो-ऑवर में बोलने के लिए समय दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र की एक बहुत ही जरूरी मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र के गांव अमरीकी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में 20 एकड़ भूमि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र को दी गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लगभग 120 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया और भारत सरकार द्वारा इस संस्थान के निर्माण का कार्य शुरू किया गया।

सर, अब यह बिल्डिंग वर्ष 2022 में बनकर तैयार हो गई है। इस संस्थान का पहला दाखिला सत्र वर्ष 2016-17 में शुरू हो गया था। यह देश का तीसरा और उत्तर भारत का एकमात्र पहला डिजाइन संस्थान है। इस संस्थान में एक भी विद्यार्थी मेरी कुरुक्षेत्र लोक सभा या हरियाणा राज्य का नहीं है।

इसलिए, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जो मेरी कुरुक्षेत्र लोक सभा में स्थापित है, उसमें हरियाणा के लिए 30 प्रतिशत कोटा निश्चित करने की मैं मांग करता हूं, ताकि मेरी लोक सभा व हरियाणा के बच्चों को इस संस्थान में पढ़ने का अवसर मिल सके।

आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

13.00 hrs

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I thank you very much for allowing me to speak.

I wish to draw the attention of the hon. Minister towards the rising incidents of violence against doctors and other healthcare professionals in recent years. There is no Central data on the number of assault cases against healthcare workers or health facilities, but the Indian Medical Association estimates that 75 per cent of all doctors face some form of physical abuse during their service, with many cases of violence severely under-reported.

Sir, these are the people who are selflessly serving our citizens and attempting to save lives. Currently, no national level law comprehensively and categorically addresses this issue. State laws vary. The existing laws are weak in their implementation and lack scope to protect our healthcare workers. In fact, 11 States and Union Territories have no laws at all.

In 2019, this Government had introduced a draft Bill titled 'The Healthcare Service Personnel and Clinical Establishments (Prohibition of Violence and Damage to Property) Bill' which would have made such violence a non-bailable and cognizable offence with a jail term of up to five years. But this was withdrawn by the Government before it could be considered by Parliament, without assigning any reason.

Our healthcare professionals are neither adequately appreciated nor protected. It is imperative to realise that this is not just an issue for the medical fraternity. Violence against healthcare workers weakens our health system and

affects the quality of services provided to patients, in turn leading to more risk of violence. Therefore, I urge the Health Minister - if necessary, the Minister of Home Affairs and the Minister of Law and Justice - to reintroduce a comprehensive Central legislation to put a check on violence against healthcare professionals at the earliest.

Thank you.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Tirath Singh Rawat	Shri Uday Pratap Singh Shri Malook Nagar
Shri V. K. Sreekandan	Shri Malook Nagar
Shri Ramesh Bidhuri	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ramdas Tadas	Shri Malook Nagar
Shri Ravneet Singh	Shri Jagdambika Pal Shri Malook Nagar
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Malook Nagar
Kunwar Danish Ali	Shri Malook Nagar
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	Shri Malook Nagar
Shri Jamyang Tsering Namgyal	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Ram Shankar Katheria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar

Shri Arun Sao	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Dr. Nishikant Dubey	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Vishnu Dayal Ram
Dr. Shashi Tharoor	Shri Malook Nagar Dr. DNV Senthilkumar S. Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri N.K. Premachandran	Adv. Dean Kuriakose Shri Anto Antony Shri V. K. Sreekandan Dr. Shashi Tharoor Shri Ravneet Singh Shri E. T. Mohammed Basheer Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian Shrimati Preneet Kaur Shri Manish Tewari Shri Malook Nagar Dr. DNV Senthilkumar S. Dr. Amar Singh Dr. K. Jayakumar Shri Dhanush M. Kumar
Shri Nayab Singh Saini	Shri Malook Nagar
Shrimati Preneet Kaur	Shri Malook Nagar
Shri Jagdambika Pal	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Hanuman Beniwal	Shri Malook Nagar Shri Ramcharan Bohra Shri Nihal Chand Chouhan

Shri V. K. Sreekandan	Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Ram Kripal Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Shri Rattan Lal Kataria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Shri Hibi Eden	Shri Malook Nagar

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, शून्यकाल में जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें भोजनावकाश के पश्चात् बोलने का अवसर दिया जाएगा।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

———

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

14.00 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, पहले नियम 377 ले लेते हैं। उसके बाद जीरो ऑवर ले लेंगे । नियम 377 लिस्टेड है। उसके तुरंत बाद जीरो ऑवर ले लेंगे। हमारे पास आज बहुत समय है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह लिस्टेड भी है। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

14.01 hrs

MATTERS UNDER RULE 377-Contd.

माननीय सभापति : जिन्होंने नियम-377 के अधीन मामले 'ले' कर दिए है, वे बता दें, तो मैं उनको नहीं बुलाऊंगा।

श्री जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

(ii) Regarding increase in honorarium of Aanganwadi workers

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, संपूर्ण भारत में एकीकृत बाल विकास सेवाओं की लगभग 2.5 मिलियन आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान देने के साथ उनके देखभाल की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए प्रावधान Early Child Care and Education (E.C.C.E.) को भी पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। देश में पल्स पोलियो, जनगणना एवं अन्य प्रशासनिक कार्य को भी पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों को Rs.1500 एवं सहायिकाओं के मानदेय में Rs. 750 की वृद्धि की गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश में

आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों को Rs.7500 मिल रहा है। मौजूदा समय में इतने मानदेय में आंगनवाड़ी की कार्यकर्मियों एवं सहायिकाओं को अपने कर्तव्य के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारी निभाने में कठिनाई हो रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों के मानदेय में Rs.10,000 मानदेय की वृद्धि करने की कृपा करें तथा उन्हें एक-एक नया स्मार्ट फोन हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की एप्लीकेशन के साथ प्रदान करने का कार्य करें, जिससे वह अपने दायित्व का निर्वहन कर सके।

(iii) Regarding electrification of Nainpur-Chhindwara railway line and investigation into construction work of railway infrastructure in Seoni

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले नैनपुर-छिंदवाड़ा रेलखंड के रेलगेज कन्वर्जन का कार्य पूर्णता की ओर है, केवल विद्युतीकरण कार्य लंबित है, जिस कारण रेल का परिचालन नहीं हो पा रहा है। सिवनी मुख्यालय में बनने वाले रेलवे स्टेशन और रैक पाइंट के निर्माण के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। स्टेशन एवं रैक पाइंट के निर्माण कार्य में कथित रूप से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। ठेकेदार द्वारा कथित रूप से स्टेशन में की जा रही अनियमितता, गुणवत्ताहीन एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य कराने की वजह से सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। मेरे द्वारा महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर को पत्र लिखकर जाँच कराने हेतु लिखा गया था, किन्तु उनके द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

आपसे आग्रह है कि सिवनी मुख्यालय में बनने वाले स्टेशन, स्टेशन भवन, प्लेटफार्म, रैक पाइंट एवं अन्य रेलवे कार्यो की गुणवत्ता की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए तथा विद्युतीकरण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु अधिकारियों एवं ठेकेदार को निर्देशित करते हुए सिवनी से रेल परिचालन प्रारंभ कराया जाये, जिससे जिलेवासियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

(iv) Regarding land erosion caused by Sone River in Palamu district, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सोन नदी से देवरीखुर्द, दंगवार से बडेपुर, बुधुवा एवं आसपास का इलाका पलामू जिला हुसैनाबाद अनुमंडल के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ जबरदस्त कटाव हो रहा है। इस कटाव से पूर्व में ही कई गाँव नदी की गोद में विलीन हो चुके हैं, अभी भी कई गाँवों एवं किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके के लोग त्रासदी से बचाव के संदेश भेज रहे हैं। यदि समय रहते कटाव से बचाने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो पूरा का पूरा इलाका सोन नदी से हो रहे भयंकर कटाव की चपेट में आ जाएगा।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सोन नदी के कटाव से हो रही जान माल की क्षति को रोकने के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा कारगर कदम उठाए जाएं ताकि जनता राहत की साँस ले सके। धन्यवाद।

(v) Regarding textbook revision and rewriting of history

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, the work of textbook revision and rewriting of the history are moving in a wrong direction. Instead of making our schools equipped to meet the challenges of the knowledge-driven society, revision of the text book has been used.

I urge upon the Government to desist from such a move. It is also prayed that an independent Commission consisting of eminent academicians be set up to look into the changes in the textbooks and its impact on India in the future.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ashok Kumar Rawat Ji ------ Not present

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Sudhakar Tukaram Shrangare Ji.

(vi) Need to introduce flight services from Latur airport under the Regional Connectivity Scheme – UDAN

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): महोदय, सन् 2008 में लातूर में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था तथा वहाँ से तत्कालीन किंगफिशर एयरलाइन ने घरेलू उड़ानें चालू कीं, परन्तु कुछ समय बाद ये घरेलू उड़ान बंद कर दी गईं।

लातूर एयरपोर्ट से दो इंजन वाले 72 सीटर एटीआर 72 किस्म के वायुयान उड़ाए जाने की सुविधा उपलब्ध है। लातूर की जनता की काफी लंबे समय से माँग है कि लातूर से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए घरेलू उड़ान चालू की जाएं। यही नहीं, लातूर स्थित रेल कोच फैक्ट्री में कोच का उत्पादन शीघ्र शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर लातूर के लिए हवाई यात्री यातायात काफी बढ़ने की संभावना है।

अत: इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान के तहत लाया जाए तथा यहाँ से देश के विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर घरेलू उड़ान चालू की जाएं। फिलहाल मुम्बई से लातूर, नांदेड होते हुए तिरूपति के लिए उड़ान चालू की जा सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर यात्री यातायात काफी होगा। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil ---- Not present

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Raju Bista Ji.

(vii) Regarding demand for 3-tier panchayat elections in Darjeeling and Kalimpong districts

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The hill regions of Darjeeling and Kalimpong have been run without Panchayats since 2006. Our region was kept deprived of the Constitutionally guaranteed grassroots level governance system for the last 16 years. This has resulted in massive developmental depravation in the region. Various Central Government schemes initiated by PM have not reached the people properly. Our people are deprived of basics roads, drinking water, schools, health care and all Government schemes.

Despite not conducting Panchayat elections, the State Government is spending the Panchayat funds meant for hill regions of Darjeeling and Kalimpong districts. The Central Government finally stopped funding meant for Panchayats in the hills under the 14th Finance Commission following which the State Government announced conducting Panchayat elections in the region.

But the State Government says, they will only conduct 2-tier Panchayat elections and 2-Tier Panchayat system is unconstitutional.

Therefore, respecting people's sentiment, I request the Ministry of Rural Development to order conducting of 3-tier Panchayat Elections in the Darjeeling and Kalimpong Districts.

माननीय सभापति: डॉ. राजदीप राय जी – उपस्थित नहीं।

श्री अजय निषाद जी – उपस्थित नहीं।

डॉ. मनोज राजोरिया – उपस्थित नहीं।

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी – उपस्थित नहीं।

(viii) Need to link Lalitpur-Chanderi-Ashoknagar-Guna-Chaabra-Kota with national highways

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के निवासियों द्वारा ललितपुर से चंदेरी- अशोकनगर-गुना-छबड़ा-कोटा तक राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ने की निरंतर मांग की जा रही है। यह राजमार्ग चन्देरी जैसी प्रसिद्ध नगरी के प्राचीन किले, एशिया के सबसे बड़े हैण्डलूम पार्क जहां की चन्देरी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, को ईसागढ़ के आनंदपुर ट्रस्ट जैसे दार्शनिक स्थल से जोड़ने का काम करेगा। संसदीय क्षेत्र के जिला शिवपुरी में प्रसिद्ध माधव नेशनल पार्क, जिला अशोकनगर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक चंदेरी नगरी में थूबोनजी, ईसागढ़ में आनंदपुर ट्रस्ट और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करीला धाम है। जिला अशोकनगर में ए क्लास की अनाज मण्डी है जहाँ पर सरबती गेहूं का काफी उत्पादन होता है और जिला गुना में धनिया का उत्पादन होता है और पूरे देश में इसका निर्यात होता है। यह राजमार्ग पर्यटन और रेलवे के लिए राजस्व की दृष्टि से अनुकूल है और इसके निर्माण से मेरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। जिला अशोकनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग जनता द्वारा वर्षों से की जा रही है और मेरा सरकार से निवेदन है कि ललितपुर से चंदेरी-अशोकनगर-गुना-छबड़ा-कोटा को राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने की स्वीकृति दी जाए, जिससे समाज के हर वर्ग को यात्रा करने में सुविधा हो।

(ix) Need to increase the frequency of flights from Jalgaon airport to various cities

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): महोदय, जलगाँव हवाई अड्डा उत्तर महाराष्ट्र में स्थित है और केंद्र सरकार ने यहाँ FTO को भी मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध अजन्ता और एलोरा केव्स से सबसे नज़दीक है। इस हवाई अड्डे को उड़ान के अंतर्गत शामिल किया गया था और इसके संचालन के लिए Trujet को चुना गया था। जलगांव हवाई अड्डे में state of the art infrastructure है जिसमें night landing भी शामिल है लेकिन पिछले एक वर्ष से Trujet ने अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है जिससे यहाँ के व्यापारी, छात्र और आम जनता को यात्रा करने में असुविधा हो रही है। जलगांव में बहुत सारे उद्योग भी विकसित हो रहे हैं जिसके कारण कारोबारियों को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने के लिए हवाई सेवा की आवश्यकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जलगांव की आर्थिक क्षमता और यात्रियों की माँग को देखते हुए सरकार को जलगांव के लिए उड़ान स्कीम की अवधि और मुंबई दिल्ली बेंगलुरु इंदौर और हैदराबाद जैसे शहरों तक यात्रा के लिए माँग को देखते हुए फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाना चाहिए जिससे जलगांव के विकास को बल मिले और प्रधानमंत्री जी का उड़े देश का आम नागरिक के लक्ष्य को हम पूरा कर सके।

माननीय सभापति : श्री गणेश सिंह जी – उपस्थित नहीं।

(x) Need to provide houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) to eligible villagers in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी आवास विहीन नागरिकों को आवास सुलभ कराए जाने हेतु संकल्प लिया है, जो स्वागत योग्य है और इसके लिए सभी देशवासी उनके आभारी हैं।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के ग्रामीण अंचलों में ऐसे ग्रामीण, जिन्होंने अपने सहारे के लिए दीवार बनाकर कोई टिन शेड या खपरेल डाल दी है, उनके लिए आवास का सपना अब तक साकार नहीं हो पाया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के ऐसे आवास विहीन ग्रामीणों को भी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अधीन आवास उपलब्ध करवाए जाने हेतु कार्रवाई की जाए।

(xi) Regarding establishment of Sainik School at Silchar Parliamentary Constituency

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Sir, I would request the hon. Minister to share the status of establishment of Sainik School at Silchar Lok Sabha constituency and also inform the date of start of project along with the estimate cost for completion of this project.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपने जो लिख कर दिया, वही अप्रूव्ड टैक्स्ट पढ़ना होता है और वह मान्य भी होता है।

डॉ. राजदीप राय : सर, अप्रूव्ड ही है।

माननीय सभापति : आपका विषय आ गया है न?

डॉ. राजदीप राय : जी सर।

माननीय सभापति : श्री गुमान सिंह दामोर जी।

(xii) Regarding establishment of a medical college in Jhabua district, Madhya Pradesh

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र का झाबुआ मध्यप्रदेश का सर्वाधिक जनजाति बाहुल्य जिला है। इस जिले में सिकलसेल एनिमिया सिलीकोसिस, फ्लोरोसिस, थायराइड एवं वैक्टर बोर्न बीमारियों की बहुतायत है। गरीब जनजाति जनता को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत परेशानी होती है। इस कारण इस जिले की गरीब जनता को इलाज हेतु पड़ोसी राज्य गुजरात पर निर्भर रहना पड़ता है। जिले में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें नहीं होने के कारण लोगों को अपने इलाज हेतु अत्यधिक समय एवं धन का व्यय करना पड़ता है। जिले की जनता काफी समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही है ताकि उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हो सके। अनुरोध है कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(xiii) Need to make National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi, an institute of national importance

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना भारत सरकार के द्वारा रांची में यूनेस्को के सहयोग से 1966 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मेटल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुशल मैन पावर उपलब्ध कराना था। इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियों वाला यह देश का एकमात्र संस्थान है। पिछले 50 वर्षों में इस संस्था ने देश-विदेश में विभिन्न स्तरों पर काम करके अलग पहचान बनाई है।

देश के मेटल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो रहे विस्तार के लिए इस संस्थान की संभावनाओं को देखते हुए इसे NITSER एक्ट के तहत लाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके लिए समिति का गठन हुआ। 2019-20 में NITSER एक्ट में शामिल करने की अनुशंसा भी हो गई परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यह कार्य नहीं हो सका। राष्ट्रीय स्तर का यह संस्थान झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इस वजह से इसके शैक्षणिक संभावनाओं और कैरियर संबंधी गतिविधियों को लेकर विद्यार्थी सशंकित हैं। इन्हें कई प्रकार की - बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा आग्रह है कि इस ऐतिहासिक संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। इसकी स्वायत्तता के लिए काम हो ताकि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विजन को सार्थक बना, उसे धरातल पर उतारा जा सके।

(xiv) Need to provide medical facilities for treatment of cancer, kidney and gynaecological diseases in Mahoba, Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, बुंदेलखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की बहुत अवश्यकता है **।** विशेषकर कैंसर और किडनी के रोगों के लिए उपचार व्यवस्थाओं की कमी है यद्यपि आयुष्मान भारत कार्ड से मरीजों को इलाज में बहुत अधिक आर्थिक मदद हो जाती है पर इलाज के लिए उन्हें अन्य नगरों को जाना पड़ता है। इसके साथ महिलाओं में खून की कमी की बीमारी भी बुंदेलखंड में बहुत अधिक है और उचित परामर्श के अभाव में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है और महिलाओं के लिए इलाज हेतु अन्य नगरों में जाना सामाजिक और आर्थिक रूप से भी कठिन होता है।

मैं लोक कल्याणकारी, केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि महोबा (उ०प्र०) में विशेष रूप से कैंसर और किडनी रोगों और महिला संबंधी रोगों के उपचार की व्यवस्था के साथ-साथ हमीरपुर, राठ, तिंदवारी, चरखारी में भी मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kuldeep Rai Sharma – not present.

Shri Rajmohan Unnithan – not present.

Shri Kodikunnil Suresh.

(xv) Regarding environment protection and development of tourism in the Munroe Thuruth Island located in Kollam district

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Munroe Thuruth Island, a group of eight islets over an area of 13.4 sq.km., located in Kollam District, is a major tourist attraction besides being an agrarian zone. Munroe Thuruth island is now facing an existential threat due to a host of factors including ground subsidence, upward seepage of saline water during high tide events as well as flooding. These factors combined have decimated the coconut production, paddy cultivation and aquaculture, leading to a significant crisis affecting livelihood and the very survival of about 10,000 strong population, composed of small-scale farmers and labourers. The paddy cultivation, over the last two decades has drastically declined, resulting in a loss of about 200 hectares due to saltwater intrusion and flooding with several agencies predicting irreversible destruction of the island.

Due to the gravity of the issue, immediate steps in promulgating an environmental protection and livelihood preservation master plan for revitalizing Munroe Thuruth Island is needed. I request for compensation for residents of submerged houses, relocation of residents, immediately and also ensure a project for tourism development by utilising available resources.

HON. CHAIRPERSON: Shri C. N. Annaduari – not present.

Shri Kuruva Gorantla Madhav.

(xvi) Regarding State Net Borrowing ceiling fixed for Andhra Pradesh

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): As the original amount fixed in the State Net Borrowing Ceiling (NBC) for Andhra Pradesh was fixed at Rs. 42,472 crore, the Andhra Pradesh Government urged the Centre to reconsider ceiling since the same would be extremely harsh on our people. Despite this, the Ministry of Finance has reduced the NBC of Andhra Pradesh over a three-year period from 2021-22 to 2023-24. The Ministry of Finance had decided against adjusting the off-Budget borrowings availed by the States during the periods of the previous Finance Commissions while determining the NBC of the years during the 15th Finance Commission period. A letter addressed to the States by the Ministry of Finance indicated that the rule would apply from the 15th Finance Commission period onwards and subsequently a further relaxation was also provided.Considering that the fiscal viability of Andhra Pradesh is at stake, I request that the Ministry of Finance follow its own rationale and ignore the overborrowing during the 14th Finance Commission period while determining the NBC during the 15th Finance Commission period.

(xvii) Regarding recent hike in repo rate by RBI

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, the Reserve Bank of India on Wednesday last hiked the repo rate by 25 basis points to 6.5 per cent. The Governor of RBI announced the decision of the Monetary Policy Committee which was passed by a majority of 4 members out of 6 members. In December 2022, the repo rate was raised by 0.35 percentage points to 6.25 per cent. The standing deposit facility rate will stand revised to 6.25 per cent and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.75 per cent. The Monetary Policy Committee also decided by a majority of 4 to 6 to remain focused on the withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within target going forward while supporting growth. While announcing the outcome of the Monetary Policy Committee earlier, the Governor, RBI said, 'Looking ahead while Inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to roll above the 4 per cent target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices and volatile crude oil prices. Foreign portfolio flows, however, are negative during the financial year so far. I, therefore, urge upon the Government that this will increase the cost of borrowing for all types of loan. The impact on home loan borrower this time could not just be extension of home loan tenor but higher EMIS also.

(xviii) Regarding establishment of Kendriya Vidyalaya in Birpur, Supaul district, Bihar

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत बिहार राज्य में संचालित 45वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल, बीरपुर, जिला – सुपौल (बिहार) में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति वर्ष 2019 में प्रदान की गई थी। स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी एस.एन.बी., बीरपुर द्वारा 05 एकड़ भूमि 99 वर्ष के लीज पर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है। उस भूमि का लीज-निबंधन करवाना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके उपरान्त ही विद्यालय के संचालन की अनुमति केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली द्वारा दी जाती है। अत: सब-रजिस्ट्रार गणपतगंज, जिला-सुपौल द्वारा एस.एस.बी., बीरपुर के 05 एकड़ भूमि का निबंधन शुल्क रु0 33,00,250/- की राशि का भुगतान किया जाय।

(xix) Regarding effect of construction of dams by Chhattisgarh across Mahanadi river and its impact on Hirakud dam in Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, Chhattisgarh unilaterally planned illegal obstruction of 24.50 million Acre Feet (MAF) of Mahanadi river water. This is disclosed in their letter on 27th August, 2016,

As per 1947 report of Central Waterways Irrigation and Navigation Commission on the Mahanadi Valley Development – Hirakud Dam Project, the minimum flow of 20.61 MAF of water was apportioned and Odisha was permitted to use 12.28 MAF of water and the rest for the upstream States. After much persuasion, the Union Government did not act. Ultimately Odisha Government went to the Apex Court and it referred the matter to be decided by a Tribunal. The Tribunal after formation has already had 33 sittings and one does not know how many more sittings are to be held. The Tribunal was supposed to give its report within a certain time period.

I would urge upon the Government to find out whether the State of Chhattisgarh during its project planning has considered the MoEF Guidelines for minimum environment flow? How many water arresting structures have been constructed by Chhattisgarh across Mahanadi? Whether dams inside Mahanadi basin of Chhattisgarh are being operated by any SOP (Standard Operating Procedure)? Whether Chhattisgarh has kept any provision in their reservoirs to absorb flood water temporarily for the safety of Hirakud Dam in Odisha? The answer is a big No. Should not the Centre intervene?

Flow of water from Mahanadi has stopped fully before we have reached mid of February, 2023. Still there are four more months of Summer. Today, the water level in the Hirakud Reservoir is 621.97 Feet and 10000 Cusec of water has to flow in the canal system and for power generation also.

I urge upon the Government to ensure flow of water from Chhattisgarh to Mahanadi river as per the Ministry of Environment, Forest and Climate Change guidelines.

(xx) Regarding inclusion of certain castes in the list of scheduled castes and also take measures to ensure their recruitment in Army

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, उत्तरप्रदेश में १७ जातियां जिनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माँझी, धीमर व मछुआ को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटा कर अनुसूचित जाति का अनुपात बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये। ये जातियां शुरू से लड़ाकू रही हैं और इनके पूर्वजों ने मुग़लों और अंग्रेजों से लोहा लिया है और देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। इन्हें नदी, पठार, बर्फ आदि कठिन क्षेत्रों में रहने का अनुभव है, इसलिए अग्निवीर योजना में ऐसी जातियों को शामिल किया जाए और अहीर, चमार, राजभर, पासी आदि रेजीमेंट बनाकर इनको सम्मान दिया जाये। साथ ही मेरी सरकार से माँग है कि आज़मगढ़ में अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए और यहाँ अग्निवीर जवानों को ट्रेनिंग देकर भारत की सीमा पर या जहां उनकी आवश्यकता हो वहाँ भेजा जाए। ये देश की रक्षा और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे।

(xxi) Need to declare Kusheswar Sthan in Darbhanga district, Bihar as a tourist place

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर अंतर्गत दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान विधानसभा में स्थित बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवनगरी, बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर की अपने आप में एक अलग पहचान है। कोसी, कमला बलान और करेह नदी के संगम तट पर बसा यह क्षेत्र अत्यंत मनमोहक है। इस विख्यात शिव मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस प्रसिद्ध मंदिर को 'मिथिला का बाबाधाम (देवघर)' की ख्याति प्राप्त है। इसके साथ-साथ सैकड़ों वर्षों से ठंड के दस्तक के साथ ही यहां का चौर रंग-बिरंगे विदेशी पक्षियों की मनमोहक छटा से आच्छादित रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1995 में इस क्षेत्र को पक्षी विहार घोषित कर भूमि अधिग्रहण की घोषणा भी की गई थी। लेकिन इसके बाद इस दिशा में प्रगति नहीं हुई है एवं वर्तमान में पक्षी विहार का अस्तित्व खतरे में है। कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य (Bird Sanctuary) एवं पौराणिक शिव मंदिर को लेकर इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए स्थानीय स्तर पर लंबे समय से मांग की जा रही है। पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने से इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है ।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि कुशेश्वरस्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा मिले एवं इस दिशा में शीघ्र कदम उठाया जाए ताकि इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो।

माननीय सभापति : श्री हसनैन मसूदी : उपस्थित नहीं।

श्री हनुमान बेनिवाल।

(xxii) Regarding high prices of gravel (Bajri) in Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): राजस्थान में बजरी की अत्यधिक दरों और कथित रूप से अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजरी व्यवसाय में लगे हुए लोगों के कारण आज आम आदमी का घर बनाने का सपना तो दूर रिपेयरिंग करने का सपना भी सही से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे राजस्थान में अधिकांश जगह एक ही समूह को कथित रूप से बजरी का ठेका मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन से रोक हटने के बाद बजरी ठेकेदारों द्वारा कथित रूप से 550-600 रूपये से अधिक राशि प्रति टन वसूल की जाने लगी हैं और मैं आपको उदाहरण देते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास बनाने के लिए सामग्री के लिए मिलने वाली अधिकतर राशि बजरी की खरीद में ही व्यय हो जाती है। ऐसे में उनका घर बनाने का सपना पूरा कैसे होगा यह चिंता का विषय है। बजरी खनन में सरकार के राजस्व खाते में 50 रूपये प्रति टन जमा होते हैं जिसमें 45 रूपये प्रति टन रॉयल्टी, 10% DMFT और 2% RSMET मिलाकर 50:50 रूपये का राजस्व मिलता है। लेकिन ठेकेदार द्वारा कथित रूप से 10 गुना अधिक राशि प्रति टन वसूल की जा रही है। विगत दिनों बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दर कम करवाने हेतु एक बड़ा आंदोलन भी किया गया लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए केंद्र सरकार इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करे और नदी-नालों के अस्तित्व को बजरी ठेकेदारों से बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हुए बजरी की दर कम करवाए व किसानों को उनकी खातेदारी में छोटी लीज के पट्टे बजरी खनन हेतु देने के लिए आवश्यक कार्यवाही कराये। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिट्टू जी, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अशोक कुमार रावत जी।

(xxiii) Regarding establishment of ESIC Branch office and Atal Residential School in Sandila in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत जनपद हरदोई के संडीला का औद्योगिक क्षेत्र 1884.310 एकड़ में विस्तारित है, जिसमें कई औद्योगिक इकाइयां दशकों से कार्यशील हैं।

विगत दो दशकों से संडीला औद्योगिक क्षेत्र में एक ईएसआई औषधालय कार्यशील है तथा संडीला से हरदोई जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलोमीटर है। अतः ऐसी स्थिति में हरदोई मुख्यालय पर प्रस्तावित शाखा कार्यालय खोलने पर दोनों कार्यालय के मध्य समन्वय स्थापित होने एवं बीमा धारकों को शाखा कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला हित लाभ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इस संदर्भ में मैंने माननीय श्रम मंत्री जी से पत्र लिखकर अनुरोध भी किया है।अतः ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि हरदोई जिले के लिए प्रस्तावित ईएसआई शाखा कार्यालय की स्थापना संडीला में करवाए जाने के साथ-साथ श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु एक अटल आवासीय विद्यालय केंद्रीय सहयोग से स्थापित किए जाने हेतु कार्रवाई की जाए।

———

माननीय सभापति : अब हम फिर जीरो ऑवर प्रारम्भ करते हैं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु जी।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak in 'Zero Hour'. I would like to take up an important issue regarding the ex-Servicemen of this country.

When the *jawans* complete their Service, it is very difficult for them to run their homes on the monthly pension alone. If you look at their age, after coming out of the Service, they are in their 40s and 50s, they are well within the working age. If they could find active jobs, they can work for another 10 to 20 years at least. But it is unfortunate to see that even after sacrificing so much for the country, they are not able to find good jobs though they are highly skilled, trained, experienced, and in fact, highly disciplined also.

My constituency has the highest number of recruitments in the Army from the State of Andhra Pradesh. I see them day in, day out. I visit their families. It is very difficult to see them in this situation after coming out of service.

For this, I have two suggestions to make to the Central Government. The most important one is to fill-up vacancies which are meant for the ex-serviceman category. Group 'C' posts have ten per cent reservation and Group 'D' posts have twenty per cent reservation in the Central Departments. But if you look at the statistics as given by the Defence Ministry, you will find that out of ten per cent in Group C posts, only 1.29 per cent posts are filled, and out of twenty per cent in Group D posts, only 2.66 per cent posts are filled. This situation is prevalent in thirty-four out of seventy-seven Central Government Departments. Even the

Public Sector Banks and Public Sector Units have reservation for ex-servicemen. But none of them is up to the mark. So, there is an urgency in filling-up these vacancies so that we can do justice to them. The other suggestion which I would like to make is this. There are sixty-thousand ex-servicemen coming into the pool every year. So, there is a need to put up an online portal where both the ex-servicemen and companies -- who want highly-skilled and trained people -- can register themselves. Then, there can be a win-win situation. This job portal will benefit lakhs of ex-servicemen in this country. Hon. Chairperson, Sir, we have a responsibility to ensure that brave Jawans have a dignified and well-deserved lifestyle for their invaluable services and sacrifices made to this great country. Hon. Chairperson, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak.

माननीय सभापति : श्री पी. पी.चौधरी जी।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रशासनिक विफलताओं, अनावश्यक एवं राजनीतिक प्रयोजन से बंद की जा रही इंटरनेट सेवाओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से भारत में डिजिटल क्रांति लाई जा रही है, जहां सब्जी से लेकर हवाई जहाज का टिकट तक सब इंटरनेट से हो रहा है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस क्रांति में अनावश्यक रूप से बाधा डाल रही है। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के नियम किसी भी सरकार को सार्वजनिक आपात्तकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट बंद करने का अधिकार देती है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी विफलताओं और घटिया मैनेजमेंट को छिपाने, बच्चों के लिए हो रही परीक्षाओं, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा मान रही है। परीक्षाओं के दिन इंटरनेट बंदी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह बहुत शर्म की बात है कि आज इस डिजिटल युग में राजस्थान में इंटरनेट बंद के आंकड़े 100 पार करने वाले हैं, जिसके कारण राजस्थान देश में सबसे अधिक इंटरनेट शट डाउन करने वाला राज्य बन गया है। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि मनमाने इंटरनेट शट डाउन नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर हमला है। इसके साथ ही आर्थिक स्तर पर भी इंटरनेट शट डाउन से बहुत नुकसान हुआ है। महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए इंटरनेट शट डाउन करना राज्य के हित में नहीं है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और दूरसंचार मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा अब तक किए गए इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट मांगे। आगे, ऐसे कदम उठाने से पूर्व केन्द्र सरकार को शटडाउन के कारण बताए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सूबा पंजाब ऊर्जा पैदा करने के लिए महानदी कोल फील्ड से कोयला लेता है। अगर रेल मार्ग से कोयला पंजाब सीधा लाया जाए तो 1830 किलोमीटर पड़ता है।

ऊर्जा मंत्रालय ने 30 नवम्बर, 2022 को पंजाब सरकार को एक खत लिखकर कहा कि आप रेल मार्ग से सीधा कोयला लेकर नहीं आ सकते हैं। आप पाराद्वीप बंदरगाह पर कोयला लेकर जाएंगे, फिर समुद्री मार्ग से श्रीलंका के रास्ता होते हुए अडानी बंदरगाह मुंद्रा, दाहेज में कोयला उतारेंगे और फिर वहां से 1500 किलोमीटर रेलमार्ग से वही कोयला पंजाब लेकर आएंगे।

मेरा सीधा-सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों के साथ विदकरा किया है।

कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, वह 4350 रुपये प्रति टन से बढ़कर 6750 रुपये प्रति टन हो गया है। एक यूनिट ऊर्जा की कीमत 3 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 5 रुपये हो गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो पंजाब के लोगों के साथ जो विदकरा किया जा रहा है, उस खत को वापस लिया जाए और महानदी कोल फील्डस से सीधा रेलमार्ग के जरिए कोयला लाने की अनुमति प्रदान की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं हमेशा की तरह बिहार की चर्चा करूंगा । बिहार के 52 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर हैं । महोदय, जब-जब सरकारें हिलती हैं तो वहां एक जातिगत जनगणना शुरू कर दिया जाता है । कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा में तो कभी दलित को महादलित में बांट दिया जाता है । आज बिहार के चार करोड़ लोग गरीबी की मार के कारण पूरे भारतवर्ष में चले गए हैं । पता नहीं उनको इस आरक्षण से लाभ हुआ या नहीं? मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार के चार करोड़ लोग जो बाहर चले गए हैं, वे किस जाति के हैं, वे कब गए और वे क्या-क्या काम करते हैं, उसका एक सेंसस किया जाए ।

महोदय, इसके साथ-साथ मेरा एक और अनुरोध है । देश के सभी सांसद यहां बैठे हैं और कई सारे सांसद, चाहे वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश के हों, कई सारे राज्य बिहार से अमीर हैं । खासकर के पंजाब में, हमारे मित्र यहां बोल रहे थे, चाहे वे गुजरात में गए हों, यहां तमिलनाडु की सुमति जी बैठी हुई हैं, हमारे मजदूर वहां जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है । सांसदों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि डेड बॉडी को वहां से मंगाया जाए तो मेरा यह अनुरोध होगा कि सभी राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया जाए वे अपने यहां एक ऐसा कानून बनाएं, जिससे बिहार के जो गरीब मजदूर वहां मरते हैं, उनके शरीर को सम्मानपूर्वक उनके अपने गांव तक पहुंचाया जा सके । यह हमारी मांग है ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity.

Sir, the Kothapet Mahila Mandali in Guntur has been implementing the Swadhar Greh Scheme, that is the Women Self Help Group, since 2007, and it has benefited several distressed women. While the funds were received by the organisation after the submission of inspection reports till 2012, from the 2013 financial year onward, disbursements worth Rs. 1,19,40,518 have been pending despite the timely submission of reports.

Of the aforementioned, a total of Rs. 33,24,525, has accumulated over four financial years (from Financial year 2013 to Financial Year 2016) has been pending under the previous pattern, where the funds were directly transferred to the organisation from the Government of India after the timely submission of satisfactory reports. A total of Rs. 86,15,000 accumulated over the past financial years, starting from Financial Year 2017, under the revised pattern of shared implementation are also pending. May I also request the Government of India that the steps be taken to revalidate the organisation by the authorities concerned as it has been pending since April, 2020.

They are going through an acute financial crisis and they are unable to support the smooth functioning of the scheme.

Through you, Sir, I would request the hon. Minister for Women and Child Development to clear the pending disbursements from the Government of India and also take steps to direct the Government of Andhra Pradesh to release the pending funds to the organisation.

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Thank you very much, Sir.

Sir, I would like to raise particularly on the matter of North East. The boundaries of Manipur were demarcated in the years 1872-74, that is in the 18th century. In the 20th Century, when the State of Nagaland was created, the boundaries were demarcated again. That was in 1963. Again, the boundaries of the States of Manipur and Nagaland were demarcated in the year 1972.

Sir, that being so, when the people living across those borders, they lived peacefully. They co-existed peacefully. But in recent years, in the 21st century, the South Angami people from Nagaland encroached into the land of Manipur and they had constructed roads under the vigil of armed volunteers with the sophisticated weapons.

That is why, the Government of Manipur responded and they placed security personnel along the border. However, because of the response of the Government of Manipur, the Southern Angami people of Nagaland banned our people from entering into Nagaland. Many trucks and goods were burnt down and destroyed and then, many of these people were harassed and beaten up. This started on the 15th December, 2022 and is continuing even till this date.

I had approached even the Union Ministry of Home Affairs to look into the matter but so far, nothing is coming forthwith.

Therefore, I urge upon your indulgence to see that this is cleared as soon as possible because the fundamental rights of the people are not taken care of.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल सकें।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे आज शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे गृह राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सरकार की विफलताओं की खबर न छापने और सरकार की योजनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए मीडिया को मजबूर करते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है।

महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि अगर विज्ञापन लेना है, तो मेरी बात को छापो। अगर विज्ञापन लेना है, तो जैसा मैं कहूं, वैसा छापो। माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया पर ऐसा दबाव बना रहे हैं। राजस्थान के सबसे मुख्य एवं सबसे पुराने दैनिक 'राष्ट्रदूत' के प्रबंध निदेशक श्री राकेश शर्मा ने वित्तीयन को नुकसान पहुंचाकर स्वतंत्र पत्रकारिता को पूरी तरह खत्म करने के इस प्रयास के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है।

मैं जांच समिति का वक्तव्य इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन जारी करने में समाचार पत्र राष्ट्रदूत के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उपर्युक्त मामले में हम इस मामले की अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं। उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में जांच समिति काउंसिल यह अनुशंसा करती है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री के उक्त कथन पर अपनी घोर आपत्ति व्यक्त करें। काउंसिल यह भी देख सकती है कि भविष्य में इस तरह के बयानों से बचा जा सके, क्योंकि इसका प्रिंट मीडिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विषय को अपने संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई कर मीडिया को...(व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। आवारा गायें और आवारा जानवर किसानों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। रामपुर और मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर 100-200 गायें एक ही गांव में चरती हैं। छोटे किसानों ने गेहूं की फसल नहीं लगाई है या फिर वे रात-रात भर जागते हैं या आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इन गायों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें दुर्घटनाएं तो होती ही होती हैं, इसके साथ ही साथ जो तथाकथित गौ रक्षक हैं, जो अटेंशन सीकर्स हैं, वे आ जाते हैं। वे उन पर इल्जाम डालते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं।

महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। आप हर हफ्ते अखबार में कोई न कोई खबर पढ़ते होंगे कि मासूम बच्चों को कुत्तों ने नोच लिया, जान से मार दिया। जब मैं मुरादाबाद का मेयर था।...(व्यवधान) उनको जंगल में भेजा जा सकता है। कुत्ते, बंदर और गायों तक को भी वहां भेजा जा सकता है। वहां उनके रहने का इंतजाम करना चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में रेलवे के अंतर्गत सहरसा जंक्शन से बैद्यनाथपुर रेल खंड के बीच संपार संख्या 105 है, जो सहरसा शहर के बीच में अवस्थित है, वहां आरओबी न होने की वजह से सतत् जाम की समस्या बनी रहती है।

घंटों तक जाम के रहने के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। खासकर स्कूली बच्चे, बीमार लोग और न्यायालय जाने वाले लोगों को भारी कठिनाइयां होती हैं। अत: जनहित में मैं वीआईपी रोड और हटिया गाछी के बीच समपार संख्या 105 पर आरओबी निर्माण करवाने की मांग माननीय रेल मंत्री जी से करता हूँ।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, धन्यवाद। इस देश के अन्दर करीबन साढ़े चार सौ से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान की राजस्थानी भाषा की तरफ दिलाना चाहूंगा। सन् 1936 में राजस्थानी भाषा की पहली मांग राजस्थान में उठी थी। राजस्थान के 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मैं आठवीं सूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ। 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा में आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को आठवीं सूची में शामिल किया जाए। यह मामला केन्द्र में गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। गृह मंत्री जी का इसे ब्रज भाषा के साथ जोड़ने का वक्तव्य था इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि राजस्थानी भाषा को आठवीं सूची में शामिल करके एक अलग भाषा का दर्जा दिया जाए।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vanakkam*, hon. Chairperson. This is regarding online games and online gambling. In Tami Nadu alone, 42 persons have lost their lives due to this online gambling. They have committed suicide because of losing money.

Sir, the Government of Tamil Nadu has introduced a Bill and sent it to the Governor for his approval. But his assent has not been received for the last four months.

Sir, in this very House, the hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnaw said that the gambling law lies with the State. Its entry nos. 34 and 62 belong to the State entity and asked the hon. Members to pressurise the State Government to form laws. The Government of Tamil Nadu has already enacted a law and sent it to the Governor. But the Governor has not given his assent. We would like to know why he has not given his assent. It has been pending for the last four months. He has also met the representatives of online gambling. Now, it is said that it is a game of chance, game of intelligence etc.

In mythology, it is said that five persons were married to one woman. It is inhumane and it is against the rights of women.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे सेल के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की समस्या को सदन में उठाने का अवसर दिया। खुशी की बात है कि सेल कर्मचारियों के वेतन के लिए समझौता सम्पन्न हो गया और इससे कर्मचारियों में अपार खुशी है, लेकिन उनके 39 महीनों के एरियर का भुगतान कई महीने पूर्व समझौता होने के बाद भी आज तक नहीं हो पाया है। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के 39 महीनों के एरियर से बेटी की शादियों में, बच्चों की पढ़ाई में, मकान बनाने में कई प्रकार से उनकी मदद हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार 39 महीनों के वेतन का जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए।

सभापति महोदय, एक और बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। कोरोना में सैकड़ों कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस महामारी के आने से पहले कोई नियम या कानून नहीं था। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाती है, लेकिन कोरोना से मृत्यु होने पर उनको नौकरी नहीं दी गई है, इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि नियम बनाकर कोरोना से जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए।

15.00 hrs

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Chairman, Sir, here, I would request the Government to take urgent steps to exclude Angel Valley and Pampa Valley of Erumely Grama Panchayat, Kottayam District from the Periyar Tiger Reserve.

According to the recent notification issued as per the direction of the hon. Supreme Court, these two wards of Erumely Grama Panchayat come under the buffer zone, and are included in the Periyar Tiger Reserve. Before India's Independence, the Government of Thirukochi gave approval for using the land for cultivation under the "Grow More Food" scheme to overcome the food shortage in 1945. Therefore, the people started cultivation and settlement in these places well before the declaration of the Wildlife Protection Act in 1972.

Pampa Valley was exempted from the forest land in 1968, and after that, the Periyar Tiger Reserve came into existence in 1978. The UDF Government of Kerala led by Shri Oommen Chandy, granted *pattayam* for nearly 502 hectares of land 1,200 households.

At present, schools, several private and Government institutions, and worship places for different communities are functioning there. Most of the people living here are farmers who have started living there more than 70 years ago. They are under threat of evacuation because of declaration of forest land.

Being a Member of Parliament, I would request the Government to take immediate steps to exclude Pampa Valley and Angel Valley of Erumely

Panchayat from the forest land and the Periyar Tiger Reserve at the earliest possible date.

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (आज़मगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक पिलर-पीड़ित सदस्य को बोलने का मौका दिया है।

माननीय सभापति : पिलर-पीड़ित?

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' : जी, हां, क्योंकि उस पिलर के पीछे मेरी सीट है, इसीलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता हूं।

माननीय सभापति : वह स्तम्भ है। बोलिए, आपके पास एक मिनट का समय है।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' : सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे मैं पिलर-पीड़ित हूं, वैसे ही मेरा लोक सभा क्षेत्र आजमगढ़ भी पिलर-पीड़ित था। इस वजह से वहां सरकार का ध्यान कभी पहुंचा ही नहीं। जैसे पर्यटन की दृष्टि से काशी विश्वनाथ और गोरखपुर धाम का विकास हुआ, वैसे ही भैरवनाथ धाम आजमगढ़ में है, उसका भी पर्यटन की दृष्टि से विकास होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने पिलर ढहा दिया है, ताकि सरकार का ध्यान वहां पहुंचे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आजमगढ़ का विकास पर्यटन की दृष्टि से हो, क्योंकि वहां चन्द्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, माता अनुसुइया के पुत्र के आश्रम हैं, जो नदियों के कटान से खत्म होने वाले हैं। कृपया उसका सम्पूर्ण विकास किया जाए। धन्यवाद ।

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson, I am thankful to you for allowing me raise an issue in this august House. Rani Velu Nachiyar, Queen of Sivaganga, Tamil Nadu, born on 3rd January, 1730, an inspirational and an iconic personality, was the first Indian Queen, who had actually waged war against the British East India Company. She was the Queen, who had actually rebelled, and regained her kingdom 85 years or even before Jhansi Ki Rani's First Freedom Struggle of 1857-58.

The Government of India honoured her valour in spirit of freedom by releasing a commemorative stamp in 2008, and our able leader Shri M.K. Stalin also had ordered a tableau, portraying the life and achievements of Queen Velu Nachiyar, to be paraded in the length and breadth of Tamil Nadu during the Independence Day Celebrations, and a dance-drama comprising 62 State artistes were also performed during the Independence Day Celebrations.

Sir, the Indian Coast Guard Ships are named after brave "Women of Substance and Excellence" from various fields. For example, Kittur Rani Chennamma, and to name a few. But nothing has yet been named after Queen Velu Nachiyar, who was a versatile personality. She could speak 12 languages including Urdu, French and English; and was very well versatile in warfare, archery and martial arts.

So, I would like to request the Union Government as well as the hon. Defence Minister to name one of the fast patrol vessels of the Indian Coast Guard after Rani Velu Nachiyar, the Queen of Sivaganga.

Thank you.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे आज फिर मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र के बेहद मार्मिक विषय को रखने का अवसर दिया है।

सभापति महोदय, यों तो मैं इस विषय को तीन से चार बार लिखित रूप में और मौखिक रूप में दोनों ही तरह से सदन के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत कर चुकी हूं, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से फिर से अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील विषय है। यह मुझे चौथी बार इसलिए उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की मांग है। बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी की विधान सभा के रूदा, भदौरा और मझिगवां गावं में बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत विस्थापन की प्रक्रिया 21 जनवरी, 2008 को लागू की गई थी। उसके तहत तत्कालीन सरकार ने 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा की।

महोदय, तब से लेकर अब तक गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, चूंकि राशि इतनी कम है, मैं कई बार केन्द्र सरकार को आग्रह कर चुकी हूं, फिर से मैं आपके माध्यम से अपना निवेदन पहुंचाना चाह रही हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यह बात बता चुकी हैं।

श्रीमती रीती पाठक : महोदय, राशि इतनी कम है कि वह विस्थापित नहीं हो पा रहे हैं। गांव का एक व्यक्ति जो गरीब होता है, जो किसान होता है, जब वह गांव में घर बनाता है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

श्रीमती रीती पाठक : सभापति महोदय, शून्य काल है।

माननीय सभापति : लेकिन एक मिनट की सीमा भी है।

श्रीमती रीती पाठक : मैं क्षमा चाहती हूं, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दें। जब वह गांव में अपना घर बनाता है तो सिर्फ मिट्टी का उपयोग नहीं करता है और न अपनी मेहनत का उपयोग करता है, वह उसमें अपनी संवेदना, अपनी भावना, अपने परिवार का प्यार, अपनी सोच और अपनी आशाएं उस कच्चे मकान में उपयोग करता है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी केन्द्र सरकार की तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ, जो विस्थापन की प्रक्रिया के तहत उस गांव में निवासरत हैं, चाहे वह 'उज्ज्वला योजना' हो, 'प्रधान मंत्री आवास योजना' हो, चाहे 'सौभाग्य योजना' हो, पूरे देश के कोने-कोने में बिजली जगमगा रही है, लेकिन उस गांव तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं और लगातार सबसे संवेदनशील विषय यहां पर इसलिए आया है कि वहां पर जो उनके जीवनयापन का स्रोत है, जो उनकी आय का स्रोत है, उसमें चाहे बकरी हो, गाय हो, भैंस हो और खासकर मनुष्य तक पर जंगली जानवरों के माध्यम से हमला किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। ... (व्यवधान) मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं और आग्रह कर रही हूं कि परिसम्पतियों का मूल्यांकन ठीक तरह से हो। केन्द्र सरकार नियम के अनुसार तो मुआवजा दे रही है, लेकिन संवेदनाओं के आधार पर उनकी इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित हो।

माननीय सभापति : कृपया, एक मिनट की मर्यादा का ध्यान रखें, अन्यथा मैं अगला नाम बोल दूंगा।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Sir. Through you, I would like to draw the attention of this House to an urgent matter which is falling under the Ministry of Home Affairs, namely, the Border Area Development Fund (BADP).

Sir, my Parliamentary Constituency, Krishnanagar, has eight blocks in total, four blocks in Krishnanagar-I, Tehatta-I, Karimpur-II and Chapra fall under the border with Bangladesh. The Union Government, through its BADP programme, used to give us substantial funds for development. However, for the past three years, these funds had not been coming. We have just got the sanction for the Financial Year 2020-21. This is causing huge problems in the areas, especially in these backward border districts. I would urge *via* you to the Ministry of Home Affairs to expedite the process of releasing the funds and to give us the action plan for that year with that Financial Year.

Thank you, Sir.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, धन्यवाद । मोदी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और देश में बेघरों को घर के लिए 'प्रधान मंत्री आवास योजना' चलती है, लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं । नंबर एक यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गया या औरंगाबाद जिले या राज्य या देश में और भी जिले होंगे, जहां लाभकों का नाम ऑटो रिजेक्ट में चला गया है, जिससे उनको 'प्रधान मंत्री आवास योजना' का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन गरीबों का घर नहीं बन पा रहा है ।

महोदय, इस योजना में एक समस्या और है कि हजारों-लाखों ऐसे जेनुइन बेनिफिशियरीज हैं, जिनका नाम सर्वे के दौरान किसी न किसी कारणवश छूट गया है, चाहे वह सर्वे एजेंसी की गलती से हुआ हो या कोई और कारण हो । ऐसे हजारों-लाखों लाभुक हैं, जिनको इस महत्वाकांक्षी और गरीबों के कल्याण, भले के लिए जो योजना भारत सरकार चला रही है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

मेरा आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध है कि उसका फिर से सर्वे कराया जाए और ऑटो रिजैक्ट में जिनका नाम चला गया है, उस कमी को दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि गरीबों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके ।

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, Hon. Chairman Sir. There are two major issues that are affecting my constituency Shri Fatehgarh Sahib. MNREGA Scheme is in shambles in this area. The second issue is regarding railway overbridge. It is creating a lot of problems. Only 15 to 20% work is completed in MNREGA Scheme in my area. 50% money has already been utilized. The share of material payment is 80 to 90% that is pending.

The workers come to us with the complain that the Central Government is not sending money. I urge upon the Central Government to release the entire amount of MNREGA. Material payment should also be sent. Only then can the labourers get their dues.

Secondly, on Ropar-Ludhiana highway, an ROB is pending for the last several years. Last year, Hon. Gadkari ji had himself said that on the national and State highways, ROBs will be constructed soon. I urge both the Ministries to construct this ROB at Doraha. Otherwise, a jam of 5 to 10 kms. has become the order of the day here.

Thank you.

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मै आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मै आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर की विधानसभा नदबई की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में मिनी कोटा माना जाता है ।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मै सदन के माध्यम से आगरा-अजमेर सुपरफास्ट ट्रेन संख्या 22987/22988 को नदबई रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग करती हूँ।

महोदय, इसके साथ ही मै आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की डीग रेलवे स्टेशन की ओर भी आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ पर दिल्ली-मथुरा, ईएमयू शटल रेलगाड़ी चलवाने के लिए 50 से भी ज्यादा दिनों से युवा धरने पर बैठे हुए हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली मथुरा ईएमयू शटल रेलगाड़ी डीग रेलवे स्टेशन से चलाई जाए, जिससे युवाओ एवं व्यापारियो को रोजगार में काफी लाभ मिले। धन्यवाद।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. My subject relates to the regional ring road to Hyderabad city (Northern part) wherein I request the hon. Minister concerned to exempt the landlocked areas from the proposed construction of ramps and trumpets at the junction points.

In this connection, it is once again brought to the kind notice of the hon. Minister concerned that some small-scale industries and retail outlets come under the landlocked portion where the trumpets are proposed at the junctions in my Parliamentary Constituency, Bhongir near Raigiri village. Further, by providing access from the existing State Road to the landlocked portion with LVUP/VUP, wherever sufficient head is available at the trumpet portions, these small-scale industries and retail outlets may be utilised for public purpose. Further, it is to inform that a rice mill and some other industries are being affected.

I shall be grateful to you if immediate attention is paid and also directions are issued to the Officers concerned of NHAI to exempt the above landlocked portions from the acquisition, in the interest of livelihood of local public.

Thank you.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में कई ऐसे नेता हैं, जिनका बैकग्राउंड या बेसिस सिनेमा इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री से बिलांग करता है। इसमें कई माननीय मंत्री भी हैं।

सर, मैं भी एक कलाकार हूँ। हम लोग हमेशा यहाँ पर आम लोगों की तकलीफों के बारे में बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। मैं आज पहली बार सिनेमा में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट्स के बारे में बोलना चाहूंगा, जिसमें ग्रुप डांसर्स, स्टंट मैन आदि होते हैं। यहाँ पर कल्चर एंड टूरिज्म के मिनिस्टर और ऑनरेबल एमओएस, फाइनेंस भी बैठे हैं। जो जूनियर आर्टिस्ट्स होते हैं, जो ग्रुप डांसर्स या स्टंट मैन होते हैं, ये साल में बहुत मुश्किल से पाँच-छ: महीने के लिए काम पाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग डेली वेजेज़ के होते हैं। कोविड के बाद कई लोगों ने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अब वे गरीबी की जिन्दगी जी रहे हैं। उनके लिए दो वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है।

मैंने ऐसी सिचुएशन भी देखी है, जहाँ पर कलाकार अस्पताल में एडमिट हुए, वे ठीक से चिकित्सा भी नहीं करा पा रहे थे, उनके मरने के बाद, उनके घर वालों के पास उनकी लाश तक को निकालने के पैसे नहीं थे, जिसे निकालने के लिए पॉलिटिशियन्स या बड़े लोगों को इंटरफेयर करना पड़ा।

सर, मैं आपके माध्यम से, केन्द्र सरकार को दो-तीन सुझाव देना चाहूँगा। कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर और एमओएस, फाइनेंस यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल से, आपके माध्यम से, वे मुझे सुन रहे हैं। Sir, a benevolent fund may be created for providing relief to these artists particularly, during distress or financial crisis. There should be medical insurance to cover all their medical requirements. Cheap rental accommodation may be given to all these artists. हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक स्कीम हो, जिसके तहत इनको आसानी से घर मिल सके।

A pension scheme may be brought for these artists so that they can survive once they are out of the job or are incapacitated due to permanent injury while on work or due to medical reasons or old age.

माननीय सभापति : आपका समय पूरा हो गया।

श्री अनुभव मोहंती : सर, मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

माननीय सभापति : अब आप क्यों अपील कर रहे हैं? आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुभव मोहंती : मैं आपके माध्यम से, इस सदन में केन्द्र सरकार से विनती करना चाहूंगा कि हम कलाकार दुनिया को एंटरटेन करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। हमारी भी खुद की जिन्दगी होती है, लेकिन हमारे परिवार के लिए और अपने लोगों की जिम्मेदारी लेने की भी हमारी रेस्पांसिबिलिटी होती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसे जूनियर आर्टिस्ट्स- ग्रुप डांसर्स, स्टंट मैन, फाइट मास्टर्स की जिम्मेदारी आप भी लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय सभापति जी, आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि अभी भी झारखण्ड विकास की दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले, आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं। ये दोनों जिले, आपके प्रदेश, जहाँ से आप आते हैं, की सीमा पर स्थित हैं। इन जिलों की सीमाएं एक ओर बिहार से और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से भी जुड़ती हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी, न ही कोई उद्योग-धंधा ही लगा। इस समस्या का मूल कारण वहाँ पर जमीन की अनुपलब्धता है, जिसके कारण वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लग रही है। वहाँ पर इस तरह से जमीन उपलब्ध करायी जा सकती है कि आज जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, जिसके अंतर्गत जंगल-झाड़ को वहाँ के फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत दिखा दिया गया है, जिसकी वजह से, वहाँ कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश नहीं हो रही है। उसमें संशोधन की आवश्यकता है ताकि जमीन की उपलब्ध हो सके और फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो सके और वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके एवं उस राज्य के उत्थान के साथ ही हमारे संसदीय क्षेत्र का भी आर्थिक विकास हो सके।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, thank you for giving me this opportunity.

Sir, the Integrated Child Development Programme is the most revolutionary social development programme in our country. It was introduced by our former hon. Prime Minister, Indira Gandhi Ji, in 1975. I am raising a matter related to the Anganwadi teachers and helpers. They are addressing the concerns of nutritional deficiencies of the new-born babies, pregnant ladies, children and teenage girls but they are not recognised with as much concern as their commitments and hard work they give to our nation.

Sir, I am raising the matter with regard to increase in their wages. They should get minimum wages and salaries, whichever are applicable to other labourers and workers. As per the recommendations of the 11th Pay Commission, minimum salary for the last Grade, which is Grade-7, is Rs.23,700. So, the salaries of anganwadi teachers and helpers should be in line with that. They should also get ESI facilities and other benefits like pension, gratuity, Provident Fund, etc. In the State of Kerala, they are getting a salary of about Rs.12,500. Of this, the Central share is about Rs.4500. Therefore, I would request the Government to increase the Central share up to Rs.10,000. Thank you. Sir.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, there is a Composite Regional Centre (CRC) in my constituency, and it has been in operation since 2015 under SVNIRTAR Olatpur, Cuttack. This centre was upgraded to CRC SRE in June 2018 with services ranging from academic to clinical. The Centre's objective is to provide both preventive and promotional aspects of rehabilitation for specially-abled persons. The centre has its own building of approximately 20,000 square feet over an area of about 4.86 acres.

However, out of the 19 posts which are there, only eight are filled up, and 11 posts are still lying vacant after all these years. The parents of special needs children have drawn my attention to the fact that their children are affected due to the absence of speech and occupational therapists. Sir, my request, through you, to the hon. Minster of Social Justice and Empowerment is to kindly issue necessary directions for immediate filling up of posts whether on regular or contractual basis so that the people of my constituency are benefited. Thank you very much, Sir. *....(Interruptions)*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I seek your indulgence to use your discretion.

HON. CHAIRPERSON: Please do not doubt about that.

धनुष एम. कुमार जी

… (व्यवधान)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Chairman, Sir, through you, I would like to bring to the notice of the Government a matter of urgent public importance related to my constituency.

माननीय सभापति : श्री उत्तम रेड्डी जी, मैंने श्री धनुष एम. कुमार जी को बोलने के लिए कहा था।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, रेड्डी जी, अब आप बोलिए।

धनुष एम. कुमार जी – आप बाद में बोलिएगा।

… (व्यवधान)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: Sir, the National Highway No.65 from Hyderabad to Vijayawada connects the States of Telangana and Andhra Pradesh. This highway was expanded to four-lane several years back with GMR as the concessionaire.

Sir, for several years, its expansion from four-lane to six-lane has been pending, and the concessionaire, which is GMR, has gone to court due to several legal issues. I request the Government's intervention for the expansion of the road from four-lane to six-lane. Both myself and the other Member of Parliament, Shri Venkat Reddy from Bhongir constituency have been repeatedly meeting the hon. Minister concerned. I wish to request that the expansion work of road from four-lane to six-lane for which land acquisition has already been completed be taken up immediately.

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना) : धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र गुना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को आज इस सदन में आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगा।

महोदय, गुना से बीना और गुना से भोपाल तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को कोरोना महामारी के समय बंद कर दिया गया था। इन ट्रेनों के बंद होने के कारण निकट के गांव, स्कूल से कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, गरीब मजदूर, किसान, छोटे और बड़े व्यापारी और नौकरी करने वाले कर्मचारियों को यात्रा करने में बहुत असुविधा हो रही है। इन ट्रेनों को इस क्षेत्र की लाइफलाइन कहा जाता था। कई अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज भी बंद कर दिए गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल गुना-बीना ट्रेन, जो वहां की लाइफलाइन है और गुना-भोपाल ट्रेन को पुन: रूप से, तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए, जो वर्ष 2019 से बंद है। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I rise to raise a matter relating to handloom industry. As you all know, handloom industry plays a key role in the Indian economy for providing employment to rural population. Also, it is a carrier of India's rich cultural heritage to other countries.

In Odisha, it is an ancient industry which has been the primary source of income in rural and semi-urban areas for women and other economically disadvantaged people, for centuries. This industry has a large capacity to absorb labour which is essentially beneficial for Odisha which is a labour surplus State or economy.

Therefore, I urge upon the Government to exempt the handloom sector from the Goods and Services Tax because it is raising the cost of the products of this industry, having an adverse impact on all those who depend on it for their livelihood as well as places barriers on the expansion of the industry.

Thank you.

*__SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI):__ Thank you Hon Chairman Sir. This is a long pending demand of the people of my Tenkasi constituency. The rail route connecting Tirunelveli to Bengaluru via Tenkasi is an important one. I urge upon the Union Government that many trains should be operated in this rail route and make this rail route functional. Also the railway route between Sengottai-Tenkasi-Coimbatore-Tiruppur- Erode, as announced in the Budget of 2009, should see the light of the day. The frequency of Silambu Express (16181) which runs from Chennai to Sengottai should be made operational seven days a week. Pothigai Express train is a preferred train which is frequently used by the people of my Constituency. The bogies of this train need to be revamped besides ensuring upgraded and clean toilets in this train. I request that all the above demands pertaining to Railway Ministry will be looked into and be fulfilled at the earliest. Thank you.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): सभापति जी, मैं ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं और अपने क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके समक्ष बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जयदेव नामक विधान सभा है। उस विधान सभा में राज्य सरकार के सहयोग से बालू माफिया काम कर रहे हैं। बालू खनन का काम चल रहा है। जब अभियोग आया तो मैं गई और मैंने तहकीकात की। मैंने उस बात को सत्य पाया। उसके बाद मैंने लिखित अभियोग भी दिया है।... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती : महोदय, यह राज्य का विषय है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं। अनुभव जी, यह बताना आपका काम नहीं।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपराजिता सारंगी: महोदय, बालू खनन की वजह से इस विधान सभा में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोगों का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। रोड़, ब्रिज टूटने के कगार पर हैं और इस वजह से मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अनुरोध करना चाहूंगी कि एक टीम भेजी जाए, जो अनुसंधान करे। राज्य सरकार बालू माफिया के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करे। मैंने इसके लिए लिखित अभियोग भी दिया है। धन्यवाद।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज थावे से दिल्ली या किसी अन्य महानगर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। मैंने कई बार सदन में नियम 377 के तहत और शून्य काल में भी माननीय मंत्री से मिलकर भी इस मुद्दे को रखा। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि गोपालगंज थावे से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन जल्द से जल्द दी जाए। जो एसी ट्रेन अरूणाचल प्रदेश से दिल्ली चलती है, उसे डायवर्ट करके छपरा से गोपालगंज थावे, गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक लाया जाए, ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिले।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद सर। मैं बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं इस समय दार्जिलिंग, तराई और डूअर्स की बात करना चाहता हूं। आजादी के बाद हमारे क्षेत्र **के** लोगों के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार होता रहा। वर्ष 1861 नॉन रेग्युलेटेड एरिया, फिर रेग्युलेटेड एरिया, उसके बाद वर्ष 1870 से 1874 तक नॉन रेग्युलेटेड एरिया, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड ट्रैक्ट, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया होते-होते आकर वर्ष 1956 में अब्जॉर्ब्ड एरिया लॉ के अंतर्गत यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। तब से अत्याचार, अन्याय और भेदभाव होता रहा है। क्षेत्र में लोकतंत्र गायब है। पिछले 16 सालों से पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। भारत के संविधान में 243(एम) के अंतर्गत हिल काउंसिल को मान्यता दी गयी। हिल काउंसिल के बजाय वहां पर जीटीए का शासन चल रहा है। घुसपैठिए भारी संख्या में आ गए हैं। हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं। हमारा अधिकार कोई और ले जा रहा है। जब भी हम अधिकार की बात करते हैं, तो हमें पीटा जाता है। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं।

सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में स्थायी राजनीतिक समाधान हो, लोगों की भावनाओं के अंतर्गत हो और भारतीय संविधानुसार हो। इसके साथ ही जो गोरखा हैं, उनका आइडेंटिटी क्राइसिस समाप्त हो तथा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम हो।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि टीएमसी ने अभी हाल ही में असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर आयी है कि अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि यह अधिकार भारत सरकार का है। आर्टिकल 2 और 3 हमारे लोगों को अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार देता है। टीएमसी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता और ममता बनर्जी टीएमसी से बड़ी नहीं हो सकतीं, अत: मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्राइवेट मेंबर्स बिल का समय हो गया है। कुछ माननीय सदस्य अभी शून्य काल में बोलना चाहते हैं। अत: शून्य काल के समय को बढ़ाया जाता है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स बिल को लिया जाएगा।

… (व्यवधान)

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा के अंतर्गत रेलवे स्टेशन सांची है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। यहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी देश-विदेश से आते हैं। अत: सांची रेलवे स्टेशन पर विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11271/11272 का स्टॉपेज करने की मांग है।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के गंजबासौदा शहर में प्रयागराज ट्रेन संख्या 14115/14116 का स्टॉपेज न होने से यहां के निवासियों को धार्मिक कार्य हेतु प्रयागराज जाने में असुविधा हो रही है। अत: आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सांची रेलवे स्टेशन पर विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11271/11272 कोरोना-काल के पूर्व परिचालन में चल रही ट्रेन का स्टॉपेज यथावत रखा जाए। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज ट्रेन सख्ंया 14115/14116 का स्टॉपेज कराया जाए। धन्यवाद।

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं प्याज, कपास और सोयाबीन के बड़ी मात्रा में दाम गिरने के कारण, प्याज, कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों की दिक्कतों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र आकांक्षी जिलों में आता है । महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं मेरे संसदीय क्षेत्र में ही होती हैं। प्याज के निर्यात की बंदी करने के कारण और प्याज को जीवनाशक वस्तुओं में लाने के कारण प्याज के दाम गिरे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि निर्यात की बंदी हटाई जाए और जीवनाशक वस्तुओं में से प्याज को निकाला जाए। उसी प्रकार से सोयाबीन और कपास हेतु मेरी विनती है कि सोयाबीन के आयात शुल्क को कम किया गया है, जिस कारण सोयाबीन और कपास के दामों में भारी मात्रा में गिरावट आयी है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि सोयाबीन के आयात के लिए बढ़ाए गए आयात शुल्क को कम किया जाए।

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): सभापति महोदय, सदन में मेरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने हेतु अनुमति देने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरे ग्वालियर लोक सभा क्षेत्र की विधान सभा करैरा के अंतर्गत आने वाले नरवर शहर का अपना एक वैभवशाली इतिहास रहा है । महाभारत में भी नरवर का उल्लेख निषध नगर नाम से मिलता है। इसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है । ढोला मारू प्रेम प्रसंग का भी नरवर इतिहास से संबंध है । नरवर का किला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं । नरवर को ऐतिहासिक, धार्मिक प्राकृतिक सुंदरता का संगम कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । जहाँ प्राकृतिक सुन्दरता तो है ही, लोढ़ी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। यहाँ पर तीन विशाल डैम मोहनी सागर, अटल सागर व हरसी हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ प्राचीन चौदह महादेव मंदिर, जैन समाज की आस्था का केन्द्र उरवाहा मंदिर व टपकेश्वर धाम भी है। धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व वाले नरवर को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाने एवं इसे अधिक आकर्षक एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु वहाँ पहाड़ी पर स्थित लोढ़ी माता मंदिर तक रोपवे निर्माण की आवश्यकता है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस हेतु पहल करें। धन्यवाद।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I rise to draw the attention of hon. Minister of Road Transport & Highways regarding the functioning of toll gates in the country as a whole, and in my Constituency in particular. The toll gates are collecting higher charges than the prescribed rates and because of this, a lot of scuffling is going on at the toll gates between the drivers and the toll gate employees.

Apart from this, the toll gates are delaying the passing of vehicles because of the less number of staff employed over there. Toll gates allow unauthorized parking of vehicles. It stops the free movement of other vehicles. Toll gate employees are exceeding in their behaviour, particularly when the VIP vehicles are passing through the gates. This is to be taken note of by the concerned Ministry. Also, some toll gates are functioning after expiry of their lease period and this is not proper.

So, I request the hon. Minister of Road Transport & Highways, through you, to take necessary action on this aspect.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जो मातबरगंज, आजमगढ़ में है, वहाँ रहने वाले छात्रों को एकपक्षीय गलत तरीके से आदेशित कराकर पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती छात्रावास खाली करा दिया गया है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को समय भी नहीं दिया गया कि वे अपने सामान को इकट्ठा करके उसे खाली कर सकें। भू-माफियाओं द्वारा इसे जबरदस्ती खाली कराया गया है। सरकारी तीन एकड़ जमीन भू-माफियाओं ने जबरदस्ती अपने कब्जे में करने के लिए गलत आदेश कराकर ऐसा किया है। मेरी सरकार से माँग है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए हॉस्टल बनाकर उनके रहने की व्यवस्था करे। आजमगढ़ मंडल है और मंडल में अभी हाल ही में एक महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का संचालन हुआ है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन-पाठन के लिए आते हैं।

मेरी सरकार से माँग है कि उक्त जमीन को भू-माफियाओं के हाथ से लेकर सरकार उस पर हॉस्टल बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के रहने की व्यवस्था करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): महोदय, लातूर जिले के सोयाबीन किसानों को खरीफ 2022 सीजन के दौरान बुवाई के समय घोंघे के प्रकोप, भारी बारिश तथा उसके पश्चात् बेमौसम बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। यह पाया गया है कि बीमा कंपनियों द्वारा पारदर्शी तरीके से किसानों को हुई फसल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश किसानों को उनकी फसल के नुकसान के लिए अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यही नहीं अभी तक किसानों के वर्ष 2021 व वर्ष 2020 के दावे पर भी पूरी तरह भुगतान नहीं किया गया है।

लातूर जिले में सोयाबीन किसानों के मामले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कतिपय प्रक्रियागत खामियाँ पाई गई हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए तथा किसानों की मदद के लिए बीमा कंपनियों को अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव करना चाहिए।

अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि साल 2023 की बीमा योजना को लागू करने से पहले बीमा नीति में आवश्यक बदलावों पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें फसल बीमा से संबंधित अधिकारियों के अलावा हमारे जिले के विशेषज्ञ और किसान शामिल हों तथा उसकी सिफारिशों के अनुरूप फसल बीमा नीति में जरूरी बदलाव किया जाए। धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

महोदय, देश के गरीब, लाचार, बेबस लोगों की आवाज बनने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी, जिन्होंने आज़ाद भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करने हेतु अपने जीवन को बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। उनके इस बहुजन समाज के उत्थान के लिये किये गये कार्यों के लिए कई बार हमारी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी मान्यवर श्री कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग कर चुकी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): महोदय, आपने शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं सबसे पहले भारत सरकार के माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री एवं परिवहन मंत्री परम अदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे यहां फर्रूखाबाद के बेवर से लेकर पीलीभीत तक 730सी राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किया और स्वीकृत ही नहीं, उसका टेंडर करके काम भी शुरू हो गया है।

महोदय, मैं इस पर चाहता हूं कि इस पर तीन जर्जर पुल बने हुए हैं। एक गंगा नदी पर जर्जर पुल बना हुआ है। रामगंगा नदी और काली नदी पर पुल बने हुए हैं। इन तीन नदियों पर जो पुल बने हुए हैं, वे बहुत जर्जर और छोटे हैं। यहां राजमार्ग बन रहा है, इसलिए यहां नए पुल की आवश्यकता है। दूसरा, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से एक छोटा सा और अनुरोध है। फर्रूखाबाद जनपद और उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। आलू के किसान इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि तीन सौ रुपये क्विंटल और 150 रुपये कट्टी आलू बिक रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसान बहुत परेशान हैं। मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आलू के किसानों का उद्धार करने के लिए आलू का कहीं निर्यात कराने का कष्ट करें।

माननीय सभापति : अब आपने दो अलग-अलग मंत्रालयों से संबंधित मांग रख दी है। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जीरो ऑवर कहां जाएगा?

श्री मुकेश राजपूत : सर, आगे से ध्यान रखेंगे।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Thank you, Sir. On the last day of this Session, I again repeat my demand for releasing the funds of MGNREGS to West Bengal. Rs. 7,300 crore are still due from the Central Government to West Bengal, and without this money you can imagine the poorest of the poor -- the daily labour -- are suffering like anything.

I have made a plea here; we met the Rural Development Minister; and our Panchayat Minister met him, but the Finance Minister has been cruel to deny us this money on the ground of some technical certificate from the AG. The total due of West Bengal from the Centre is over Rs. 1 lakh crore. With your blessings, I again demand from the Finance Minister to give up her cruelty and release this fund for the poorest of poor, and Rs. 7,300 crore should be immediately released to West Bengal on account of MGNREGS.

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा क्षेत्र बैतूल, हरदा, हरसूद के लोकहित के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, मेरे जनजाति बहुल क्षेत्र बैतूल जिले में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पाथाखेड़ा सारनी क्षेत्र सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित है। इस क्षेत्र में समूचे देश से कामगार काम करते हैं। दो खदानें नवीन खुदाई के लिए दीर्घावधि से प्रस्तावित है। क्षेत्र शनै: शनै: उजड़ रहा है। कामगारों एवं क्षेत्र की जनता ने अनेक बार धरना, प्रदर्शन एवं ज्ञापनों के माध्यम से कोयला मंत्रालय का ध्यानाकर्षण किया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय कोयला मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिशा में ठोस पहल कर नवीन खदानों के शीघ्र उत्खनन हेतु प्रयास करें। मेरी आपसे ऐसी आशा, अपेक्षा और प्रार्थना है। धन्यवाद, जयहिंद।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के अन्तर्गत धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दिनांक 24.01.2019 को भूमि पूजन सम्पन्न हो चुका था।

इस एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और लगभग 100 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है।

धालभूमगढ एयरपोर्ट का निर्माण तीनों पूर्वी राज्य झारखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उल्लेखनीय है कि इस एयरपोर्ट से तीनों राज्यों के तीन बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को विकास की एक नई दिशा मिलेगी। झारखण्ड का जमशेदपुर एवं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा मिलेगी । झारखण्ड का जमशेदपुर एवं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का पुरूलिया एवं खड़गपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं ओडिशा का बालासोर (बालेश्वर) औद्योगि क्षेत्र इस प्रस्तावित एयरपोर्ट से मात्र 50 से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं।

इस एयरपोर्ट के लिए अब तक झारखण्ड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं प्रदान किया गया है एवं नागरिक उड्डउयन मंत्रालय को इससे संबंधित प्रस्ताव झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है । मैंने गत 04.03.2022 को झारखण्ड राज्य के माननीय मुख्य मंत्री से मुालाकात कर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने के संबंध में एक ज्ञापन समर्पित किया एवं इस संबंध में वार्ता भी की थी। उन्होंने इस संबंध में सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया था। परंतु वर्तमान राज्य सरकार के उदासीनता की कारण यह योजना अभी तक लंबित है।

अत: इस संबंध में श्रीमान से निवेदन है कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण हेतु भवदीय के स्तर से माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार से विचार विमर्श/वार्ता कर इसका निदान करना चाहेंगे।

धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री राजकुमार चाहर जी – उपस्थित नहीं। श्री विनय सोनकर जी – उपस्थित नहीं।

श्री हाजी फजलुर रहमान जी।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): सभापति जी, आपका शुक्रिया। हमारी मौज़ूदा सरकार का जो सबसे चर्चित नारा है – सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मुझे ऐसा लगता है कि माइनोरिटीज़ के लोगों को इसका फायदा कम मिल रहा है। मिसाल के तौर पर पिछली मर्तबा जो बजट आया। इसी तरीके से मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम को बंद कर दिया गया। हालांकि हमारे मंत्री महोदय ने कहा था कि यह जारी है। लेकिन स्टूडेंट्स को वह पैसा नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे यूपीएसएसी के एग्ज़ाम के सिलसिले में जो सहायता माइनोरिटीज़ के बच्चों को मिला करती थी, वह स्कीम भी बंद कर दी गई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन तमाम स्कीमों को जारी करने का आदेश पारित करें।

धन्यवाद।

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय जल-जीवन मिशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना – हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और इसमें उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि तमाम नगर पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बन रही हैं। हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है। तमाम काम पूरे हो रहे हैं। पानी की टंकियां बन रही हैं। लेकिन बनने के बाद इन टंकियों को बनाने का जिम्मा नगर पांचायत और ग्राम पंचायत को हैण्डओवर कर दिया जाता है। क्योंकि नगर पांचायत और ग्राम पंचायत के पास इन पानी की टंकियों के संचालन के लिए कोई अपना टैक्नीकल स्टाफ नहीं है। जिसके कारण ये टंकियां बन कर के अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। मैं अपना व्यक्तिगत कारण भी कहना चाहता हूँ कि इसी सदन तके मेरे पिताजी चार बार सांसद थे। सभापति जी, हमारे घर के ठीक सामने पानी की टंकी 20 सालों से बनी है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक उस टंकी से सप्लाई नहीं हुआ है। यह हमारी व्यक्तिगत पीड़ा है। मैं दूसरी बार का सांसद हूँ और मेरे पिता जी चार बार के सांसद हैं। लेकिन हम अपने घर के सामने की पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहे हैं। हम जिले की दिशा कमिटी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बार कहने के बाद भी यह काम नहीं हो रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि यह नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में जो पानी की टंकियां बन रही हैं, उनको चलाने के लिए टैक्नीकल स्टाफ की भर्ती की जाए। नहीं तो जिस योजना को ले कर प्रधान मंत्री जी आशान्वित हैं, वह काम पूरा नहीं होगा।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की चिंता और वहां की समस्याओं को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।महोदय, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर संभाग है, वह वनों एवं पर्वतों से आच्छादित है। वह वीर गुंडाधुर की धरती है, जहां उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में भूमकाल विद्रोह की शुरुआत की थी। वहीं धर्मात्मा राजा प्रवीर चंद्र भंज देव ने अपनी आहूति दी थी। आज ऐसा लगता है कि केवल बस्तर में ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और वहां 'लहूतंत्र' की शुरुआत हो रही है। जिस प्रकार से विगत दिनों वहां माननीय नड्डा जी के प्रवास के पहले तीन हत्याएं हुईं और वे जैसे ही वहां से गए, वहां फिर दो हत्याएं हुईं, इसमें कहीं न कहीं से राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। हमारे बधुर राम, कट्टा राम, नीलकंठ, सागर साहू ने उस क्षेत्र से आहूति दे दी, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवायी जाए। नारायणपुर में रुप साय सलाम के साथ जो 25 लोगों को अन्दर किया गया है, उनको रिहा किया जाए। वहां धर्मान्तरण बंद किया जाए। उसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): सभापति महोदय, भिंड संसदीय क्षेत्र में गोहद विधान सभा के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में आज बहुत सारी औद्योगिक कंपनियां बंद हो चुकी हैं।

महोदय, ऐसी स्थिति में, बंद हुई कम्पनियों की भूमि को, बंद उद्योगों की जमीन को हमारे भिंड जिले के होनहार, नए युवा उद्यमियों को रोजगार हेतु आवंटित किया जाए, जिससे उस लोक सभा क्षेत्र के युवा उद्यमियों को उस जमीन पर रोजगार करने का अवसर मिल सके और ऐसे युवा, उद्यमी बनकर औद्योगिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकें।

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): I want to raise a point for the Home Minister to consider. In this cold winter, while the temperatures are going in minus in the city of Srinagar, a lot of demolition is taking place and many people have to leave their homes.

I will request the Home Minister to look into this and stop what is happening there. As many colonies have been regularised in Delhi over the years, this may be considered so that these people who have to leave their homes in this cold winter get some relief.

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): सभापति महोदय, मैं बिष्णुपुर से आता हूं। देवाधिदेव सरेश्वर बाबा और माँ शारदा के आशीर्वाद से और रेल मंत्री जी के सहयोग से हमारे मैनापुर से कामारपुकुर नई रेल लाइन के लिए 101 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ है और मासाग्राम लाइन पर भी काम शुरू हुआ है। तीनों प्रोजेक्ट्स में से दो प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू है, लेकिन मेरी रेल मंत्री जी से विनती है कि हावड़ा – चक्रधरपुर ट्रेन की स्टॉपेज की जाए। मैं बार-बार बोल रहा हूं कि मां शारदा हमारे बिष्णुपुर में आती थीं, और जयरामबाटी जाती थीं, उस ट्रेन का हमारे यहां स्टॉपेज चाहिए, यह मेरी आपसे विनती है।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, पूरे देश के और खासकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान बहुत परेशान हैं। पिछले आठ सालों में केवल दो बार, एक बार 25 रुपये और एक बार 10 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा है जबकि अगर आठ-नौ सालों की महंगाई को जोड़ें तो यह करीब 85-90 प्रतिशत होती है। वहीं, इसके रेट केवल 35 रुपये बढ़े हैं, जो 300 रुपये के करीब होनी चाहिए थे। आज मैं आपसे मांग करता हूं कि गन्ने का रेट कम से कम 150 रुपये बढ़ाया जाए। महोदय, देश में यह एक ऐसी चीज है, जिसकी पिछले तीन महीने से सप्लाई तो चालू है, पर उसके रेट अभी निश्चित नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार गन्ने का रेट जल्दी तय करे और इसे कम से कम 150 रुपये बढ़ाए।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो जबलपुर-जयपुर मार्ग है, वह नरसिंहपुर-रायसेन जिले से होकर गुजरती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रालय से आग्रह है कि चाहे नरसिंहपुर जिला हो या रायसेन जिला, रायसेन जिले में उदयपुरा, खरगौन, बरेली है। यहां बाईपास तैयार हुए हैं, लेकिन अंदर के जो मार्ग हैं, वे खराब हालत में हैं। मुझे लगता है कि या तो उन मार्गों का काम चालू नहीं हुआ है या हुआ है तो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस बारे में मैं पहले भी आग्रह कर चुका हूं। महोदय, पुन: मेरा मंत्रालय से आग्रह है कि इन मार्गों को शीघ्र बनाया जाए, ताकि शहरों के जो खराब मार्ग हैं, उन पर चलने में लोगों की सुविधा हो सके। महोदय, इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का इकलौता स्टेट हाइवे है, जिस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है। यह करेली, गाडरवारा, पिपरिया, नर्मदापुरम होते हुए सिवनी बानापुरा जाता है। उस पर ट्रैफिक और बड़ी गाड़ियों की संख्या काफी है। वहां जो शहर हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। उस स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में परिवर्तित करने के लिए माननीय मंत्री जी पहले भी घोषणा कर चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उसे शीघ्र नेशनल हाइवे में परिवर्तित करके राशि स्वीकृत की जाए, जिससे बेहतर आवागमन के लिए मार्ग तैयार हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. NLC India Limited is one of the PSUs in India which has a Navratna Status. This is in my Chidambaram parliamentary constituency. This NLC has an annual turnover of more than Rs 1000 Crore. Those who have given their lands and houses to this Company and who have lost their livelihood are still struggling hard asking for due compensation and employment. In this scenario, NLC has been engaged in expanding the mining activities. This has resulted in displacement of hundred of villages in this area. Particularly the expansion work is planned upto to Kattumannargudi of in my constituency. But NLC is not ready to give compensation to the affected people. I urge that there should be a compensation of Rs 1 Crore per acre besides providing employment to one member of each of the affected families. Moreover, CSR funds should be used locally. But the CSR funds of NLC are being used in the northern States of the country, where the BJP is power. This should be stopped. I therefore urge upon the Government that the CSR funds of NLC should be spent for the programmes and schemes implemented in and around areas of NLC in my constituency. NLC also provides employment to people who are not residents of Tamil Nadu. I urge that employment in NLC should be ensured for the people of Tamil Nadu. Thank you

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश का ध्यान एक बहुत गंभीर विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं। आज देश की जेल में लाखों कैदी बंद हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में रहकर आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कैदी सजायाफ्ता नहीं है, जिनका केस अण्डर ट्रायल है, ऐसे सभी कैदियों को मतदान करने का अधिकार दिया जाए।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के अपने संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र शायद देश का सबसे बड़ा, घना, आदिवासी बहुल, नक्सल प्रभावित, अविकसित, आकांक्षी और औद्योगिक क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट है। वहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा भी है।

सभापति महोदय, यही नहीं, बल्कि वहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी बड़े पैमाने पर हैं। मेरे क्षेत्र के सपराड़ा, कछारगढ़, मार्केण्डेश्वर, बीनागुण्डा, भंवरागढ़, अरगतोण्डी, रामदेगी और गायमुख में बड़े पैमाने पर धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है। वहां शिवरात्री उत्सव के अवसर पर बड़े पैमाने पर लोग आते-जाते रहते हैं। वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अभी तक उन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है।

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

श्री अशोक महादेवराव नेते : सभापति महोदय, मेरी डिमांड है कि वहाँ कम से कम रास्ता, ब्रीज, पीने की पानी, शौचालय, भक्त निवास, सांस्कृतिक केंद्र, धर्मशाला और बगीचा इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए।

16.00 hrs

मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि ये सभी धार्मिक स्थल हैं, अगर इन सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन सूची में डालें और विकास करें तो सभी धार्मिक स्थलों का विकास होगा।

श्रीमती कविता सिंह (सिवान): सभापति जी, आज मुझे सदन के माध्यम से बिहार राज्य की लोक महत्व की बातों को रखने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लोहार जाति पाई जाती है, लोहरा नाम की कोई जाति नहीं पाई जाती है। प्रदेश और देश में लोहार जाति जो पूर्व से ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है, स्पेलिंग मिस्टेक के चलते उनसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा ले लिया गया है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि लोहार जाति को विधिवत अनुसूचित जनजाति में पूर्व की भांति शामिल करने का मौका दिया जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली, एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन इसकी यातायात की सुविधायें बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा आपके शहर मेरठ के लिए दिल्ली से आरआरटीएस बनाया है, वैसा ही बुलंदशहर के लिए बनाया जाए, ताकि बुलंदशहर वासियों को आने-जाने में सुविधा मिले और क्षेत्र का विकास हो।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने शून्य प्रहर में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर राजगीर में कुश्ती का इतिहास बहुत पुराना है। द्वापर काल से इसका इतिहास रहा है। मगध सम्राट इसी जरासंध अखाड़े में खुद दांव आजमाते थे। द्वापर काल में महाभारत शुरू होने से पहले जरासंध और कुंती पुत्र भीम के बीच 28 दिनों तक मल्लयुद्ध चला था। इसकी चर्चा धर्म ग्रन्थों में भी है। अखाड़े की कहानी काफी रोचक है। आज भी देश और दुनिया से लोग आते हैं, उस अखाड़े में जाते हैं और मिट्टी लगाते हैं।

सभापति महोदय, जरासंध अखाड़े के निकट जरासंध स्मारक बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजा है। मेरा माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी स्वीकृति शीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): सभापति जी, धन्यवाद । भारत के आजाद होने के बाद जितनी सरकारें बनीं, उन सभी सरकारों ने हम भारतीयों को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के तहत सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को संविधान सम्मत आरक्षण का लाभ दिया । लेकिन, आज परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी कांट्रैक्ट पर नौकरियां दी जा रही हैं । इससे विकास की गति तो बढ़ रही है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को संविधान सम्मत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि निजी कंपनियों और कांट्रैक्ट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है । इससे स्वाभाविक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार मांग है कि प्राइवेट एवं कांट्रैक्ट नौकरियों में भी संविधान सम्मत आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सुनिश्चित की जाए ।

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वाल्मीकि नगर से हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित जंगलों और नदियों से घिरा हुआ भू-भाग है। बिहार की एकमात्र टाइगर परियोजना यहीं पर है, जिसको देखने के लिए पर्यटक विभिन्न राज्यों से आते हैं। वाल्मीकि नगर लव-कुश की जन्मस्थली रही तथा महर्षि वाल्मीकि जी की कर्म भूमि रही है। यहां पर मदनपुर माता का मंदिर है, जहां पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां लौरिया का अशोक स्तम्भ तथा चानकीगढ़ जैसे अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। वाल्मीकि नगर से हवाई सेवा शुरू करने से पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी और इस क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा। अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वाल्मीकि नगर से हवाई सेवा शुरू की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री गोपाल जी ठाकुर। आपकी वाणी की विद्युत से इसमें प्राण आएंगे। आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): सभापति महोदय, उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट को शामिल कर वहां से हवाई यातायात प्रारंभ करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को 8 करोड़ मिथिलावासियों की तरफ से अभिनंदन, वंदन और बधाई।

8 नवम्बर, 2020 को इस एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन प्रारंभ हुआ था। मुझे सदन को बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि सीमित संसाधन के बावजूद उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट देश का सबसे सफलतम एयरपोर्ट साबित हुआ है।

अभी तक 14 लाख लोग वहां से उड़ान भर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, वहां से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वहां काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए और रनवे का काम समय से पूरा किया जाए। नये टर्मिनल का काम अविलंब पूरा किया जाए। 6 एप्रॉन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लाइटिंग के अभाव में वहां 64 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, वहां लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल बाबा विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से किया जाए। बिहार सरकार से 54 एकड़ जमीन अविलंब हस्तांतरित की जाए। वहां जंगली जानवर तबाही मचाये हुए हैं, 400 जंगली जानवरों को वहां से अविलंब हटाया जाए। चारदीवारी को ऊंचा किया जाए। एयरपोर्ट गेट से दिल्ली मोड़ तक राज्य सीसीटीवी सुनिश्चित कराए। वहां का किराया अधिक है, मैं मांग करता हूं कि इसका किराया कम किया जाए। धन्यवाद।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरा क्षेत्र झंझारपुर नेपाल बार्डर पर अवस्थित है । झंझारपुर से लौखा करीब 12 सालों से अमान परिवर्तन रेलवे का काम चालू है, लेकिन अधूरा है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह क्षेत्र मिथिला पेन्टिंग से जुड़ा हुआ है, मखाना की खेती से जुड़ा हुआ है । झंझारपुर लौखा बाजार नेपाल बार्डर पर अवस्थित है । अगर अधूरा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा तो वहां की जनता में खुशहाली आएगी, व्यापार और नौकरी के लिए लोग बाहर जाएंगे ।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि दिल्ली से असम की ओर जाने वाली नई एक्सप्रेस गाड़ियां दी जाए, जो दरभंगा होते हुए वाया झंझारपुर होते हुए असम जाएगी । कोलकाता-दिल्ली से जयनगर जाने वाली ट्रेन की राजगर खजौली में ठहराव की व्यवस्था की जाए ।

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वंदे भारत ट्रेन संख्या 20901/20902 गांधी नगर से मुंबई सेंट्रल चलने वाली ट्रेन मेरे लोक सभा क्षेत्र आनंद में नहीं रुकती है । मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां स्टॉपेज दिया जाए।

पिपलात और खम्भांत शहर में रेलवे फ्लाइओवर का कामकाज बंद है । मैं रेल मंत्री जी से इसे जल्द से जल्द चालू करने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं भारत सरकार का ध्यान ग्राम सभाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मनरेगा मजदूरों की हाजरी मोबाइल से दोनों टाइम लगाने के लिए आदेशित किया गया है।

महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती, बलरामपुर जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नेटवर्क नहीं रहता है। इसकी वजह से मोबाइल फोन पर हाजरी नहीं लग पा रही है। वहां के ग्राम प्रधान काफी परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए कम से कम एक नियम बनाया है, ताकि उनको उससे निजात मिले।

महोदय, इससे साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा के लिए ग्राम प्रधान को जो भुगतान किया जाता है और लेबर तथा मटेरियल के लिए जनपद स्तर पर जो पैसा होता है, उसका भुगतान भी काफी दिनों बाद किया जाता है। इसके बारे में विचार किया जाए। मनरेगा के ग्राम प्रधानों का जो वेतन है, उसको कम से कम 25000 से 30,000 प्रति माह किया जाए।

इसके अलावा, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस शासित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अशांति और दहशत का माहौल है। वहां भय का वातावरण है। शराब और नशे की वस्तु का खुला बाजार चल रहा है। वहां जुआ, सट्टा और भ्रष्टाचार का माहौल है। ईडी के छापे में मुख्य मंत्री के प्रिय अधिकारी एवं उसके कांग्रेसी सिपहसालार आज जेल में हैं। वहां खुलेआम लूट-पाट, चोरी, बलात्कार एवं हत्याएं हो रही हैं। आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में सरकार के संरक्षण में नक्सिलयों द्वारा भाजपा के निर्दोष पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की खुलेआम हत्या की जा रही है। साथ ही, वीर सैनिकों की भी हत्या की जा रही है। मैं उन्हें अपनी ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह जी से निवेदन करूंगा कि केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि हमारे यहां की जनता को राहत मिल सके।

***SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR):** Rayalaseema in Andhra Pradesh receives most scanty rainfall in our country. Due to this, ponds and canals dried up resulting in dry lands. Farmers who were feeding us have to leave behind their elderly parents and young children in search of livelihood to migrate to distant places. We should all take note of this situation. Moved by this situation our Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy has announced the Rayalaseema lift irrigation project. We have no information about the status of this project. Therefore, I request the Union Government to intervene and see that this project proposal is approved and ensure that the Rayalaseema lift irrigation project is operationalised at the earliest. I make this request to the Union Government through you. Thank you.

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): धन्यवाद सभापति महोदय । महाष्ट्र को वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे क्रांतिकारियों और सुधारवादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है । वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, समाज सुधारक और हिन्दुत्व के सूत्रधार थे । महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी । उन्होंने वर्ष 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिया जाए । वर्ष 1848 में भिडेवाडा, जो पुणे में है, वहां पहला स्कूल शुरू करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है । वे उस स्कूल की शिक्षिका भी थीं । उन्होंने समानता, शिक्षा और हिन्दुत्व के लिए लड़ने के साथ-साथ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए वीर सावरकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को मरणोपरान्त सम्मानित किया जाना चाहिए । यह हमारे राष्ट्र के लिए उनके बहादुर प्रयासों एवं बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी और यह भविष्य की पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir for giving me this opportunity to raise a very important issue in 'Zero Hour'.

A village Gombhariguda is about three kilometres away from Dasmanthpur in Koraput District. Unfortunately, the GP headquarters of Gombhariguda is around 40 kilometres in Rayagada District, Kuchcipadar GP in Kashipur block. This is because historically, the king of Jeypore had donated Gombhariguda to the king of Kashipur. But after 75 years of Independence, the villagers from Gombharigudu, which is about three kilometres of Dasmanthpur block have to travel forty kilometres to get their PDS and all the facilities that are made available by the Government.

So, respected Chairman, Sir, through you, I would like to request the hon. Prime Minister of the country to correct this inconsistency and let Gombhariguda be part of Dasmanthpur block and Koraput District so that the injustice which is being done for the last 75 will be rectified and the villagers are properly addressed.

Thank you, Sir, for giving me an opportunity.

श्री ज्ञानेश्वर पाटिल (खण्डवा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्र का रेलवे से संबंधित एक विषय है। इंदौर से अकोला (महाराष्ट्र) तक ब्रॉडगेज का काम चालू है। मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। खंडवा से लेकर सनावद तक का जो रेलवे ट्रैक है, वह लगभग बनकर तैयार है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इंदौर से अकोला ब्रॉडगेज को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सनावद से लेकर खंडवा तक के ब्रॉडगेज का काम पूरा हो चुका है, उसको तत्काल शुरू किया जाए, ताकि वहां के श्रद्धालुओं व यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल (बिहार) में 86 वर्षों के बाद कोसी नदी पर रेल पुल पर परिचालन प्रारंभ हुआ है। किंतु दो वर्षों से कोसी नदी पर रेल पुल पर परिचालन होने के बाद भी जो सुपौल जिला है, वहां के निवासियों को पटना (बिहार की राजधानी) और दिल्ली (देश की राजधानी) तक जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। आज तक उस क्षेत्र के लिए कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं दी गई है। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि सुपौल जिले से होते हुए कम से कम एक एक्सप्रेस ट्रेन पटना और एक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिए दी जाए। इसके साथ ही रेलगाड़ी संख्या 13205/13206 तथा 12554/12553 को वाया सुपौल-सरायगढ़-दरभंगा होते हुए पटना-दिल्ली के लिए परिचालित किया जाए। इंटरसिटी ट्रेन नंबर 13331/13332 जो सहरसा तक जाती है, उसका विस्तार फारबिसगंज वाया सुपौल-सरायगढ़ होते हुए किया जाए।

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़) : महोदय, मैं आज आपके और इस संसद के संज्ञान में ओडिशा का एक संगीन विषय लाना चाहता हूं। यह एक गंभीर विषय है। ओडिशा के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, 29 जनवरी को उनको पुलिस के एक एसआई ने गोली मार दी थी। वे मेरे संसदीय क्षेत्र से विधायक भी थे। हम लोग 40 साल पहले एक ही साथ पढ़ाई किया करते थे। आज 15 दिन बीत गए हैं, क्राइम ब्रांच इसका इन्वेस्टीगेशन कर रही है, लेकिन वह अभी तक कोई कारण नहीं बता पाई है।

महोदय, ये लोग केन्द्र की सहायता लेते हैं। नार्को टेस्ट करना है, पॉलीग्रॉफ टेस्ट करना है, मैपिंग करवाना है, ड्रोन मैपिंग करवाना है, वे इसमें केन्द्र की सहायता लेते हैं, लेकिन वे सीबीआई इन्वेस्टीगेशन से डरते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टीगेशन से कुछ नहीं होने वाला है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग है कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टीगेशन की जाए और मंत्री महोदय को क्यों मारा गया, उसका कारण पता लगाया जाए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, this is an important issue. Not only the Opposition Members but the Members from Treasury Benches will also agree with me. The other day the Railway Minister was mentioning about the redevelopment of Railway Stations and platforms and everything but what is point in redeveloping the Railway Stations unless the trains stop there. I can give you one example. In my Constituency, there is a Piduguralla Railway Station. Before pandemic, 17 trains used to stop in the Piduguralla Railway Station while plying from Secunderbad to Guntur and similarly, 17 trains used to stop from Guntur to Secunderbad. But, now, after COVID-19, it has come down to ten trains in one direction and in the other direction, only seven trains are stopping. It is less than half of the trains that were used to stop earlier. So, what is the point of redeveloping the Railway Stations by the Railway Minister when the train does not stop. So, it is not my request but everyone's request of this House that to go back on it and make sure that all the trains that were having stoppages earlier should be stopped especially in my Constituency Piduguralla.

Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: 'Zero Hour' is over now.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, as regards the way you have allowed Zero Hour today, you have created a record. … (*Interruptions*)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Sushil Kumar Singh	Shri Girish Chandra Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Adv. Dean Kuriakose	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Manish Tewari	Dr. S.T. Hasan Shri Ravneet Singh Shri Malook Nagar
Dr. Nishikant Dubey	Shri P. P. Chaudhary
Shri Ramesh Bidhuri	Shri P. P. Chaudhary
Shri Vishnu Dayal Ram	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Anubhav Mohanty	Shri Malook Nagar
Shri Komati Reddy Venkat Reddy	Shri Malook Nagar
Shrimati Ranjeeta Koli	Shri Malook Nagar
Shrimati Riti Pathak	Shri Malook Nagar
Dr. Amar Singh	Shri Malook Nagar
Dr. S.T. Hasan	Shri Girish Chandra
Shri Pashupati Nath Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dinesh Lal Yadav 'Nirahua'	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. DNV Senthilkumar S.	Shri Malook Nagar
Shri Dinesh Chandra Yadav	Shri Malook Nagar

Shri Nihal Chand Chouhan	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ramcharan Bohra	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Jayadev Galla	Shri Malook Nagar
Dr. Lorho Pfoze	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	Shri Malook Nagar
Shri P. P. Chaudhary	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajiv Pratap Rudy	Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Thol Thirumaavalavan	Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Malook Nagar	Shri Girish Chandra Shri Haji Fazlur Rehman
Dr. K. Jayakumar	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Santosh Pandey	Shri Malook Nagar
Shri Ravindra Kushawaha	Shri Malook Nagar
Shri Haji Fazlur Rehman	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Bidyut Baran Mahato	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Prof. Sougata Ray	Shri Malook Nagar
Shri Girish Chandra	Shri Malook Nagar

Shri Durga Das Uikey	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Mukesh Rajput	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Sudhakar Tukaram Shrangare	Shri Malook Nagar
Shrimati Sangeeta Azad	Shri Malook Nagar
Shrimati Aparajita Sarangi	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ramakant Bhargava	Shri Malook Nagar
Dr. Alok Kumar Suman	Shri Malook Nagar
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Uttam Kumar Reddy	Shri Malook Nagar
Shri Krishan Pal	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Vinod Kumar Sonkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Vijay Baghel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Gyaneshwar Patil	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Parvesh Sahib Singh Verma
Shri Suresh Pujari	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Raju Bista	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ramakant Bhargava	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Riti Pathak	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri P. P. Chaudhary	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shri Malook Nagar

———

16.19 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Beautification and modernization of Railway Stations under the Adarsh Station Scheme etc. * …Contd.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 31, आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण, आदि।

श्री निहाल चन्द चौहान जी।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति जी, धन्यवाद। आज देश के रेलवे स्टेशनों का जो विकास हो रहा है और अमृत काल के दौरान केन्द्र सरकार अमृत योजना के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन्स बना रही हैं, उस पर मुझे बोलने का सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति जी, आज भारत का रेलवे ट्रैक लगभग 115 हजार किलोमीटर लंबा है और अगर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोई नेटवर्क है तो वह रेलवे है। भारत में हर दिन करीब ढाई करोड़ लोग रेल से यात्रा करते हैं और देश के अन्दर वर्तमान में करीब 8 हजार रेलवे स्टेशन्स हैं। भारतीय रेल रोजाना करीब 23 लाख टन माल ढोती है। आज भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसमें रेलवे विभाग का एक अहम योगदान रहा है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, चूँकि पिछले आठ सालों के अन्दर रेलवे की व्यवस्था को सुधारने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है।

16.21 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

भारतीय रेलवे की स्थापना दिनांक 8 मई, 1845 को हुई थी। 177 साल पुराना भारतीय रेलवे आज भी लोगों के परिवहन का सबसे सस्ता और मन पसंदीदा जरिया है। पूरे विश्व के अन्दर सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता परिवहन कोई है तो मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी शंका नहीं है कि वह रेल है। वर्ष 2014 से पहले और वर्ष 2014 के बाद की स्थिति में दिन-रात का फर्क है। देश के प्रधान मंत्री

* Further discussion on the resolution moved by Shri N. Redeppa on 16th December, 2022.

श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेलवे की पटरियों का दोहरीकरण हुआ तथा विद्युतीकरण हुआ। इसके अलावा यात्री सुविधाएं, विस्तार तथा सुरक्षा योजना का काम भी तेजी से हुआ और मैं समझता हूँ कि जितना काम आजादी के बाद से लेकर वर्ष 2014 तक हुआ, उतना पिछले 9 सालों के अन्दर इस रेलवे विभाग का नवीनीकरण अगर किसी ने किया है तो इस केन्द्र की सरकार ने और देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। हमारी केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक्स बिछाए हैं। वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के बीच में यूपीए की तुलना में यह बहुत अधिक है। सभापति जी, वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2014 तक, यानी 63 सालों में भारतीय रेल का कुल 21,413 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रिफाई हुआ था और वही पिछले 9 सालों में करीब 30,585 किलोमीटर लंबा रूट इलेक्ट्रिफाई करने का काम किसी ने किया है तो केन्द्र की सरकार ने किया है। मैं अपनी तरफ से देश के प्रधान मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितना काम 63 सालों के इतिहास में हुआ है, उतना काम पिछले 9 सालों के अन्दर रेलवे विभाग में केन्द्र की सरकार ने किया है।

कोरोना महामारी से पहले और कोरोना महामारी के बाद इस देश के लिए रेलवे लाइफ लाइन रही है। कोरोना में हमारी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए, चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, वे बहुत सराहनीय कदम हैं। मैं समझता हूँ कि आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत की है।

मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी तक 12 से ज्यादा वन्दे भारत ट्रेन्स को रेलवे ट्रैक्स पर चलाया जा रहा है और उनका रूट निर्धारण हुआ है। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने दो ट्रेनों की शुरुआत की है। मैं हम सभी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा। महोदय, केन्द्र की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को तेजी से, रेलवे की मदद से देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का काम करने के लिए किसान रेल सेवा की शुरुआत की है। पहली किसान रेल सेवा वर्ष 2020 में महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू हुई थी। 167 रूट्स पर

किसान रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं, जो 7 लाख टन से अधिक माल की ढुलाई का काम कर रही हैं। भारतीय रेलवे ने आदर्श रेलवे स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। इस देश के करीब 1 हजार 253 रेलवे स्टेशनों में से करीब 1 हजार 225 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का काम और विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का काम अगर किसी ने किया है तो केन्द्र की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि देश को जो बचे हुए रेलवे स्टेशन हैं, वे जल्दी विकसित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत चयनित रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं का विस्तार, साफ-सफाई करने का काम, उचित पार्किंग की व्यवस्था, भवनों का पुनर्निर्माण आदि काम अगर किसी ने करके दिखाए हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली केन्द्र की सरकार ने करके दिखाए हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे कई रेलवे स्टेशन्स हैं, जो आज़ादी से पहले के रेलवे स्टेशन थे, जो हमारी सीमा पर और सीमा पार चल रहे थे, वे टूरिस्ट्स पॉइंट्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज़ादी से पहले, जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक थे, तब मेरी कांस्टीट्वेंसी में हिन्दूमल कोट नाम की एक जगह है, वहां से ट्रेन पाकिस्तान जाया करती थी। आजकल वह सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमा पर वायरिंग भी लग गई है, हम लोग उधर नहीं जा सकते और वे लोग इधर नहीं आ सकते हैं। वहां पर देश की आज़ादी से पहले जो हिन्दूमल कोट रेलवे स्टेशन था, वह आज भी है। मैं समझता हूं कि वहां पर एक रिट्रीट होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां पर इंडिया और पाकिस्तान की रिट्रीट हो, ताकि वह एक बड़ा टूरिज्म स्थल बन सके। उस जगह का नाम हिन्दूमल कोट है। मेरे संसदीय क्षेत्र में राजर्षि नगर, विजय नगर, कर्णपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ हैं, इन रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया है। वर्ष 2014 से पहले मेरे क्षेत्र में एक भी आदर्श रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर पांच आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम केन्द्र की सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। आज हम लोग सीमा पर बैठकर पूरे देश से जुड़े हुए हैं। अगर आज हम मेरी कांस्टीट्वेंसी से हिन्दुस्तान के किसी भी कोने तक जाने के लिए चलें तो सीधे ट्रेन से हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अगर किसी

ने की है तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की है। सभापति जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने रेलवे स्टेशनों को 'अमृत महोत्सव' के अंदर, आज़ादी के 75 साल बाद 'अमृत भारत' रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत लेने का काम किया है। जब वे स्टेशन्स अपग्रेड होंगे तो उनमें सारी सुविधाएं होंगी। ऐसी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो वर्तमान केन्द्र सरकार ने की है। इसमें मेरे क्षेत्र के तीन रेलवे स्टेशन – सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो 1 लाख 20 हजार रुपये से ज्यादा अर्निंग वाले रेलवे स्टेशन हैं, उनको 'अमृत भारत' योजना में शामिल करें। जो स्टेशन 1 लाख 20 हजार रुपये से ज्यादा अर्निंग वाले हैं, वे स्टेशन रेलवे को बचत के रूप में रखते हैं। मेरे यहां ऐसे कई रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, उनके बारे में मैं आपके रिटेन में दे दूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन रेलवे स्टेशनों को भी शामिल किया जाए। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपने वॉशिंग लाइन स्वीकृत की है और अभी 32 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि विभाग ने दी है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इतना अच्छा काम एक सौगात के रूप में उन्होंने दिया है।

उनको कुछेक ऐतिहासिक सौगात मानेंगे। प्रधान मंत्री जी और श्रीमान् रेल मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इस देश की आजादी के 75 साल बाद अमृत काल में हमारी केन्द्र की सरकार ने रेलवे स्टेशनों की शुरूआत की है। इन रेलवे स्टेशन्स को सुदृढ़ बनाने के लिए इस अमृत काल योजना में देश की सरकार ने करीब 1275 रेलवे स्टेशन्स का कायाकल्प किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतनी अच्छी और इतनी जल्दी इस काम की शुरुआत हो रही है। जो चयनित 1275 रेलवे स्टेशन्स हैं, जो छोटे रेलवे स्टेशन्स हैं, उनके यात्रियों को सुविधाएं देने का काम केन्द्र की सरकार कर रही है। वहां फूड प्लाजा, स्टेशन भवन बनाना, नवीनीकरण, पार्किंग और सुविधा देने का काम और उसमें आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो, ये सब देने का काम केन्द्र की सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितना काम 63 साल में हुआ, उतना काम नौ साल के अंतराल में, यानी नौ साल के एक छोटे से कार्यकाल में केन्द्र

सरकार ने करके दिखाया । मैं कुछ डिमाण्ड रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । मैं केन्द्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली कुशल नेतृत्व की सरकार और रेल मंत्री जी के कठिन परिश्रम का बल है, जो आज भारतीय रेलवे का पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा है । पिछले नौ वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे संपूर्ण रूप से बदल गई है और आधुनिक रेलवे की ओर अग्रसर हो रही है । रेलवे का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है, आधुनिक ट्रेनों का संचालन हो रहा है, रेल मार्गों को मजबूत किया जा रहा है, यात्री सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, फ्रंट कॉरीडोर का निर्माण और माल ढुलाई का काम तेजी से हो रहा है । हमारी सरकार द्वारा निरंतर रेलवे के बजट में बढ़ोतरी करने का काम केन्द्र की सरकार ने किया है । यह तो शुरूआत है । लेकिन, आने वाले दिनों में भारतीय रेल और बढ़ेगी तथा विकास देखने को मिलेगा ।

सभापति जी, मैं केन्द्र सरकार से अपने लोक सभा क्षेत्र और राजस्थान के लिए डिमाण्ड करूंगा । हम लोग सीमा पर रहते हैं । सीमा पर रहकर इस देश के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि राजस्थान में सांगानेर रेलवे, जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है, उसको ऑपरेट करना चाहिए । वहां पर विश्व के कोने-कोने से टूरिस्ट आते हैं । अभी वर्तमान में उस पर केन्द्र सरकार ने पैसे भी दिए हैं, लेकिन उसको और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उसको अपग्रेड किया जाए । मेरे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आम जन की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन पर 16 ऐसे रेलवे अण्डर ब्रिज हैं, जिनकी लिस्ट मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा, उनके निर्माण की आवश्यकता है तथा उनको पूरा करने का काम सरकार करेगी । मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी श्रीगंगानगर से 120 करोड़ रुपये की एक पिट लाइन के काम की अभी शुरूआत होगी, जिसका काम केन्द्र सरकार करेगी । नई दिल्ली से श्रीगंगानगर तक के लिए एक वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत होगी । केन्द्र सरकार ने वह एक पॉइंट चुना है । राजस्थान में 6 जगह चुनी गयी हैं, जिनमें से एक श्रीगंगानगर भी है । मेरा मंत्रालय से आग्रह है कि विभाग ने एक पिट लाइन श्रीगंगानगर के लिए 120 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा है, उसको स्वीकृत करके, उसका काम सरकार चालू करेगी । सभापति जी, वर्ष 1998 के अंदर जब अटल

बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गए थे। उन्होंने एक सड़क की घोषणा की थी, जो हनुमानगढ़ से लेकर रावतसर पल्लू होते हुए सरदार शहर तक है, जिसका सर्वे आज भी चल रहा है। मैं विभाग से आग्रह करूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी ने, एक तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने उस सड़क की घोषणा की थी और उसको पूरा करने का काम यही सरकार और माननीय रेल मंत्री जी करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस रेल लाइन के बारे में विशेष तौर से देखेंगे। रायसिंहनगर से अनूपगढ़ खाजूवाला होते हुए बीकानेर तक, यानी बॉर्डर पर कोई रेल लाइन नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वह रायसिंहनगर से अनूपगढ़ खाजूवाला होते हुए बीकानेर तक डिफेंस की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस ट्रैक को बनाना बहुत जरूरी है। यह मेरा आखिरी पॉइंट है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में जैतसर नामक एक जगह है। उस शहर से दो ट्रैक निकलते हैं। एक ट्रैक एक किलोमीटर दूर से जाता है और दूसरा ट्रैक उस सिटी के अंदर से निकलता है। वहां के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए और वह ट्रैक एक हो जाए, इसके लिए मैंने एक प्रपोजल माननीय मंत्री जी को भेजा।

मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। मैं श्रीगंगानगर से आता हूं। वह सिख बहुल क्षेत्र है। हम लोग सबसे ज्यादा अमृतसर के गुरुद्वारे पर आस्था रखते हैं। हम लोग वहां मत्था टेकने के लिए जाते हैं। बीकानेर से धूरी के लिए एक ट्रेन 20471/20472 चलती है। वह बीकानेर में आने के बाद स्टेशन पर 90 घंटे तक खड़ी रहती हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है, मैंने मंत्री जी से भी आग्रह किया था कि इस ट्रेन को बीकानेर से श्रीगंगानगर, ब्यास, डेरा और अमृतसर तक बढ़ाने का काम करेंगे, तो यह ट्रेन हमें हमारे आस्था के केन्द्र बिंदु तक ले जाएगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से केन्द्र सरकार और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेलवे के मामले में पिछले नौ सालों में सरकार ने इतने बड़े फैसले किए हैं, जिससे पूरा का पूरा हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिफाई हो रहा है। मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र इलेक्ट्रिफाई हुआ है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):सभापति महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्य श्री रेड्डप्प नल्लाकोंडा गरि जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उस नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री रेल के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मैं अश्वनी वैष्णव जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं भारत सरकार को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक जो भी रेल लाइन बनती थी, स्टेशन बनता था, उसमें एक जो क्राइटेरिया था, जिसके कारण 70-75 साल यहां की जनता परेशान रही कि आपका रेल लाइन वहीं बनेगा। यहां कृष्णा जी बैठे हुए हैं। जब से यह माननीय संसद सदस्य बने हैं, तब से वह लगातार कहते रहे हैं कि मेरी रेल लाइन कैसे बनेगी? रेल लाइन बनाने के दो-तीन क्राइटेरियाज थे। एक क्राइटेरिया यह था कि यदि आपका रेल लाइन प्रॉफिट में है, यदि उस रेल लाइन को बनाने से इकोनॉमिक रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो रेल लाइन बनेगी। दूसरा, यदि उसमें राज्य सरकार मदद करना चाहती है, राज्य सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दे, तो रेल लाइन बनेगी। राज्य सरकार उसका आधा खर्च दे दे, तो रेल लाइन बनेगी या जो पीएसयूज, प्राइवेट कंपनीज, सरकारी कंपनीज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, यदि उसका एक एसपीवी बना कर वह रेल लाइन बनाए, तो शायद रेल लाइन बन जाएगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, माननीय सदस्य ने तीन क्राइटेरियाज बताए हैं। इनके ऊपर एक और क्राइटेरिया है और वह फर्स्ट क्राइटेरिया है कि अगर मंत्री हमारे राज्य से हैं और हमारे इलाके से हैं।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, धन्यवाद। महताब साहब इस सदन के सीनियर माननीय सदस्य हैं। वह जेन्युइन सजैशन देते हैं। चूंकि, यह हमसे सीनियर माननीय सदस्य हैं, तो इन्होंने लालू प्रसाद जी, ममता जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दौर को देखा है। निश्चित तौर पर ओडिशा, बिहार और झारखंड नेगलेक्टेड रहा है। इसीलिए मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। आज मैं झारखंड राज्य से आता हूं, जो इस रेल को चलाता है। यदि इस रेल को आज भी कोई चलाता है, तो

वह हमारा राज्य झारखंड है, जो इसे चलाता है। केवल झारखंड से रेलवे का 40 प्रतिशत रेवन्यू आता है। झारखंड नेगलेक्टेड था। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की सरकार है और अश्वनी वैष्णव जी उसके मंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पहला क्राइटेरिया था कि जिस राज्य से रेल मंत्री आते थे, क्योंकि ये ओडिशा का चंक ले जाना चाहते हैं, अश्वनी वैष्णव जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आप उस राज्य के हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वह क्राइटेरिया खत्म हो गया है। जहां भी रेल की आवश्यकता है, यह सरकार वहां रेल की सुविधा देती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जिसे मिला है, वह मैं खुद हूं।

जहाँ से मैंने अपनी बात रोकी थी, वहीं से पुन: शुरू करता हूँ। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस देश के डेढ़ सौ साल के ज़ख्म को खत्म किया है। रेलवे लाइन ट्राइबल एरियाज में नहीं बनेगी, बैकवर्ड एरियाज़ में नहीं बनेगी, गरीबों के लिए नहीं बनेगी। लाइनें केवल अमीरों के लिए बनेंगी, इकोनॉमिक क्राइटिरिया में बनेगी, रेल मंत्री अपने हिसाब से बनाएंगे। कांग्रेस की एक भावना थी कि पहले घोषणा कर दो, दूसरी कहो कि लैंड एक्वायर हो रहा है, तीसरी बार कहो कि इसमें थोड़ा पैसे दे दिए गए हैं और रेलवे लाइनें 25-30 वर्षों तक नहीं बनती थीं। मेरे क्षेत्र में भी वर्ष 1995 में जाफर शरीफ जी ने एक रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था और वह वर्ष 2022 में पूरा हुआ। आप समझ सकते हैं कि लगभग 28 वर्ष हो गए। मैं आपको बताऊँ कि भारत सरकार ने उस क्राइटिरिया को चेंज किया है और तय किया गया है कि अब हम एकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर नहीं, बल्कि यदि बैकवर्ड इलाके में भी रेल चलानी है और जहाँ भी उसकी आवश्यकता है, तो उसको पीएम गतिशक्ति के रूप में रेलवे अपने फंड से पैसे देगी, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसमें से 75 हजार करोड़ रुपए तो केवल रेलवे लाइंस के लिए दिए गए हैं।

मैं भारत सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरे इलाके- गोड्डा में, जहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा था, जहाँ आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी रेल नहीं मिला था, अब वहाँ रेलवे लाइन बननी शुरू हो गई है और

इसके लिए 1451 करोड़ रुपए उन्होंने उसी पॉलिसी के तहत दिए हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सर, यह जो रिजोल्यूशन है, यह बहुत ही अच्छा रिजोल्यूशन है। इस देश में लगभग साढ़े आठ हजार रेलवे स्टेशंस हैं। उनकी जो स्थिति है, यदि आप ट्रैक्स की स्थिति देखेंगे, चूंकि हम लोग तो बचपन से केवल ट्रेन्स से ही चलते रहे, हम देखते थे कि रेलवे स्टेशंस पर गन्दगी होती थी, रेलवे ट्रैक्स पर गन्दगी होती थी, झुग्गी-झोपड़ियों का बसेरा रहता था। आप आधा घंटा या पैंतालिस मिनट बढ़िया से किसी भी रेलवे स्टेशन पर खड़े नहीं हो सकते थे। यह वर्ष 2014 के पहले की स्थिति थी। आप चाहे इसको अच्छा मानना चाहें, तो मानें, बुरा मानना चाहें तो बुरा मानें। लेकिन जब से वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान दिया। जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो रेल लाइनें हैं, जो स्टेशंस हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। उनके डेवलपमेंट से पहले वहाँ साफ-सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी साफ-सफाई और स्वच्छता शुरू हो गई है।

इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि दुनिया में जहाँ भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे स्टेशंस को मॉडल स्टेशंस के रूप में डेवलप करने का जो काम है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण टोक्यो मॉडल है। पूरी दुनिया ने टोक्यो रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन माना और उसी के आधार पर सारी सरकारें काम करती हैं।

मुझे लगता है कि माइंस-मिनरल्स व अन्य सारी चीजें न रोज़गार देती हैं, न लोगों को आगे बढ़ाती हैं, यदि आप दुनिया के शहरों के डेवलपमेंट को देखेंगे, चाहे सिंगापुर, लंदन, पेरिस या स्विटज़रलैंड डेवलप हुआ हो, उसमें रेल का और टूरिज्म का बहुत सामंजस्य है। टूरिस्ट जाते हैं, वे पैसे खर्च करते हैं। उनके ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा मोड रेलवे है, जिसका हमारे यहाँ लैक है। अभी भी इस देश में ऐसे चार सौ स्टेशंस हैं, जो कैटेगरी-वन या ए के हैं, जहाँ पैसेंजर्स की आवाजाही सबसे अधिक है। ये वे स्टेशंस हैं, जो बड़े शहरों में हैं। ये दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर में हैं। दूसरे क्राइटिरिया में दर्शनीय स्थलों के रेलवे स्टेशंस हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स पर हैं, जहाँ बहुत-से

लोग जाते हैं। तीसरा, धार्मिक आधार पर हैं, जहाँ टूरिस्ट्स जाते हैं। उनमें लगभग चार सौ रेलवे स्टेशंस हैं। पिछले आठ-नौ साल से, माननीय मोदी जी की सरकार में इवॉल्व हो रहा था कि ईपीसी मोड पर ले जाएं, पूरी राशि भारत सरकार खर्च करे या पीपीपी मोड पर ले जाएं या उसका कुछ अन्य क्राइटिरिया हो, कुछ स्टेशन हम बनाएं, कुछ स्टेशंस दूसरे बनाएं। लेकिन मैं भारत सरकार को और माननीय रेल मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने यह तय किया कि हम अपने खर्चे से ही इसको बनाएंगे। इस खर्चे से बनाने के बाद, मुझे लगता है कि पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा।

मुख्य मुद्दा यह है कि इन्होंने फर्स्ट फ़ेज में जो 23-24 रेलवे स्टेशंस मार्क किए थे, उसमें 2700 एकड़ जमीन ऐसी हैं, जो काफी एंक्रोच्ड है। अभी जिस तरह से उत्तराखंड में चीजें डेवलप हो रही हैं, जिस तरह रेलवे अपनी ही लैंड को नहीं ले पा रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सहारा ले रहा है। राज्य सरकार कई जगहों पर मदद करती है। जहां वह मदद नहीं करती है, वहां बड़ी समस्या है। लेकिन इस विषय पर मेरा सवाल है कि यदि टूरिज्म में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको देश को समझने की आवश्यकता है।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में तो आप ऐसा कर लेंगे, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वाइबिलेटी आपके पास आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। लैंड महंगी है, उसकी इकोनॉमिक वाइबिलेटी आ जाएगी, लेकिन हमारे जैसे लोग, जो बड़े ही रिमोट एरियाज से आते हैं, हमें इसकी आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज प्रश्न काल में एक प्रश्न था, जिसका श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी उत्तर दे रहे थे, श्री मनीष तिवारी जी प्रश्न कर रहे थे। 'देखो अपना देश' माननीय प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम है। मैं जिस इलाके से आता हूं, उस इलाके से आप यह समझिए कि यदि साइंस की बात करेंगे, तो फॉजिल के क्षेत्र में भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है, फॉजिल उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

मेरे इलाके में 19 करोड़ साल पुराना फॉजिल है। उसके ऊपर इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक श्री बीरबल साहनी, जिनके नाम पर लखनऊ में एक इंस्टिट्यूट है, उन्होंने इस पर रिसर्च की और श्री बीरबल साहनी जी को नोबल प्राइज मिलते-मिलते रह गया। उस फॉजिल के क्षेत्र का रेलवे स्टेशन साहबगंज है। वे मालगाड़ी से वहां वर्ष 1940 में जाया करते थे। आज वह स्टेशन ऐसा है, जो डेवलप

नहीं हो पाया। हम फॉजिल देखने के लिए अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों को कनाडा की कैलगरी ले जा रहे हैं, यूएस ले जा रहे हैं। उससे पुराना फॉजिल हमारे यहां है, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी नहीं है, हम प्रॉपर रेलवे स्टेशन नहीं बना पाए, टूरिस्ट्स वहां नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए साहबगंज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया।

सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यहां मांडर है। आप यदि थाइलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर आपको मांडर दिखाई देगा, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। लेकिन भारत के किसी भी इलाके में, कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा कि यह मांडर पहाड़ है, इसमें समुद्र मंथन हुआ था। आप समझें कि उसी समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला और अमृत जहां-जहां गिरा, वहां बड़ा स्टेशन बन गया या बड़ी चीजें वहां पहुंचीं। जैसे नासिक, हरिद्वारा, इलाहाबाद आदि। आप समझिए कि कई स्टेशन्स डेवलप हो गए, लेकिन उस मांडर के बारे में देश को पता ही नहीं है। वहां जो रेलवे स्टेशन है, वह डेवलप नहीं हो रहा है।

सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स न वैष्णो देवी में जा रहे हैं, न तिरुपति में जा रहे हैं, न शिरडी में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स मेरे इलाके में जा रहे हैं। जसीडीह उसका स्टेशन है, लेकिन यदि जसीडीह स्टेशन को देखेंगे, तो राज्य सरकार के कारण सेकेंड एंट्री के 70 करोड़ रुपए तीन साल पहले भारत सरकार ने दिए हुए हैं। लेकिन उस स्टेशन का काम नहीं हो पा रहा है और इस कारण से उस स्टेशन की हालत खराब है।

एक और स्टेशन है, जिसका नाम मधुपुर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना मधुपुर में की है। जिस पार्टी से मैं सांसद हूं, उस जनसंघ के जो पहले अध्यक्ष थे, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वह घर है। वहां महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि वे अपना आजादी का आंदोलन देवघर से चलाना चाहते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी My Experiments with Truth में उसी देवघर-मधुपुर का जिक्र है।

सर, मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह के जो स्थल हैं, जैसे पार्श्वनाथ, जसीडीह, बास्कीनाथ, तारापीठ, मांडर, विक्रमशिला, जो मेरा गांव है, जिसने केवल इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को

सबसे पहला वाइस चांसलर दिया। भगवान अतीश दिपांकर आठवीं शताब्दी में दुनिया के पहले वाइस चांसलर हुए। भगवान अतीश दिपांकर ऐसे आदमी थे, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की, लेकिन इस तरह के रेलवे स्टेशन्स डेवलप नहीं होने के कारण टूरिस्ट्स वहां नहीं जा पाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आपने कई पॉलिसीज बदली हैं, कई चीजें बदली हैं। बड़े शहरों से अलग हटकर, जहां टूरिज्म की संभावना है, जहां टूरिस्ट्स के आने की संभावना है और जो स्थान हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हैं, वहां के स्टेशन्स को डेवलप कीजिए और इस देश को आगे बढ़ाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद, जय भारत।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Resolution regarding Beautification and Modernization of Railway Stations moved by Shri Reddeppa Nallakonda Gari.It is good that for a change the Railway Minister is here. He may listen to some of our points. We discussed this during the general discussion on the Budget also but he was not there. As has been mentioned, yes, when the Budget discussions were taking place, he should have been present here.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, the Railway Minister himself is here.

....(Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Now he is here. When the Budget was being discussed, he was not here. That is all what I am saying. *....(Interruptions)* I am saying it because the Railway Budget is a part of the General Budget. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: No discussion has taken place on the Demands for Grants on Railways. That will be discussed in the second part of the Budget Session.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The presence of the Railway Minister is not required when the Budget discussion is going on.

....(Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I did not like it when Mr. Arun Jaitley, the then Finance Minister removed the separate Budget for Railways. I think it would have been a good idea if Railways still had a separate budget. But that is the NDA Government's priority, and they did it. *....(Interruptions)* Now, this year, a huge

amount of money has been given to the Railways, which is Rs.2.40 lakh crore. The Minister said that this will be spent mainly on track renewal, doubling, improvement of stations and Vande Bharat trains. I saw a speech by the Railway Minister at the Times Literature Festival, where he said that the Prime Minister called him, and asked if he could do it. Then, he put his engineers together and said that they would do it at their own, and not import coaches from abroad.

Now, may I ask the hon. Railway Minster, what is so high-tech about Vande Bharat train? They are semi-high speed trains. There are many high speed trains in the world, and this is not a rocket science to start Vande Bharat trains. It is a good thing that he is trying to introduce trains which run up to a speed of 180 km per hour. It is a good thing. It is also good that he is thinking in terms of Vande Metro trains, which will run at a speed at 120 km per hour. I think that it is strange about Railways that they carry about 224 million passengers every day. Their earnings come from freight whereas much money is spent on the passenger traffic. *....(Interruptions)*

Hon. Chairperson, Sir, I have a problem. *....(Interruptions)* While I speak, all BJP Members are going and talking to the hon. Railway Minister. *....(Interruptions)* How would he listen to my words? *....(Interruptions)* They are discussing with him their local issues. *....(Interruptions)* I think they should do it later. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please avoid disturbance.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, a very serious discussion is going on. A very important discussion on Private Members' Resolution is going on in the House.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Railway Minister is spending time in the House. Kindly avoid discussing with him at this time. The hon. Minister has to listen to the hon. Member.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, now, let me start by thanking the Railway Minster. He said that Railways would not be privatised. A few years back this Government was thinking of privatising parts of Railways. In England there is one Grandson's Rail. Like that, there will be Adani's Rail or Ambani's Rail. Fortunately, that has been stopped. Earlier, the Government was also thinking of privatising the modernisation projects of railway stations. I am thankful again – please do not be irritated – that he has said that station development should be done by the Railways themselves, and no private parties will be engaged. Railway is the greatest national asset that we have. It is 170 years old this year. It started in 1853 from Mumbai to Thane.

So, we have to maintain this asset. Now, the Railway Minister is putting emphasis on three things. He wants to modernise coaches of Shatabdi, Duronto, Rajdhani etc. He wants to start Vande Bharat and Vande Metro trains. He is also going to introduce hydrogen trains, that is, trains powered by hydrogen. He has

said that he will run them on the Kalka-Shimla and New Jalpaiguri-Darjeeling routes. I appreciate that.

The Railway Minister has also said that he has given a lot of money to the States. UP has got an allocation of Rs. 14,761 crore; Madhya Pradesh - Rs. 13,607 crore; and West Bengal - Rs. 11,970 crore. It is a fair allocation. I would urge the Railway Minister that let him use the … (*Interruptions*)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): दादा, यह प्राइवेट मेंबर्स बिल है, मंत्री जी से मतलब नहीं है। कोई भी बोल सकता है। … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अच्छा, बोलिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please sit down. Nothing is going on record except Prof. Sougata Ray's speech.

… (Interruptions) …[*]

PROF. SOUGATA RAY: Sir, my point is quite simple. I want the Railway Minister to complete all the projects that Mamata Banerjee had started when she was Railway Minister at the Centre.

Now, what is happening? He would know that Arambagh-Bishnupur line or Tarakeshwar–Vishnupur line is still not complete. If the Railway Minister has a problem, he should go to West Bengal, speak to Chief Minister and settle the land issue. Why is he not doing this?

Secondly, all cities other than Kolkata have got Metros run jointly by the State Government, the Railways and the Urban Development Ministry at the

[*] Not recorded.

Centre. The Railways have nothing to do with the metro trains even in Delhi. But around Kolkata, all the metro trains are Railway properties.

Now, he is doing something that is strange. He is completing one-third portion of a line and inaugurating it. He has done Salt Lake to Sealdah, but the train has to go beyond Howrah. It is hanging in that position. He has done Joka to Taratala, but the train has to go up to BBD Bagh. It is lying there. He has done New Garia to Ruby, but the train has to go up to airport. It is lying there. All that I would urge him is to complete the projects which have progressed somewhat; not to take up too many projects and leave them incomplete. It leaves a bad taste in the mouth. He should consider doing that. The Railways' style is that you continue projects for years. You give an allocation of one rupee or one hundred rupees and the project continues. That is not the way.

Sir, as far as West Bengal is concerned, I would urge him to complete the started projects as soon as possible and also declare a timeline that the Railways would complete such and such project by such and such time so that people are not in limbo and they do not wait till kingdom come, for when the Minister will complete the projects.

Sir, he has mentioned that 1,275 stations, including New Delhi, Mumbai and Kanpur … (*Interruptions*)

श्री विनोद कुमार सोनकर : दादा, ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट है, जो एक रुपया टोकन मनी देकर शुरू किया गया है? यह कांग्रेस के समय होता था। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया बैठिए।

प्रो. सौगत राय : आपके समय में भी होता है।

श्री विनोद कुमार सोनकर : दादा, अब ऐसा नहीं होता है। … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, hon. Minister is sitting here. Why are you interfering? Hon. Minister can reply to it.

… (*Interruptions*)

17.00 hrs

PROF. SOUGATA RAY: You are heckling. … (*Interruptions*) Tell me. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please understand.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister is sitting here. Whatever point he is raising, he can reply to it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. It is not necessary.

… (*Interruptions*)

श्री विनोद कुमार सोनकर : सर, ऐसा नहीं हो सकता है।… (व्यवधान) ये गलत बात बोल रहे हैं।… (व्यवधान) आप प्रोजेक्ट का नाम बताइए।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, ये बोल लें, मैं बैठ जाता हूँ।… (व्यवधान) हम बताएंगे, आप बैठिए तो सही।… (व्यवधान) आप बैठिए, तब बताएंगे।… (व्यवधान) आप पहले बैठिए, तब बताएंगे।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray ji, you can continue.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You address the Chair.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: He keeps on speaking.

HON. CHAIRPERSON: No need to reply to him.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You address the Chair.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: He has said that 1,275 stations, including New Delhi, Mumbai, Kanpur… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is a Private Member's Resolution. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is not yielding.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।… (व्यवधान) मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, उसे सुनना पड़ेगा ।… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: I want to know why the name of Howrah is not included in the list of stations which will be upgraded. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him complete. Please sit down.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I want to say that Railway is our national asset. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Just a minute. Nishikant ji is raising a Point of Order.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, he is a professional heckler. Allow him.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, नियम 115 के अंतर्गत स्पीकर महोदय का डायरेक्शन है। इसे पढ़ लिया जाए। इस सदन में बार-बार यदि किसी मेंबर को रोका जाता है, तो कहा जाता है कि इसका जवाब मंत्री देंगे। सर, स्पीकर की डायरेक्शन 115 है। मंत्री नहीं, इस सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य को यदि लगता है कि किसी मेंबर ने गलत किया तो उसे उसका जवाब देने का राइट है।... (व्यवधान)

सर, यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और यह बात पूरे सदन और पूरे देश को जान लेने की आवश्यकता है। मंत्री भी यहाँ एक सदस्य के तौर पर हैं, ठीक है कि वे मंत्रालय चलाते हैं।... (व्यवधान) यह डायरेक्शन है।... (व्यवधान) इन्हें राइट है, इसी के आधार पर ये बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: He does not know the rules. He stands up. ... (*Interruptions*) He has to show his face to the Minister that he is heckling the Opposition. Very good. You will get some credit for this. Very good. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Why are you interfering?

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: When you were speaking, nobody interfered.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Lastly, the Minister among all Ministers is a competent one. He has a degree in engineering from an IIT. Once an accident took place. He went under the carriage and tried to fix the problem or find out the problem himself. He has also brought some good changes in the Railway administrative setup. He is a little overburdened because the Government does not have

enough competent people. So, he has been given both IT and Railways. But people still have some hope about it.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, अब आप इसे क्या कहेंगे?... (व्यवधान) यह प्रधानमंत्री जी का अधिकार है या नहीं है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is congratulating the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैंने तो बता दिया है।... (व्यवधान) मंत्री नहीं, मंत्री क्यों उठकर जवाब देंगे? ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : हम तो इनकी तारीफ कर रहे हैं।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member is congratulating the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, he does not like any Minister to be praised. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please conclude.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: He wants to be a Minister himself.

Lastly, I would say that he is trying to do many hi-tech things. Yesterday, I was reading Kalam sahib's autobiography "Wings of Fire". There, I found out how to develop a single satellite launch vehicle and how to build a team. Together, they produced indigenously manufactured satellite launch vehicle. Nothing can be done by the Raliway Minister alone. He has to develop a team. He already has RDSO, Railway Design and Standard Organisation. He goes to school children and says that the Prime Minister told me to do it and I did it. When I did it, Prime

Minister said do even better. We have no objection. You have been appointed by the Prime Minister. You may praise him. But before anything, let him look at the basics. Let him improve the cleanliness of the stations, of the railway toilets, and of the toilets in the coaches. And lastly, let him stop the theft of railway property.

Let him stop the pilferage of railway properties … (*Interruptions*)… because even a small thing will make a difference. … (*Interruptions*) ये पश्चिम बंगाल के … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Locket Chatterjee, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down.

… (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय: नेक्स्ट टाइम आप अपने को संभालो, यहां चिल्लाने से क्या होगा ।… (व्यवधान) आप कॉन्स्टीट्यूएंसी में जाओ और संभालो ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray Ji, please conclude.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I thank the hon. Railway Minister… … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already made your point. Please conclude.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: I have nothing to say about the East Coast Railways … (*Interruptions*)… I said, do it for Eastern Railways, South-Eastern Railways and metro railways in Kolkata. … … (*Interruptions*) आप कुछ करके दिखाइये और फिर बोलिये ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Malook Nagar Ji.

… (*Interruptions*)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): अभी शोर उधर मचा, अब शोर इधर मचेगा। महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दादा के साथ बहुत अच्छा हुआ। ये डिस्टर्ब करते हैं। आप लोगों ने आज इनको डिस्टर्ब किया, यह बहुत अच्छा किया।… (व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं।… (व्यवधान) मुझे परसों बहुत डिस्टर्ब किया गया था और मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि दादा मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं भी करूंगा, इसलिए आज मैंने भी खूब डिस्टर्ब किया।… (व्यवधान) मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।… (व्यवधान)

HON CHAIRPERSON: Please come to the subject.

श्री मलूक नागर : यह बहुत अच्छी बात है कि रेल मंत्री जी यहां पर हैं और जहां से मैं सांसद हूं, रेल मंत्री जी वहां के प्रभारी हैं। मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप वहां जल्दी से आ जाएं। वर्ष 2007 में यूपीए की सरकार थी और ममता जी रेल मंत्री थी। इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। इन्होंने एक सर्वे कराया और घोषणा कर दी कि मेरठ, हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर और सुक्रताल में इमीडिएट रेल बननी शुरू हो रही है। वह सर्वे सात साल तक इनकी सरकार के जाने तक ऐसे ही पड़ा रहा। मैंने इस बारे में पार्लियामेंट में कई बार चर्चा की। मेरी साथी कांता कर्दम जी राज्य सभा में सांसद हैं, वे मेरठ से राज्य सभा की एमपी हैं। उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था। रेल मंत्री जी वहां के प्रभारी हैं और उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्दी दिल्ली से मेरठ, मेरठ से हस्तिनापुर, बिजनौर, मुजफ्फनगर के लिए रेल चलाई जाएगी। मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि साहब यह मुद्दा मैंने उठाया था। आपने उनको अकेले यह क्रेडिट दे दिया, मुझे भी देना चाहिए था। मैं पार्टी और पोलिटिक्स से ऊपर उठकर हमेशा देश और जनहित पर बोलता हूं। आपको मुझे भी क्रेडिट देना चाहिए था। मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा कि मैंने भी नौ बार पार्टिसिपेशन किया था। मैंने उनको चिट्ठी लिखी। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। यूपीए की सरकार में वर्ष 2007 से यह पेंडिंग पड़ा हुआ था। आपने खुद घोषणा

करके उसे चालू किया है, इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बार-बार धन्यवाद है। मैंने उनको धन्यवाद पत्र लिखा। परसों के बजट में इस विषय पर दिल्ली से मेरठ, हस्तिनापुर, विदुर कुटी, बिजनौर, मुजफ्फनगर, सुक्रताल ऐतिहासिक जगह हैं। इसके लिए काम जल्दी शुरू करवाओ। इस सदन में मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि हस्तिनापुर पहुंचने में पहले ढाई-तीन घंटे लगते थे, बिल्कुल नजदीक है, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में है। दो ही ग्रंथ आते हैं– रामायण और महाभारत, महाभारत की जो हस्तिनापुर जगह है, अयोध्या में भगवान राम जी रहे और हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण जी रहे हैं। अब तो वहां तक पहुचंने में केवल सवा घंटा लगता है। वहां के लिए इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हैं, लेकिन आज रेल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपको हस्तिनापुर के बारे में एक और नई चीज बताने जा रहा हूं। चंडीगढ़ की नींव और हस्तिनापुर की नींव एक ही दिन रखी गई थी। नेहरू जी ने एक ही दिन रखी थी।... (व्यवधान) इसमें अभी वाह-वाह की बात नहीं है। इसमें खराब बात है। इसकी नींव एक ही दिन रखी गई थी। चंडीगढ़ को कांग्रेसियों ने, बिट्टू जी की पार्टी ने पूरे तरीके से डेवलप कर दिया और वहां कभी देखा नहीं। क्योंकि वहां 70 परसेंट के करीब पिछड़े और दलित रहते हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुमार तमाम दलित वहां रहते हैं। आज की तारीख में, जहां पर हम कई बार देखते हैं कि अहमदाबाद से मुम्बई तक बुलेट ट्रेन चलाई गई। यह बहुत अच्छी बात है।जब हम यह देखते-सुनते हैं कि वहां से वहां के लिए ट्रेन चली या शुरुआत करवायी, तेज़ी से काम चल रहा है, तो हम कहते हैं कि अच्छी बात है। परंतु बहुत अच्छी बात तब होगी, जब दिल्ली से अयोध्या की तरफ, जैसे ध्यान है, जहां भगवान राम रहे। उसी तरह से दिल्ली से सहारनपुर, जहां भगवान कृष्ण जी रहे हैं, दिल्ली से बिल्कुल सवा घंटे की दूरी पर है, वहां के लिए भी दिल्ली की मेट्रो को मेरठ और हस्तिानपुर और बिजनौर से जोड़ा जाए। उस समय बहुत अच्छी बात रहेगी। ... (व्यवधान)

साहब, हम देखते हैं कि दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशंस हैं, मुंबई के मेट्रो स्टेशंस हैं और जो दूसरे महानगरों के स्टेशंस देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह एक अलग भारत है। जो माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि गांव और देहात के जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस हैं, वहां तक भी पूरा

सौंदर्यकरण हो तो कहीं न कहीं अफसरशाही जो पहले से चलती आ रही थी, जो बीमारियां पहले से उनके दिमाग में थी, वह अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई हैं। यह विकास, यह सौंदर्यीकरण, ये रेलवे की व्यवस्था अभी नीचे तक नहीं पहुंची है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से हना चाहता हूँ कि जो गांव और देहात के लोग हैं, यहां पर हमारे सांसद, नगीना क्षेत्र के बैठे हैं, इनके यहां पर धामपुर स्टेशन हैं, ऐसे कई स्टेशंस हैं, जैसे चांदपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर की कई जगहों पर हैं। वहां देखें तो पहले की तरह आज भी काफी गुंजाइश हैं, जहां सुधार कराए जा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल सीधी मांग करता हूँ कि दिल्ली से मेरठ, हस्तिानापुर जैसी ऐतिहासिक धरती, जहां राजा परीक्षित, जो महाभारत वालों के वंशज रहे हैं, वह परीक्षितगढ़ के साथ ही बिजनौर और सुकरताल और पुरकाजी होते हुए, मुज़फ़्फ़रनगर के लिए जल्दी से रेल लाइन वहां बनाई जाए, जिससे के लोगों को लगे कि हमें भी अयोध्या की तरह, हम हस्तिनापुर वासियों को अयोध्या की तरह माना जा रहा है और जो 65 सालों में कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो अनदेखी की गई है, हमारी तरफ अब ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए। … (व्यवधान) आपके वहां जो भी प्रभारी मंत्री हैं, वे मेरे खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, पूरे देश के और खास कर के उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव-देहात में स्टेशंस हैं, उनका सबका भी शहर की तरह सौंदर्यीकरण कराया जाए।

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Resolution moved by Shri N. Reddeppa regarding Railways. The Railway Minister is here and I wish to take this opportunity to appeal to you to sanction pending issues of Telangana State and of my Constituency.

As per Section 93, Schedule 13 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, Rapid Rail Connectivity Projects were supposed to be started and completed by 2024, but none have been started as yet. As a follow-up of this provision, we had been repeatedly appealing for high-speed rail connectivity from Hyderabad to Vijayawada in Andhra Pradesh *via* Narketpalli, Nakrekal, Suryapet and Kodad. The land has already been acquired adjacent to the National Highway 65 and no land acquisition is required. We once again appeal to the Railway Minister to sanction a direct Railway line from Hyderabad to Vijayawada *via* Suryapet and Kodad, and provide high-speed Rail connectivity.

Sir, through you, I wish to appeal to the Railway Minister that there is a proposed Railway line between Dornakal and Miryalaguda *via* Mudigonda, Nelakondapalli, Kodad, Huzurnagar and Nereducherla. I wish to request the Railway Minister to consider early completion of the Detailed Project Report and early commencement of work on this line.

Through you, I would like to bring to the notice of the Government that this is a very high potential area, being the hub of cement manufacturing in India and also of rice milling in India. This railway line, when completed, from Dornakal to Miryalaguda *via* Mudigonda, Nelakondapalli, Koad, Huzurnagar,

and Nereducherla, will also give you a good return on investment, and the line itself will be economically and financially viable for the Railways.

Through you, I would like to appeal to the Railway Minister about a goods train that is now running from Jaggayapet in Andhra Pradesh to Melacheru to Mattampally to Jaanpad to Miryalaguda. Only a goods train runs on this route. We have been appealing to the Railways for quite some time to also run passenger trains on this route. We were informed that the Commissioner of Railway Safety is not permitting passenger trains to run on this route. Through you, I would like to bring to the notice of the Government that it would not be desirable for a railway line on which goods trains are running, to be converted to a line on which passenger trains can run. I wish to request that passenger trains be run on this route from Jaggayapet in Andhra Pradesh to Melacheru to Mattampally to Jaanpad to Miryalaguda in Hyderabad and I also request a shuttle train from Melacheru to Hyderabad. Through you, I wish to bring to the notice of the Railway Minister that at Miryalaguda railway station in my parliamentary constituency, several high speed trains were stopping before COVID-19, but in the changes made post-COVID-19, the stoppings had been removed. I wish to appeal to you that all high speed trains passing through Miryalaguda must stop at Miryalaguda.

Also, Sir, I would like to appeal to the Railway Ministry for the modernisation and beautification of railway stations under the Adarsh Station Scheme and please take up some rural railway stations also. I appeal to you to take up Miryalaguda and Nalgonda railway stations for modernisation and beautification.

Finally, I would like to remind the Railway Minister that a railway coach factory in Kazipet was guaranteed in the Reorganisation Act that created Telangana State. However, even after nine years, this Government does not talk about it. I wish to bring to the notice of the Railway Minister that Vande Bharat coaches are manufactured in a private company by the name, Medha, in Hyderabad, and sent to the ICF and RCF in Perambur and Kapurthala, respectively. We wish to appeal to you that as per the assurance given in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, the same shell of the Vande Bharat coach, which is being manufactured in Hyderabad, the completion of the coach, instead of sending it to Perambur or to Kapurthala, please get the completion work at least done in Kazipet in Telangana.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, this is moved by our Party Member, Shri Shri Reddeppa Nallakonda Gari. There are three requests that he is asking in this Private Members Resolution, which is regarding operationalisation of South Coast Railway Zone and creation of a Railway Recruitment Board. This was a promise that was made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. It has been almost nine years since this Act came into effect. Andhra Pradesh's people have been waiting for this railway zone to happen. It has been promised and agreed upon that it would be established, but we still are not able to see a single building that has come up with regard to this zone, Sir. We demand on behalf of the people of Andhra Pradesh that this Railway zone be established as soon as possible.

With respect to the Railway Recruitment Board, a lot of youth are job-ready, but they have to go to faraway places to write the exam. We also demand that this Railway Recruitment Board, which has also been promised, be established at Visakhapatnam.

The other request is for the country's railway stations to be modernised and upgraded. I spoke about it earlier as well. The Railway Ministry is upgrading it and has budgeted heavily for it. This year alone, for Andhra Pradesh, they have given almost Rs.8,700 crore, correct me if I am wrong.

Every year, even last year also, they gave Rs. 7000 crore. If you look at the expenditure, not even 50 or 60 per cent is spent. This year also, they kept about Rs. 8,400 crore. I do not know whether they are going to spend it or not. The reason is that the capital expenditure that the Railways has put up for Andhra

Pradesh is actually for laying the new railway line. There were new railway lines proposed for Andhra Pradesh, The agreements were made before 2014, before our State got bifurcated, when we had good revenues in our State. After our State got bifurcated, we had a revenue deficit, which everyone knows in this House. For the last nine years, we have been talking about it. After the revenue deficit, it has been the situation for Andhra Pradesh for the last nine years that we are urging the Railway Minister and the Railway Board to reconsider the agreements that were made with Andhra Pradesh in regard to new railway lines that have been proposed. For example, in my constituency, from Nadikudi to Srikalahasti, the railway line is very much needed.

Earlier, Nishikant ji mentioned about how railway lines have brought a lot of development and everything, but this railway line is very much needed because the existing one, whenever there is a huge flood or cyclone, always get disturbed. The work for the second railway line has been pending for so long. The reason they keep on giving is that the State Government is not giving land but agreements were made before 2014. I request the Ministry to sit with the State Government and revise these agreements because they have done that before in Jharkhand and Bihar. They have given that provision so that the State Government chips in lesser amount than was actually agreed upon to complete the project. We are requesting the Railway Minister to do the same thing for all the new railway lines that have been proposed for Andhra Pradesh.

I just want to know from the Railway Minister whether the Ministry is looking at the railways as a business or the service. I understand that the railway freight is

a business but they need to look at passengers as service. For example, look at Andhra Pradesh or Tamil Nadu. We all run RTC buses in our State. If we look at it as business, we will be closing all the RTC services because none will be making money. In my constituency, almost 17 or 18 trains were running before COVID-19 and there were enough stoppages which have reduced to seven. I request the Railway Minister to consider those trains. We are requesting again and again. We came into this situation wherein instead of asking for a new train, we have to ask for reinstatement of the old train. It is so embarrassing to even go to the constituency because the people ask us, "Sir, earlier we had 17 trains running. How can you bring it down to only 7?" So, I want to know whether the Railway Minister is looking at it as a business or a service.

In my Guntur district, trains were running for the last hundred years, I have seen how growth has taken place in the Guntur district. Education has come in and trade has expanded. So, I want to know whether the Minister is looking at it as a business, hence cutting down on trains. They are putting this idea in our mind. For Vande Bharat Express, ticket cost is five times or six times of the normal ticket. Vande Bharat Express is meant for one segment of people but for middle class or lower-middle class, we need to restart the trains that were running before COVID-19. I urge upon the Minister to restart the trains and I also urge upon the Minister to fulfil whatever promises they made regarding the A. P. Reorganisation Act, the South Coast Railway Zone, and the Railway Recruitment Board to be established in Vizag.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I have to inform that two hours have already been taken on this resolution thus almost exhausting the time allotted for discussion. There are still eight Members to speak on the resolution. If the House agrees, we may extend the time by two more hours.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I was under the impression that the discussion on this Private Member's Resolution started today, and it started after 3:30 p.m. और अभी साढ़े पांच नहीं बजे हैं। It is not even two hours.

HON. CHAIRPERSON: The time allotted for the Resolution is two hours, and the next Resolution has to be taken up but more Members want to speak on this.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, initially I should say, as we are deliberating on the functioning of Railways, special focus is on Andhra Pradesh. The largest transportation and logistics that we have in our country is unique in the world. It is the fourth largest transportation system that we have. When the Budget has just been discussed, I would say on Railways we find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of around Rs.10 lakh crore. The budgetary support amounts to Rs.2.4 lakh crore. The goal is to raise the share of railway freight traffic from 27 per cent, the road transport share is 64 per cent, to 45 per cent. That is the aim that Railways has now. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts.

The Railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high value products for which last-mile connect is important. On the passenger side, upper class travel should remain competitive vis-à-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenue despite pensions at over 25 per cent of the total operating expenses. I would come to my constituency aspect a little later.

भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में बिजली से चलने वाला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी तकनीकी कवच का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। रेलवे में एक स्टेशन, एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। यह रेल मंत्री जी की एक घोषणा है।

रेलवे सैक्टर में चार अहम घोषणायें हैं। रेलवे सैक्टर में 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, रेलवे की पटरियों के नवीकरण में 17,297 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और रेलवे सुरक्षा निधि में 45 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

This reminds me that when Nitish Kumar was the Minister of Railways 20 years back he created a fund, Railway Safety Fund, especially for the safety of the railways and also for the passengers.

वर्ष 2023-24 में मुसाफिरों से रेलवे को 70 हजार करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है। रेलवे ने मौजूदा वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2022 तक माल ढुलाई से 12,478 करोड़ रुपये की कमाई की। अभी 40 रेलवे स्टेशंस के पुनर्विकास का कार्य जारी है और 14 स्टेशंस के पुनर्विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। मैं इस सिलसिले में भुवनेश्वर का नाम इन 40 स्टेशंस की सूची में देख रहा हूं। कटक का नाम भी उस सूची में है, यही बताया गया है और वहां अगले चार-पांच महीने में काम शुरू होगा।

मैं माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पुरी स्टेशन, जो एक तीर्थस्थल है, उसका माडर्नाइजेशन कर रहे हैं।

उसका मार्डनाइजेशन कर रहे हैं। It is an ultra-modern railway station that is being built. When the Bhubaneswar railway station is being built, which is in the capital of our State, it is ultra-modern. If one looks at the design, it looks like a modern airport that has been built throughout our country. But when I see the design of Cuttack railway station, I go back to the Islamic age. Why is it so? Why cannot we build a design that is ultra-modern, at least which will be something which is 100 years ahead? You may have modern amenities inside the station which are necessary.

रेलवे का विस्तार और आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इस सिलसिले में, मैं ज्यादा न कहते हुए बस यही कहूंगा कि एकल प्रबंधन के तहत 68 हजार 31 किलोमीटर से अधिक की हमारी रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी संस्था है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद इसका दायरा और आगे बढ़ जाएगा। माडर्नाइजेशन के बारे में बस यही कहना है कि हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन एक नया जोन है। हाल ही में शायद इसके 25 साल पूरे हुए होंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे से अलग होकर यह रेलवे

जोन बना है । Despite repeated assurances from the Railway Ministry, South Central Railway has been created by taking away portions of Andhra Pradesh from East Coast Railway thereby effectively making East Coast Railway a very small Railway with less relevance.

The Government of Odisha and the hon. Chief Minister Naveen Patnaik have repeatedly asked for unification of all railway assets over Odisha State under East Coast Railway headquarters at Bhubaneswar. Here the question lies. A mistake was made some nine years ago when bifurcation of Andhra Pradesh occurred. When Lok Sabha discussed it, deliberated, there was difference of opinion also. A lot of trouble also happened in the Well of the House. You were also a witness to that. I was also attacked with pepper spray and I had to run out. So, I fully remember my experience that day. But during that discussion in Lok Sabha, there was no mention about formation of another zone at Visakhapatnam; neither it was there in the Bill. But when it went to the Rajya Sabha, because of strong opposition during some discussion, this was incorporated and subsequently it came to Lok Sabha again. But here, I would say, for the first time, a State-specific zone was created by that law.

If that is so, Odisha's demand is this. Why do you not make a State-specific zone, East Coast Railway? You have a part of it in Bilaspur, a part of it in South Eastern Railway. Now, a part of it also goes to Visakhapatnam. Ultimately what will remain is only Sambalpur Division and Khurda Road Division. Jharsuguda is not there; Rourkela is not there. Most of the Ib Valley transport will be not there. So, how can this zone survive? If you are making a zone functional

in Visakhapatnam, it is high time that you thought of having all the areas under Odisha under one zone about which our Chief Minister has also written to the Government.

Jharsuguda-Barsuan-Kiriburu, Rourkela-Nuagaon, and Jharsuguda-Himgiri sections under a new division at Rourkela is necessary. Banspani-Padapahar, Rupsa-Bangiriposi and Bhadrak-Laxmannath sections under a new division at Jajpur or Jajpur-Keonjhar Road is also necessary. These are the two new divisions which we require.

I will conclude by bringing two issues before the House. I think, the hon. Railway Minister has some experience in Cuttack district, in my district.

PROF. SOUGATA RAY: He was the District Magistrate there at that time.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please, let him complete.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There is a road from Cuttack to Athagarh via Ghantikhal. I would not say that he has travelled on that road a number of times. Very recently also, he has travelled on that road. There is a level crossing. I remember, when he was the District Magistrate of Cuttack district, out of our MPLADS fund, we had put up a level crossing there and he helped in a great deal. But, at Athagarh and Ghantikhal, we need a Road over Bridge in exchange of a level crossing. In the Pink Book I did not find it. I was under the impression that perhaps this year it would be in place. You can correct me because there are other Heads through which it can be done.

I have been repeatedly requesting different Railway Ministers, as also now because the Railway Minister is very much aware how congested the Cuttack Railway Station is, that there is a need to have a third line from Barang to Nergundi via Cuttack. They are building another line on the Rajathgarh side, but it has three bridges on this side. I remember, in 2000 when Shri Nitish Kumar was the Railway Minister, I had gone there, and he said there was hardly Rs.1,000 mentioned in this Budget for this. He said that if Rs.1,000 is there, he would lay the foundation. He went there to lay the foundation of three railway bridges. The second line is connecting Talcher with Paradip. That is how the three bridges were connected. But here it is totally congested and that is the reason why it is necessary. It is high time to have a third line from Barang to Nergundi via Cuttack.

With these words, I would say that Railway is making strides, and we will also make strides in near future. I extend my full support to the Railway Minister to achieve this.

Thank you, Sir.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद सभापति महोदय। रेड्डप्प जी ने जो रिजॉल्यूशन मूव किया है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं सौगत दा की बहुत इज्जत करता हूँ। वे उम्र में भी बड़े हैं और बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन, टीएमएसी में एक समस्या यह है कि जो ये बोलते हैं, वह तो ममता दीदी को सुना देते हैं। लेकिन, बदले में इनको जो जवाब मिलता है, उसको कभी नहीं सुनाते हैं। इसलिए, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि मैं जो कह रहा हूं, वह भी उनको जरूर सुनाएं और वे जरूर पूछें।... (व्यवधान)

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आता हूं। ... (व्यवधान) सर, ये मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्री राजू बिष्ट : महोदय, मैं नया सांसद हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भी राइट उतनी ही है, जितनी सौगत दा की है।

HON. CHAIRPERSON: Why are you addressing him?

श्री राजू बिष्ट : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो विशेषता है, आजादी के समय जो पश्चिम बंगाल था और आज के समय का जो पश्चिम बंगाल है, उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं पहले पश्चिम बंगाल की क्षमता के बारे में बताना चाहता हूं।

महोदय, पश्चिम बंगाल में 200 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, यानी आप व्यापार के लिए इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 4500 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन्स हैं। 4500 किलोमीटर की नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे हैं। पीएमजीएसवाई की छोटी और बड़ी सड़कों को मिला दें तो 90,000 से ज्यादा सड़क लाइनें हैं। वहां एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वर्षा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है। धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में दूसरे नम्बर पर है। वहां सब्जी, सबसे ज्यादा अनानास और चाय की खेती भी होती है। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। आलू के मामले में वहां 40 प्रकार की वैराइटीज हैं। वहां टूरिज्म भी है। वहां युवा भी है और

उनके पास अच्छा दिमाग भी है। देश में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग भी पश्चिम बंगाल से आते हैं।

लेकिन मेरा प्रश्न दादा से है कि पश्चिम बंगाल आजादी के समय भारत की जीडीपी में 33 प्रतिशत का योगदान देता था, वह आज 3 प्रतिशत से भी कम रह गया है। दुनियाभर से एफडीआई के माध्यम से भारत में पैसा आता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक प्रतिशत से भी कम पैसा आता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार और मोदी जी हमारे लिए जो अनाज भेजते हैं, हमारे लिए जो पैसा देते है, हमारे लिए अलग-अलग स्कीम्स देते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीएमसी सरकार वह घुसपैठियों को दे देती है, बांग्लादेशियों के पास जाता है, रोहिंग्याओं के पास जाता है। मेरा उनसे यह सवाल है।

महोदय, बड़ी बात यह है कि आज पश्चिम की जो 10 करोड़ जनता है, उन्होंने बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के ऊपर 6,00,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। मैंने बैंक से एक रुपये भी नहीं लिया है, फिर भी इन्होंने मेरे ऊपर 60,000 रुपये का कर्जा डाला है। मैं दादा से कहूंगा कि वे दीदी को ये आंकड़े जरूर दें। महोदय, दादा ने कहा कि कलिम्पोंग के लिए पूछना है, इसलिए मैं उसी विषय के ऊपर आना चाहता हूं। पहले तो इस बजट के लिए और रेलवे में जो कुछ काम चल रहा है, मैं मोदी जी और रेल मंत्री जी को दिल से बधाई देना चाहूंगा। वंदे भारत ट्रेन एनजीपी से हावड़ा तक हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, इस बार के बजट में पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड एलोकेशन यानी 12,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं नॉर्थ-ईस्ट से भी आता हूं। मैं मणिपुर में पैदा हुआ हूं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एनएफ रेलवे को सबसे अधिक यानी 11,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन मिला है। मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। दार्जिलिंग की खूबसूरती है कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है, तीसरी तरफ बांग्लादेश है और 50 किलोमीटर की दूरी पर चाइना है। बॉर्डर इलाकों तक ट्रेन जाने के लिए और बॉर्डर इलाकों के डेवलेपमेंट एवं रेलवे लाइन के लिए 1,20,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। मैं उसके लिए भी भारत सरकार को बधाई देता हूं। महोदय, 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 93

स्टेशंस अपग्रेड हो रहे हैं। मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा। सेवोक से लेकर सिक्किम में जो रंगपो है, वहां 42 किलोमीटर तक की रेल लाइन बन रही है। उसके लिए भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उस 42 किलोमीटर में से लगभग 40 किलोमीटर का इलाका मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उससे मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके माध्यम से आने वाले समय में वहां पर बहुत सारे विकास के कार्य जुड़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। एनजेपी के स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए 350 करोड़ रुपये का एलोकेशन हो गया है। उसका टेंडर भी हो चुका है और उसका कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं भारत सरकार को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी कुछ डिमांड्स हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरा भी अधिकार है। इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ डिमांड्स जरूर रखूंगा। जैसे वंदे भारत ट्रेन सिलीगुड़ी से हावड़ा तक चलती है, तो मेरे यहां की जनता की इच्छा है कि एनजेपी या सिलीगुड़ी से गुवाहटी के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन चले। गांधी जी भी सिलीगुड़ी स्टेशन गए हैं। वह हैरिटेज है, उसको बचाने के लिए...(व्यवधान) मंत्री जी बोल रहे हैं कि उसकी घोषणा भी हो गई है, यानी वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी और सिलीगुड़ी के बीच चलेगी।...(व्यवधान) सर, आपने बोल दिया। अब मुंह से निकल गया है, वापस नहीं आ सकता है।...(व्यवधान) महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सिलीगुड़ी जो कि एक हैरिटेज स्टेशन है, उसका अपग्रेडेशन हो। सेवोक और रंगपो के बीच एक नई रेलवे लाइन बन रही है। मेरी जानकारी में है कि वह अल्टीमेटली रंगपो से गंगटोक तक जाएगी, यानी हम लोग गंगटोक से नाथूला बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। इसी तरह से सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग है। ब्रिटिशकाल में कलिम्पोंग के पास जो गेलखोला है, वहां तक जाने का रास्ता था। अब वह रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है। जनता की इच्छा है कि सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग और मिरिक को नाक्साल्बरी से जोड़ने की भी योजना चल रही है। इस काम में तेजी लाई जा सकती है। तीस्ता से लेकर विजनबाड़ी है, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा ब्लॉक है, शायद दादा की भी जानकारी में यह होगा। एक समय तक पहाड़ी क्षेत्र यानी सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल का व्यापार वहीं होता था, वह केन्द्र बिन्दु था। इसिलए तीस्ता से विजनबाड़ी के बीच रेलवे लाइन बनाई जाए।

17.45 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

महोदय, एक और विषय है। यह पूरे हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ा इश्यू है। रेलवे लाइन या रेलवे की जमीनों पर 100 सालों से भी ज्यादा समय से लोग बसे हुए हैं और वे असमंजस का जीवन जीते हैं। मेरा रेलवे मंत्री जी से अनुरोध है कि इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। सिलीगुड़ी में जो 1, 4, 7, 18, 24, 28, 35 और 48 नंबर वार्ड्स हैं, ये लोग इतने सारे वार्ड्स में रहते हैं। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए।

टीएमसी एनजीपी के अंडर में सिंडिकेट राज चलाती है, अवैद्य कब्जा कर रखा है, उसको बंद करना चाहिए। अंत में मैं डीएचआर की बात करना चाहूंगा। डीएचआर दर्जिलिंग की आत्मा है और डीएचआर के बिना दार्जिलिंग अधूरा है। उसे यूनेस्को की मान्यता मिली हुई है। उसका 150 साल पुराना इतिहास है। आज डीएचआर की जो स्थिति है, वह बहुत अच्छी नहीं है। उसमें बहुत गंदे कोचेस हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोचेस में जिस तेजी के साथ परिवर्तन होना चाहिए, उस तेजी के साथ नहीं हो रहा है। वहां स्टेशन अपग्रेड होने चाहिए। दार्जिलिंग के करशम, सोनादा और घुम स्टेशन्स अपग्रेड होने चाहिए। वहां पर 95 प्रतिशत लोग नेपाली भाषा में बोलते हैं, लेकिन वहां पर नेपाली भाषा साइन बोर्ड नहीं हैं। नेपाली, हिंदी और अंग्रेजी में साइन बोर्ड्स होने चाहिए। वहां पर जो भी जॉब्स निकलती हैं, चूँकि लोकल लोग उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अगर आप ब्रॉडगेज वाले व्यक्ति को दार्जिलिंग में ले जाकर बैठा देंगे तो वह नहीं समझेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उस रेल को देखा है इसलिए उसी पीढ़ी को उसके लिए प्रायोरिटी मिले तो अच्छा होगा। Tindharia में वर्कशॉप है, उसका अपग्रेडेशन चल रहा है। Tindharia में रेलवे का एक छोटा अस्पताल है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उसको अपग्रेड कर सकें तो हमारे क्षेत्र की जनता के लिए वह बहुत उपयोगी होगा।

सर, उस क्षेत्र का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन एनजीपी में होता है, लेकिन हमारा डिविजन ऑफिस कटिहार, बिहार में है। उसे लालू जी के समय ले गए थे और ममता दीदी उसे नहीं ले पाई। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके शासन में एनजीपी में वह डिविजन आ जाता है तो अच्छा होगा। वहां पर एक्टिविटी

भी 80 परसेंट है और रेवेन्यू भी 80 परसेंट आता है। यह बहुत उपयोगी होगा। मैं अंत में भारत के प्रधान मंत्री और रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन आपने इतना कुछ किया है, मुझे लगता है कि अगर सब लोग बोलने लग जाएं तो भी समय कम पड़ेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर ही बोलना।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सदन में आज 'आदर्श स्टेशन योजना' के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण और आधुनिकीकरण आदि विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय, जब भी कोई नई रेल लाइन की बात आती है या नए प्रोजेक्ट की बात आती है और उसका सर्वेक्षण होता है तो हमें जवाब मिलता है कि परियोजना गैर अर्थक्षम है या लाभकारी नहीं है। रेल को सेवा का साधन बताना केवल व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि जब बात लाभ-हानि की आ जाती है और उसके आधार पर रेलवे कोई प्रोजेक्ट तय करता है तो फिर हम उसको सेवा का साधन कैसे कह सकते हैं? मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान की कई परियोजनाएं अधूरी हैं इसलिए आप वहां की सरकार से बात करें और हमारे यहां की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको मंजूरी दिलाएं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो बजट आया है, उसमें राजस्थान को लेकर रेलवे से जुड़ी उम्मीदों को यह बजट पूरा नहीं कर पाया है। रतलाम, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा रेलवे लाइन परियोजना के लिए 1320 करोड़ की लागत थी। सरकार ने विगत और वर्तमान बजट में बहुत कम राशि दी है। दौसा, गंगापुर सिटी के लिए स्वीकृत लागत 607 करोड़ रुपये थी। आप देखिए सरकार ने क्या दिया? पुष्कर-मेड़ता के लिए 322 करोड़ रुपये की परियोजना लागत थी। वर्षों से केन्द्र ने कुछ नहीं दिया और इस बजट में मात्र 10 करोड़ रुपये दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : सदन में पूरा ही पढ़कर नहीं बोलते हैं।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जिनको आपने बजट दिया है, वह ऊँट के मुँह मे जीरे के समान है। आप उनके लिए पूरा बजट दें। मैं राजस्थान में परियोजनाओं का तेजी से निष्पादन के बारे में बताना चाहूंगा । सरकारी आँकड़ों के अनुसार 1.04.2022 तक 1,228 किलोमीटर की कुल लंबाई की 11 नई लाइन्स परियोजनाएं, राजस्थान में 16,942 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, लेकिन इनमें से 107 किलोमीटर लम्बाई चालू कर दी गई है और मार्च 2022 तक 2,695 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इससे पता चलता है कि केवल 107 किलोमीटर नई लाइन रेलवे चालू की गई है, जो निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत नियोजित 1,228 किलोमीटर नई रेलवे लाइन की कुल लंबाई का 9 प्रतिशत से भी कम है और इसलिए 91 प्रतिशत से अधिक प्रस्तावित परियोजनाएं लंबित हैं।

मैं सरकार से परियोजनाओं में तेजी लाने और सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता हूँ। वर्ष 2022 में इसी सदन में रेल मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश की विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के आँकड़ों के अनुसार 1 लाख 16 हजार 776 तथा जोनल रेलवे, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे विशेष सुरक्षा बल में कुल 1,77,911 पद रिक्त है। इस प्रकार 3 लाख पद खाली पड़े थे। उन्हें जल्दी से जल्दी नियमित भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। चूँकि ये आँकड़े एक साल पुराने हैं ऐसे में एक वर्ष के अन्तराल में आपने कितने पद भरे, जवाब में मंत्री जी बताएं कि कितने पद आपने नियमित भर्ती से भरे हैं?

अध्यक्ष जी, अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर विशेष रूप से मैं दो मिनट का समय लूंगा । आधुनिकीकरण की बात चल रही है। भारत सरकार द्वारा अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर और ढीढवाणा का चयन किया गया है। मेरी मांग है कि मुंडवा, मकराना, कुचामन, नावं और लाडनूं स्टेशनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इन स्टेशनों में स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट, स्टेशन के बाहरी क्षेत्रों में सुलभ काम्प्लेक्स बनाए जाएं। नागौर, मेड़ता रोड, मेड़ता बाईपास, कुचामन, मुंडवा, मकराना और लाडनूं स्टेशनों के सभी प्लेटफार्म्स पर टिन शेड्स का विस्तार किया जाए। मेड़ता और नागौर में वीआईपी विजिटर कक्ष बनाया जाए, एटीएम, मेडिकल

सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में कार्य किया जाए । इन तमाम स्टेशनों पर जिन प्लेटफार्म्स पर कोच गाईडेन्स सिस्टम नहीं हैं, वहां पर वह सिस्टम लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हम स्टेशनों के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अज़मेर मंडलों के कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव बन्द कर दिए गए। फुलेरा, सांभर, नवांशहर सहित कई स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव बन्द होने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ठहराव शुरू करने को लेकर वहां से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिए गए, लेकिन रेलवे बोर्ड की ...* इसलिए ध्यान देकर ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू किया जाए। लाख कोशिशों के बाद रेलवे स्टेशनों पर चाय से लेकर खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार नहीं होना चिन्ता का विषय है। सरकारी दरों से अधिक दर लेने के बावजूद यात्रियों को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पाना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिसने आपको लिखकर भेजा, उसको थोड़ा समझाते कि रेल डिमाण्ड की बात अभी मत करो।

प्रो. सौगत राय : वह भी राजस्थान के हैं, आपकी ही बात बोलते हैं।... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पहली बार मिला था, हमारे यहां के एक मेले के कार्यक्रम को लेकर वहां एक रेल चलानी थी। मंत्री जी से मैं मिलने गया, मंत्री जी ने कमिटमेंट किया कि रेल चलेगी। वहां हमने व्यापारियों को रोक लिया। तीन दिनों तक व्यापारियों को रोका। अगर वे रेल से जाते तो उनके 25 लाख रुपये खर्च होते। रेल से नहीं गए, वहां ट्रक यूनियन, कलेक्टर और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की वजह से उनके एक करोड़ रुपये लगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब ...*

अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बे आरोप नहीं लगाता। ... (व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : व्यक्तिगत बातों की यहां पर चर्चा नहीं करते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष जी, मुझे पीड़ा है। आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अपनी चेम्बर की व्यक्तिगत पीड़ा आप चेम्बर में रखो। यहां सदन में अगर कुछ कहा हो तो मैं जिम्मेदार हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष जी, मेरा आरोप है कि .....* (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत बात है।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, इसे कार्यवाही से एक्सपंज कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: ...*

माननीय अध्यक्ष : एक्सपंज तो हो ही गया है। एक्सपंज होना एक अलग बात है। माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए।

... (व्यवधान) ...**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से सदन का दुरुपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्राइवेट बिल है, प्राइवेट संकल्प है, उस विषय पर आप अपने विचार रखिए। इस तरीके की बात करना ठीक नहीं है।

... (व्यवधान) ...**

श्री हनुमान बेनीवाल : एक मिनट साहब ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल : मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना कहलवा देते

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)...**

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु के अतिरिक्त कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)...**

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु के अतिरिक्त कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रही है और यह अच्छी परम्परा नहीं है।

... (व्यवधान)...**

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ।

... (व्यवधान)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): सर, माननीय सदस्य इस तरह चिल्ला रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूं?

** Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनकी कोई बात शुरू से रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन है। माननीय सदस्य, सदन की गरिमा और मर्यादा बनाकर रखिए। प्राइवेट बिल है, इस पर वैसे भी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है।

… (व्यवधान)… **

माननीय अध्यक्ष : पीड़ा व्यक्त करने के लिए सदन नहीं है, आरोप लगाने के लिए यह सदन नहीं है। सदन में आलोचना की जा सकती है, लेकिन प्राइवेट संकल्प में आलोचना का विषय नहीं होता है, आप रचनात्मक बातें कहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ।

… (व्यवधान)

** Not recorded.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : सर, धन्यवाद, आपने मुझे नलकोंडा रेडप्पा जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राइवेट मेंबर्स रिज्योल्यूशन पर बोलने का मौका दिया है। सर, वैसे तो इन्होंने जिस तरह से यह प्रस्ताव बनाया है, इसमें रेलवेज की सारी चीजों पर इसमें बोल सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ आन्ध्र प्रदेश और साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन तक ही सीमित रहूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सालों की जो मांग थी, आन्ध्र प्रदेश में बहुत सालों से एक नए ज़ोन के लिए जो आन्दोलन चल रहा था, उसको पूरी तरह से एनाउंस करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ने ली, उसके लिए मैं आन्ध्र प्रदेश के लोगों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाधा यहां पर यह उत्पन्न होती है कि यह एनाउंसमेंट चार साल पहले हुई है।

साउथ कोस्ट रेलवे जोन का अनाउंसमेंट फरवरी, 2019 में हुआ था, अभी हम फरवरी, 2023 में हैं। चार साल गुजर गए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद आज तक यह जोन ऑपरेशनल में नहीं आया है। वहां पर एक भी बिल्डिंग नहीं बनी है। इसके बारे में क्या काम चल रहा है, क्या सर्वे चल रहा है, क्या होगा, कब चलेगा, यह जोन कब से शुरू होगा, इसके संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में फिर से लाना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, जो अनाउंसमेंट उन्होंने चुनाव से पहले किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए, जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेशन में भी लेकर आएं। मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं तो मैं यह उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। सर, इसमें एक चीज है कि जिस तरह से बजट का आवंटन जोन में किया जा रहा है तो दो साल पहले बजट के जरिए दस लाख रुपये किया गया था और इस बजट में हमें खुशी है कि 10 करोड़ की बजट राशि बढ़ाई गई और इसमें 10 करोड़ लगाया गया है। अगर इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसको रखने का भी कोई फायदा नहीं है। हम चाहेंगे कि जो 10 करोड़ रुपये इसमें डाले गए हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी यह जोन विशाखापट्टनम से शुरू करें। सर, इसमें दो पॉइंट्स सबसे जरूरी हैं। हमसे पहले जो भी बात हुई, उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। इसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि वाल्टेयर डिवीजन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम चाहते हैं कि वाल्टेयर डिवीज़न कंटीन्यू होना चाहिए। वाल्टेयर डिवीजन लगभग वर्ष 1893 में शुरू हुआ था, जो उन्होंने

ब्रिटिश के टाइम पर शुरू किया था । इसको 125 साल हो गए हैं । वर्ष 2018 में हमने उसका सेलीब्रेशन भी किया था। यह बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्रोफिटेबल डिवीजन है। अगर आज देश में देखेंगे तो टॉप 5 डिवीजन्स में यह वाल्टेयर डिवीजन जरूर आएगा। आप सोचिए कि हम एक पेड़ में उगने के लिए पानी डाल रहे हैं, उसी पेड़ को दूसरी तरफ से काटने लग जाएं तो क्या संदेश जाएगा? उसी तरह से एक तरफ साउथ कोस्ट रेलवे जोन की जो मांग थी, उसको पूरा किया जा रहा है और दूसरी तरफ से वाल्टेयर डिवीजन, जो हमारे आन्ध्र प्रदेश के लिए इतना अहम डिवीजन था, उसको खत्म किया जा रहा है। यह कैसा न्याय हुआ? इसलिए एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि यह जो वाल्टेयर डिवीजन है, उसको कंटीन्यू करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सभी सदस्यों से पहले भी आग्रह किया था।

… (व्यवधान)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : सर, यह अहम मुद्दा है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहा है तो फिर बोलना पड़ेगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि हमें सदन की गरिमा के अनुसार किस विषय पर संकल्प है, किस विषय पर विधेयक है, उस विषय को रखना चाहिए। डिमाण्ड हो, जब बात करनी चाहिए।

… (व्यवधान)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : सर, यह इसी में है। यह रेज्योल्यूशन में है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए है।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : सर, रेज्योल्यूशन में जो शामिल है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, रेज्योल्यूशन के बाहर नहीं है। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, उसी में वाल्टेयर डिवीजन है। हम उसी के बारे में बोल रहे हैं। यह वाल्टेयर डिवीजन के नाम से लगता होगा कि कहीं वाल्टेयर अंग्रेजों का शब्द लगता होगा या अंग्रेजों ने जो रखा है, वह लगता होगा, लेकिन वाल्टेयर तेलुगू शब्द है। यह

वाल्तेरू था। एक टाइम पर विशाखापट्टनम स्टेशन का नाम वाल्तेरू था। वाल्तेरू पूरी तरह से भारत की एक शान है। उसको ही खत्म किया जा रहा है। मुझसे पहले महताब जी ने बोला था। उन्होंने बोला था कि ईस्ट कोस्ट को छोटा जोन किया जा रहा है, लेकिन याद रखना होगा कि वहां पर रायगढ़ डिवीजन भी बना रहे हैं। रायगढ़ डिवीजन से शायद उनका एरिया नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप वाल्टेयर डिवीजन खत्म करेंगे तो वाल्टेयर डिवीजन में 20 हजार से ज्यादा का स्टाफ है। वहां पर इतने सारे डिवीजनल पोस्ट होंगी। वे सब तो खत्म हो जाएंगी। रायगढ़ में एक नया डिवीजन बन रहा है तो उनके लिए वहां पर जरूर ज्यादा पोस्ट्स रहेंगी। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि आप ओडिशा के लिए अलग से अच्छा और नया डिवीजन बना रहे हैं, लेकिन वाल्टेयर खत्म करने का निर्णय क्यों ले रहे हैं, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है? सर, आज भी हमारे देश में इतने सारे जोन्स हैं, जिनमें 6-6 डिवीजन्स हैं। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो सेंट्रल रेलवे, जो मुंबई में है, उसमें 5 डिवीजन्स हैं, नॉर्दन रेलवे, जिसका हैडक्वार्टर दिल्ली में है, उसमें 5 डिवीजन्स हैं, सदर्न रेलवे, जो चेन्नई में है, उसमें 6 डिवीजन्स हैं। अगर वाल्टेयर के साथ साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनेगा तो गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा चार ही डिवीजन्स बनेंगे। ऐसे बहुत सारे जोन्स हैं, जो चार में ही चल रहे हैं। यह काफी प्रॉफिटेबल डिवीजन है। मैं बार-बार इसलिए दोहराना चाहता हूं कि यह मुद्दा, यह विरासत, यह इतिहास पूरे आन्ध्र प्रदेश, स्पेश्नी जो उत्तर आन्ध्र प्रदेश के लोग हैं, उनसे मिला हुआ है तो इसको खत्म न करें। मैं वाल्टेयर डिवीजन की मांग फिर से प्राइवेट मैंबर रेज्योल्यूशन के जरिए आगे बढ़ाना चाहता हूं।

18.00 hrs

जिस तरह से यह जोन बन रहा है, जब उसकी बाउंड्री बनाएंगे, तो आंध्र प्रदेश की सभी बाउंड्रीज इसमें आएं, मैंने ऐसी एक मांग रखी थी। हम चाहते हैं कि जब भी इसको सीमित करेंगे, तो केन्द्र सरकार इसको ध्यान में रखेगी। महताब जी ने भी कहा था कि ओडिशा का पूरा हिस्सा एक जोन में आए। आंध्र प्रदेश जोन कैसे बना? वर्ष 2014 में एपी री ऑर्ग्नाइजेशन एक्ट था। उसमें यह था कि

आंध्र पेदश के जोन बनेंगे। हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की बाउंड्री इसमें आए। जो वाल्टेयर डिविजन है…(व्यवधान) इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 13, 2023/Phalg*una 22, 1944 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)